



रूपाइसेस बोर्ड भारत SPICES BOARD INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय Ministry of Commerce&Industry भारत सरकार Government of India कोचिन / Cochin – 682 025



स्पाइसेस बोर्ड

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

स्पाइसेस बोर्ड

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार सुगंध भवन, पी.बी. नं : 2277, कोच्ची - 682 025

दूरभाष : 0484-2333610-616, 2347965

इ-मेइल : mail.sboard@gov.in वेबसाइट : www.indianspices.com

संकलन और संपादन

- श्री रोय जोसफ
 उप निदेशक (यो. व स.)
- श्री प्रत्यूष टी.पी.
 उप निदेशक (विपणन)
- डॉ. जी. उषाराणी सहायक निदेशक (रा.भा.)

तकनीकी समर्थन

- 1. श्री बिजू डी. षेणाई वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
- श्री आर. जयचन्द्रन ई डी पी सहायक

विषय सूची

कार्यव	हारी सारां श	:	5
1.	संघटन और प्रकार्य	:	8
2.	प्रशासन	:	10
3.	वित्त और लेखा	:	16
4.	निर्यातोन्मुख उत्पादन	:	17
5.	निर्यात विकास और संवर्धन	:	24
6.	प्रचार एवं संवर्धन	:	38
7.	कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप	:	41
8.	गुणवत्ता सुधार	:	43
9.	निर्यातोन्मुख अनुसंधान	:	46
10.	सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण	:	51
11.	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन	:	52
परिशि	ष्ट।		53



कार्यकारी सारांश

सांविधिक संगठन, स्पाइसेस बोर्ड का गठन स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भृतपूर्व इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के विलय के साथ 26 फरवरी 1987 को किया गया था तथा यह 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात के संवर्धन और इलायची (छोटी और बडी) के विकास के लिए उत्तरदायी है। स्पाइसेस बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी संवर्धन के लिए एक अग्रणी संगठन है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए संचालित गतिविधयों की अगुवाई कर रहा है, ताकि भारतीय मसाला उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र बनने तथा वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में स्वच्छ और मुल्यवर्धित मसालों और शाकों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित होने में मदद मिल सके।

बोर्ड का अधिदेश प्रथमतः मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात हेतु मसलों की गुणवत्ता नियमित करने केलिए है। वर्ष 2019-20 के दौरान कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई भारी मंदी के बावजुद, वर्ष 2019-20 के दौरान भारत ने मसाले के निर्यात में वृद्धि बनाए रखी है और इसने मसाला निर्यात के इतिहास में पहली बार तीन बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य को पार कर लिया है। वर्ष 2018-19 के दौरान के 19505.81 करोड़ रु. (2805.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मुल्यवाले 11,00,250 टन निर्यात की तुलना में, वर्ष 2019-20 के दौरान अनुमानित निर्यात 21515.40 करोड रु. (3033.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मुल्यवाला 11,83,000 टन रहा। वर्ष 2019-20 के दौरान मसाले का निर्यात मात्रा और मूल्य, दोनों के संदर्भ में एक सर्वकालिक रिकॉर्ड था। वर्ष 2018-19 की तुलना में, निर्यात में रुपये के मुल्य में 10 प्रतिशत और मात्रा में आठ प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। डॉलर के संदर्भ में, यह वृद्धि आठ प्रतिशत है।

वर्ष 2019-20 के दौरान मसाले का निर्यात भी मात्रा और मूल्य (रुपये और डॉलर) दोनों ही के संदर्भ में इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया है। वर्ष 2019-20 के 19666.90 करोड रु. (2850.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्यवाले 10,75,000 टन के निर्यात लक्ष्य के मुक़ाबले में, 21515.40 करोड़ रु. (3033.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मुल्यवाले 11,83,000 ट न की लब्धि हासिल की गई है, जो मात्रा में 110 प्रतिशत, रुपये के तौर पर मुल्य 109 प्रतिशत और डॉलर की हैसियत से मुल्य 106 प्रतिशत है।

2019-20 के दौरान इलायची (बडी), मिर्च, अदरक, धनिया, जीरा, सेलरी, मेथी और अन्य बीज जैसे अजवायन बीज़, सरसों आदि के निर्यात में 2018-19 की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है। मुल्यवर्धित उत्पादों के मामले में, करी पाउडर / पेस्ट, पुदीना उत्पादों और मसाले तेलों व तैलीरालों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि देखी गई है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, मिर्च देश से निर्यात किया जाने वाला सबसे एकल मसाला है, जिसके बाद देश से कुल मसालों के निर्यात का 80 प्रतिशत हिस्सा पुदीना उत्पादों, जीरा, मसाला तेलों व तैलीरालों और हल्दी का होता है।

वर्ष 2019-20 में भारतीय मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात विश्व स्तर पर 180 स्थलों में किया गया। उनमें से प्रमुख देश चीन, अमेरिका, बांग्लादेश, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, मलेशिया, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और जर्मनी थे। इन नौ देशों ने वर्ष 2019-20 के दौरान कुल निर्यात अर्जन में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान किया।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने मूल्य की दृष्टि से 15 प्रतिशत और परिमाण के तौर पर तीन प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के 5411.18 करोड़ रुपए मूल्यवाले 4,68,500 टन के मुक़ाबले में 6211.70 करोड़ रुपए मुल्यवाले 4,84,000 टन मिर्च एवं मिर्च उत्पादों का निर्यात किया है। देश से मिर्च और मिर्च उत्पादों के निर्यात ने कुल मसाला निर्यात में मात्रा के संदर्भ में 40 प्रतिशत से अधिक और मूल्य के संदर्भ में 29 प्रतिशत का योगदान दिया। प्रमुख निर्यातक देशों में चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया और बांग्लादेश शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्दीना उत्पादों का निर्यात, परिमाण में पाँच प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से दो प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान के 3749.34 करोड़ रु. मूल्यवाले 21,610 टन के मुकाबले में 3838.35 करोड़ रुपए मूल्यवाला 22,725 टन रहा। प्रमुख खरीददार चीन, अमेरिका, सिंगापुर और जर्मनी रहे।

वर्ष 2019-20 के दौरान, परिमाण में 16 प्रतिशत और मुल्य में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले वर्ष के 2884.80 करोड़ रुपए मूल्यवाले 1,80,300 टन के मुकाबले में 3225 करोड़ रुपए मुल्यवाले कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात किया गया। प्रमुख बाजार चीन, बांग्लादेश, अमेरिका, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात हैं।



वर्ष 2018-19 में, 2193 करोड़ रुपये के मूल्य के 12,750 टन मसाला निचोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान 2645.25 करोड़ रु. के कुल 13,950 टन मसाला निचोड़ का निर्यात किया गया। मसाला निचोड़ के निर्यात में मात्रा के संदर्भ में नौ प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 21 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। संयुक्त राज्य अमेरिका मसाला निचोड़ का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसने मात्रा के संदर्भ में देश के कुल निर्यात का 30 प्रतिशत से अधिक आयात किया। अन्य प्रमुख खरीददार चीन, फ्रांस, जर्मनी और युके रहे।

वर्ष 2019-20 के दौरान भारत से हल्दी का निर्यात, पिछले वर्ष के 1416.16 करोड़ रुपए मूल्यवाले 1,33,600 के मुकाबले में 1216.40 करोड़ रुपए मूल्यवाले 1,36,000 टन रहा। भारतीय हल्दी के लिए अग्रणी खरीददार बांग्लादेश था जिसके बाद यूएसए, ईरान, मलेशिया, मोरक्को और युएई का स्थान आता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान छोटी इलायची और बड़ी इलायची का उत्पादन क्रमश: 11235 मीट्रिक टन और 8530 मीट्रिक टन था।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत योजना अर्थात् "मसालों के निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार तथा इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत योजना" को स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा मध्यम अविध ढांचा (एमटीएफ) योजना (2017-18 से 2019-20) के अंतर्गत 491.78 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2019-20 में, एमटीएफ के अंतर्गत 168.53 करोड़ रु. के स्वीकृत परिव्यय की तुलना में, बोर्ड को 105.00 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी और कुल व्यय 116.93 करोड़ रुपये था।

स्पाइसेस बोर्ड की 86वीं और 87वीं बोर्ड बैठकें क्रमशः कोच्ची, केरल में 16 नवंबर, 2019 को और विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में 29 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई थीं।

स्पाइसेस बोर्ड ने सामान्य अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करके मसाला उद्योग, विशेषकर कृषक समुदाय के पणधारियों को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में फसलविशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। बोर्ड ने मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और गुना; केरल में पुट्टडी; राजस्थान में जोधपुर और कोटा; आंध्र प्रदेश में गुंटूर; तिमलनाडु में शिवगंगा और उत्तर प्रदेश में रायबरेली में मसाला पार्कों की स्थापना की है।

कोच्ची, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुंटूर, तूतिकोरिन और कांडला में स्थित बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने वर्ष के दौरान, चुने हुए मसालों केलिए विश्लेषणात्मक सेवाएं और निर्यात परेषणों का अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन कार्य जारी रखा। कोलकाता में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है। बोर्ड की सभी क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ एएसआईडीई योजना के अंतर्गत स्थापित की गई हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने मसाला नमूनों के 1,16,772 मापदंडों का विश्लेषण किया जिनमें एफ़्लाटॉक्सिन, अवैध डाई, नाशकजीवनाशी अवशिष्ट, सालमोनेला आदि भी शामिल थे।

स्पाइसेस बोर्ड प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता संपर्क कार्यक्रमों (बीएसएम) का संचालन करता आ रहा है तािक मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच सीधा बाजार संपर्क स्थापित करने के लिए बातचीत का एक मंच प्रदान किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने विभिन्न राज्यों में आठ बीएसएम आयोजित किए, जिनमें से तीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे।

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों व मसाला उत्पादों के निर्यात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता पुरस्कारों की व्यवस्था की है। माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 22 फरवरी, 2020 को केरल के कोच्ची में वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए निर्यातकों को मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता हेतु ट्रॉफियां और पुरस्कार वितरित किए।

माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 22 फरवरी, 2020 को कोच्ची, केरल में भारतीय मसाला क्षेत्र के निम्निलिखित महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों/परियोजनाओं का शुभारंभ किया 1) विश्व मसाला कांग्रेस 2020 का पूर्वावलोकन; 2) भारत में मसाला मूल्यश्रृंखला को मजबूत करने के लिए डब्ल्यूटीओ की मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) और संयुक्त राष्ट्र परियोजना के एफएओ के साथ सहयोगात्मक परियोजना की शुरूआत; 3) इलायची के लिए पादप संरक्षण संहिता का शुभारंभ; 4) राष्ट्रीय मसाला संधारणीय कार्यक्रम (एनएसएसपी) का शुभारंभ; 5) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रवर्तित एक हस्ताक्षर ब्रांड फ़्लेविरिट के अंतर्गत मसालों की ऑनलाइन बिक्री का शुभारंभ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने 58 अग्रणी मसाला निर्यातकों की सहभागीदारी के साथ प्रमुख आयातक देशों में आठ अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। बोर्ड ने देश के प्रमुख स्थानों पर 22 घरेलू प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

किसानों को छोटी इलायची के 1629.38 हेक्टेयर पुनर्रोपण के लिए और बड़ी इलायची के 2579.43 हेक्टेयर पुनर्रोपण/नवीन रोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।। बोर्ड की



विभागीय नर्सिरयों में छोटी इलायची की कुल 2.45 लाख रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया और उसे किसानों को वितरित किया गया। प्रमाणित नर्सरी योजना के अंतर्गत, किसानों को छोटी इलायची के 9.10 लाख पादपों और बड़ी इलायची के 24.90 लाख पादपों/अंतर्भूस्तिरयों के उत्पादन के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। छोटी इलायची के लिए 38 सुधरी क्यूरिंग हाउसों और बड़ी इलायची के लिए 30 आशोधित भट्टी के लिए किसानों को सहायता प्रदान की गई।

फसल-कटाई उपरांत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, 61 सीड स्पाइस थ्रेशर, 179 कालीमिर्च थ्रेशर, 41 हल्दी स्टीम बॉयिलिंग इकाइयां, 18 हल्दी पॉलिशिंग इकाइयां, 58 जायफल ड्रायर्स, सात पुदीना आसवन इकाइयां और 231 केंचुआ-कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित करने के लिए मसाला किसानों को सहायता प्रदान की गई।

बोर्ड ने उत्तर प्रदेश, तिमलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और पूर्वोत्तर क्षेत्र से अनुसूचित जाित/अनुसूचित जनजाित श्रेणी से संबंधित 335 किसानों के लिए अनुभवजन्य दौरों का आयोजन किया है। किसानों को केरल में मसाला प्रसंस्करण इकाइयों, इलायची नीलामी केंद्र और अनुसंधान संस्थान में ले जाया गया। उन्हें मसाला पौधशाला प्रबंधन और श्रेष्ठ कृषि प्रक्रियाओं (जीएपी) का प्रशिक्षण दिया गया।

स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2019-20 के दौरान भी मसालों व पाक शाकों की कोडेक्स समिति के सचिवालय के रूप में अपनी सेवाएँ जारी रखीं। कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन ने 8 से 12 जुलाई 2019 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित अपने 42वें सत्र (सीएसी42) में सूखे/निर्जलित लहसुन के लिए मानक अपनाया। इस मानक का मसौदा तैयार करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग ग्रूप (ईडब्ल्युजी) की अध्यक्षता भारत ने की थी।

बोर्ड ने केरल में 14, कर्नाटक में 10 और पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार

मसाला क्लीनिकों का संचालन किया और इनमें किसानों को खेती के विभिन्न पहलुओं पर सलाह दी गई।

मसालों की खेती और प्रसंस्करण का कार्य कर रहे किसानों के सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत स्पाइसेस बोर्ड पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) को लागू कर रहा है। वर्ष के दौरान, देश के विभिन्न राज्यों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित 21 कार्यक्रमों सिंहत कुल 95 कुल कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3866 पणधारियों को लाभान्वित किया गया।

बोर्ड ने राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं और उन्हें समुचित रूप से संचालित किया है तथा बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन दिया है और इस कार्य की निगरानी भी की है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम और अन्य आदेशों के अनुसार, बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को और अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए अपने प्रयासों को वर्ष 2019-20 के दौरान भी जारी रखा।

बोर्ड ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 को प्रभावी रूप से लागू किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने स्वतः प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक सूचना को उस रूप और तरीके से प्रदर्शित किया है कि वह बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सुलभ है [आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)]। वर्ष 2019-20 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 113 आरटीआई आवेदन और छह अपीलें प्राप्त हुई तथा सभी मामलों में निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान कर दी गई।



1. संघटन और प्रकार्य

अ) स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुड़े मामलों के नियंत्रण सिंहत मसालों के नियंत्र के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड का गठन किया, जो 26 फरवरी 1987 से अस्तित्व में आ गया।

आ) स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में:

- क) अध्यक्ष की नियक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी
- ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने होते हैं
- ग) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्य
 - (i) वाणिज्य
 - (ii) कृषि; एवं
 - (iii) वित्त;
- घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि छह सदस्य *;
- ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य;
- च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य;
- छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्यः
 - (i) योजना आयोग (संप्रति नीति आयोग);
 - (ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई;
 - (iii) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसुरु;
 - (iv) भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कोषिक्कोड;
- झ) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य।

इ) बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986, के मुताबिक स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं

क) बोर्ड

- (i) मसालों का विकास, प्रचार एवं निर्यात-नियमन करें ;
- (ii) मसालों के निर्यात केलिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;
- (iii) मसालों के निर्यात को बढावा देने केलिए कार्यक्रम व परियोजना चलाएं;
- (iv) मसालों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग व पैकेजिंग की गुणवत्ता तकनीक के सुधार केलिए अनुसंधान व अध्ययन कार्य को सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान करें;
- (v) निर्यातार्थ मसालों के मूल्य के स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास करें:
- (vi) उपयुक्त गुणवत्ता प्रतिमानों का विकास तथा निर्यातलायक मसालों का गुणवत्ताचिह्नाँकन द्वारा गुणवत्ता-प्रमाणीकरण करें;
- (vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;
- (viii)निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को निर्धारित निबंधनों व शर्तों के आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करें;
- (ix) निर्यात बढाने के हित में आवश्यकता महसूस होने पर किसी भी मसाले का विपणन करें;
- (x) मसालों केलिए विदेशों में भंडागार सुविधाएं प्रदान करें:
- (xi) संकलन एवं प्रकाशनार्थ मसाले विषयक साँख्यिकी इकट्ठा करें;
- (xii) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री केलिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा
- (xiii)मसालों के आयात-निर्यात संबंधी बातों पर केंद्रीय सरकार को सलाह दे दें।

^{*} वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना नं. 157(ई) दिनांक 2 फरवरी, 2018 के अनुसार संशोधित



ख) साथ ही, बोर्ड

- (i) इलायची कृषकों के बीच सहकारी प्रयासों को बढावा दें;
- (ii) इलायची कृषकों को लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;
- (iii) इलायची खेती और प्रसंस्करण के सुधरे तरीकों, इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण केलिए वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करें:
- (iv) इलायची की बिक्री को विनियमित तथा उसके मूल्य को स्थिर रखें;
- (v) इलायची की जाँच तथा उसके ग्रेड मानदण्डों को स्थिर करने का प्रशिक्षण प्रदान करें;
- (vi) इलायची के उपभोग को बढावा दें तथा उसके प्रचार-प्रसार को ज़ारी रखें;
- (vii) इलायची के (नीलामकर्त्ताओं सहित) दलालों एवं इलायची का धंधा करनेवाले लोगों को पंजीयन और

अनुज्ञप्ति दें;

- (viii)इलायची के विपणन में सुधार करें;
- (ix) इलायची उद्योग से जुडे किसी भी विषय पर कृषकों, व्यापारियों या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट लोगों से आँकडा इकट्ठा करें और उनको या उनके अंश को या उनके सारांश को प्रकाशित करें;
- (x) श्रिमिकों केलिए बेहतर कार्यकारी पिरिस्थितियाँ और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और
- (xi) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा आर्थिक अनुसंधान कार्य चलाएँ, उनकेलिए प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।
- ई) बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं:-

1	इलायची	19	कोकम	37	जूनिपर बेरी
2	कालीमिर्च	20	पुदीना	38	बे-पत्ता
3	मिर्च	21	सरसों	39	लूवेज
4	अदरक	22	अजमोद	40	मर्जोरम
5	हल्दी	23	अनारदाना	41	जायफल
6	धनिया	24	केसर	42	जावित्री (मेस)
7	जीरा	25	वैनिला	43	तुलसी
8	बडी सौंफ	26	तेजपात	44	खसखस
9	मेथी	27	पीपला	45	ऑलस्पाइस
10	सेलरी	28	स्टार एनीज़	46	रोज़मेरी
11	सौंफ	29	घोड बच (स्वीट फ्लैग)	47	सेज
12	अजोवन (मसाले का पौधा)	30	महा गलेंजा	48	सेवरी
13	काला जीरा	31	होर्स-रैडिश	49	थाइम
14	सोआ	32	केपर	50	ओरगेनो
15	दालचीनी	33	लौंग	51	टेरागन
16	अमलतास (कैसिया)	34	हींग	52	इमली
17	लहसुन	35	केंबोज		
18	करी पत्ता	36	हिस्सप		

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)



2. प्रशासन

अ) प्रशासन

वर्ष 2019-20 के दौरान, श्री सुभाष वासु एवं श्री डी. सत्यन आईएफ़एस ने क्रमशः स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ जारी रखीं।

सुश्री ए. षैनामोळ आईएएस ने 28-08-2019 से लेकर निदेशक(वित्त) का पदभार ग्रहण किया। श्री पी.एम.सुरेषकुमार, निदेशक ने 23-02-2020 तक निदेशक (विपणन) का भार सँभाला और 27-08-2019 तक निदेशक (वित्त) का पूर्ण अतिरिक्त भार सँभाला। श्री पी.एम. सुरेषकुमार, निदेशक को निदेशक (प्रशासन) के रूप में 24 फरवरी, 2020 को पुनःपदनामित किया गया। इस अवधि के दौरान, डॉ. रमाश्री ए.बी., निदेशक (अनुसंधान) के रूप में जारी रही और निदेशक (विकास) का अतिरिक्त भार भी सँभाला। श्री एस. नल्लकण्ण, उप निदेशक ने 24-02-2020 से 31-03-2020 तक निदेशक (विपणन) का भार सँभाला।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने पत्र संख्या 5/6/2018 प्लांट डी दिनांक 04-02-2020 के ज़िरए युक्तीकरण और पुनर्गठन प्रस्ताव केलिए मंजूरी दे दी तािक बोर्ड के संसाधन का उचित उपयोग हेतु एक कृश संरचना हो। प्रस्ताव के अनुसार, बोर्ड की कुल स्टाफसंख्या 513 से 379 होकर कम हो गई है और 106 कार्यालयों में से 15 कार्यालय बंद किए जाने हैं।

स्पाइसेस बोर्ड ने पुनर्गठन प्रस्ताव में अनुमोदित लक्ष्यीकृत स्टाफ संख्या प्राप्त की है। जैसे कि 31 मार्च, 2020 को है, 379 की मंजूर संख्या के खिलाफ स्पाइसेस बोर्ड की स्टाफ संख्या 77 वर्ग क, 99 वर्ग ख, चार विभागीय कैंटीन कर्मचारियों सहित 150 वर्ग ग को मिलाकर 326 है।

बोर्ड ने 74 पात्र कर्मचारियों को एमएसीपी प्रदान की, जो पिछले दो सालों से लंबित थी और वैज्ञानिक 10 सी के ग्रेड पर पात्र तीन वैज्ञानिकों को एफ़एफ़सीएस।

बोर्ड ने गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में विश्लेषणात्मक सेवाएँ, अनुसंधान स्टेशनों में कृषि विस्तार सेवाएँ और प्रचार, पुस्तकालय, ईडीपी जैसे विविध विभागों में सरकारी कामकाज केलिए स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से 100 से भी ज़्यादा बेरोजगार युवकों को काम में लगाया।

वर्ष के दौरान स्पाइसेस बोर्ड की 86वीं व 87 वीं बोर्डबैठक क्रमश: स्पाइसेस बोर्ड के कोच्ची के मुख्यालय में 16-11-2019 और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में 29-02-2020 को आयोजित की गई।

क) नियुक्तियों एवं पदोन्नितयों में अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए पद-आधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का भी कडाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि 31 मार्च, 2020 को है, अ.जा./अ.ज.जा. और अ.पि.व. की श्रेणियों में 176 पदाधिकारी थे। मितोपभोग उपायों के कारण वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, रिपोर्टाधीन अविध के दौरान पदाधिकारियों को 04-02-2020 तक कोई पदोन्नित नहीं दी गई। बोर्ड ने, मंत्रालय द्वारा बोर्ड के युक्तिकरण एवं पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुमोदन पर बोर्ड के पात्र पदाधिकारियों को पदोन्नितयाँ प्रदान करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ की।

ख) महिला कल्याण

जैसे कि 31 मार्च 2020 को है, बोई की 'क', 'ख' व 'ग' श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 88 थी। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान दिया जाता है। बोर्ड की वर्ग 'क' स्तर की एक महिला अधिकारी को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, तािक महिलाओं की परेशानियां/समस्याएं, यिद कोई हो, तो उन्हें जानने और संभव समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके।



ग) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. कल्याण

बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल हेतु और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा अ.जा./अ. ज.जा. व अ.पि.व. से संबंधित आरक्षण मामलों के लिए संपर्क अधिकारियों को पदनामित किया जा चुका है।

घ) दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से जुडे आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामित किया है और विकलांग व्यक्तियों का आरक्षण-रोस्टर बनाए रखा जाता है।

ड) बोर्ड के कार्यालय

बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोच्ची में स्थित है। बोर्ड के देश भर में 104 कार्यालय हैं जिनमें 31 निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी व बड़ी इलायची के लिए 54 विकास कार्यालय/फार्म, चार अनुसंधान स्टेशनें, सात गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गृ.मू.प्र.) और आठ मसाला पार्क शामिल हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहे।


(i) निर्यात संवर्धन कार्यालय

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	पडेरू	आंध्र प्रदेश
2	खम्मम	आंध्र प्रदेश
3	वारंगल	आंध्र प्रदेश
4	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
5	गुवाहटी	असम
6	पटना	बिहार
7	जगदलपुर	छत्तीसग़ढ
8	दिल्ली	दिल्ली
9	पोंडा	गोआ
10	अहमदाबाद	गुजरात
11	ऊँझा	गुजरात
12	उना	हिमाचल प्रदेश
13	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
14	बैंगलूरू	कर्नाटक
15	मुंबई	महाराष्ट्र
16	चुराचंदपुर	मणिपुर
17	शिलाँग	मेघालय

18	आइज़ॉल	मिज़ोरम
19	कोरापुट	उडीसा
20	चंडीगढ	पंजाब/हरियाणा
21	जोधपुर	राजस्थान
22	सिंगटम	सिक्किम
23	चेन्नई	तमिलनाडु
24	नागरकोविल	तमिलनाडु
25	निज़ामाबाद	तेलंगाना
26	हैदराबाद	तेलंगाना
27	अगरतला	त्रिपुरा
28	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
29	साँबल	उत्तर प्रदेश
30	देहरादून	उत्तराखंड
31	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(ii) अनुसंधान व विकास कार्यालय/फार्म

_ \ _		
	इलायची	
क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	अंडिमाली	केरल
2	एलप्पारा	केरल
3	कल्पेट्टा	केरल
4	कट्टप्पना	केरल
5	कुमली	केरल
6	नेडुंकण्डम	केरल
7	पांपाडुम्पारा	केरल
8	पीरमेड	केरल
9	पुट्टडी	केरल
10	राजाक्काड	केरल
11	राजकुमारी	केरल
12	शांतनपारा	केरल
13	उडुंबनचोला	केरल
14	बोडिनायकन्नूर	तमिलनाडु
15	ईरोड	तमिलनाडु
16	सेलम	तमिलनाडु
17	आइगूर (फार्म)	कर्नाटक
18	बागमंडला	कर्नाटक
19	बेलगोला (फार्म)	कर्नाटक



20	बेलिगेरी (फार्म)	कर्नाटक
21	बेट्टडामने (फार्म)	कर्नाटक
22	चिकमंगलूर	कर्नाटक
23	सकलेशपुर	कर्नाटक
24	हावेरी	कर्नाटक
25	कोप्पा	कर्नाटक
26	मडिक्केरी	कर्नाटक
27	मुडिगेरे	कर्नाटक
28	शिवमोगा	कर्नाटक
29	सिरसी	कर्नाटक
30	सोमवारपेट	कर्नाटक
31	वनगूर	कर्नाटक
32	विराजपेट	कर्नाटक
33	येसलूर(फार्म)	कर्नाटक

(iii) बड़ी इलायची

क्रम सं.	स्थान	राज्य/संघ शासित प्रदेश
1	आलो	अरुणाचल प्रदेश
2	बोमडिला	अरुणाचल प्रदेश
3	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
4	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
5	नमसाई	अरुणाचल प्रदेश
6	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
7	रोइंग	अरुणाचल प्रदेश
8	तेज़ू	अरुणाचल प्रदेश
9	ज़िरो	अरुणाचल प्रदेश
10	तिनसुकिया	असम
11	दीमापुर	नागालैंड
12	कोहिमा	नागालैंड
13	मोकोकचुंग	नागालैंड
14	गान्तोक	सिक्किम
15	गेयसिंग	सिक्किम
16	जोरथांग	सिक्किम

17	काबी (फार्म)	सिक्किम
18	मंगन	सिक्किम
19	पांगथांग (फार्म)	सिक्किम
20	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल
21	सुखियापोखरी	पश्चिम बंगाल

(iv) अनुसंधान स्टेशनें

1	मैलाडुंपारा	केरल
2	डोनिगल-सकलेशपुर	कर्नाटक
3	ताडियनकुड़िशि	तमिलनाडु
4	तादोंग	सिक्किम

(v) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यू ई एल)

1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	काण्डला	गुजरात
3	कोच्ची	केरल
4	मुम्बई	महाराष्ट्र
5	नरेला	नई दिल्ली
6	चेन्नई	तमिलनाडु
7	तूतिकोरिन	तमिलनाडु

(vi) मसाला पार्क

1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	पुट्टडी	केरल
3	छिंदवाडा	मध्य प्रदेश
4	गुना	मध्य प्रदेश
5	जोधपुर	राजस्थान
6	कोटा	राजस्थान
7	शिवगंगा	तमिलनाडु
8	राय बरेली	उत्तर प्रदेश

च) विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समितियों का ब्यौरा

वर्ष 2019-20 के दौरान वाणिज्य विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी सिमिति ने "कृषि व समुद्री उत्पाद, बागान फसल, हल्दी व कयर का निर्यात" विषय पर जांच के लिए 06 से 10 जनवरी, 2020 की अविध में विजयवाड़ा, बंगलुरु तथा कोच्ची का दौरा किया और बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की।



छ) जेम (GeM) के ज़रिए उत्पादों व सेवाओं की अधिप्राप्ति

सुरक्षा, हाउसकोपिंग, इलेक्ट्रोशियन आदि सभी आउटसोर्स की गई सेवाएँ, सरकार-इ-बाज़ार के ज़रिए अधिप्राप्त की गईं। कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेखन-सामग्रियाँ आदि जैसे उत्पाद भी जेम के ज़िरए खरीदे गए (कुल खरीद का 70 प्रतिशत से अधिक जेम के ज़िरए किया गया)।

ज) स्वच्छ भारत कार्यकलाप

वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के भाग के रूप में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी कार्यकलाप सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए और फोटो सहित रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित की गईं।

झ) राष्ट्रीय महत्ववाले दिनों का मनाया जाना

स्पाइसेस बोर्ड में, स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, गांधी जयन्ती, संविधान दिवस, आतंकवाद-विरोधी दिवस, योगा दिवस और राष्ट्रीय महत्व के अन्य दिनों, सतर्कता जागरूकता सप्ताह और हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा मनाए गए।

आ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम बनाने और उनका संचालन करने में बोर्ड की सहायता करने और बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के मॉनीटिरंग और कार्यन्वयन हेतु उत्तरदायी नॉडल पॉइंट है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग, सचिव और बोर्ड की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की सहमित और अनुमोदन से वर्ष 2019-20 के दौरान भी राजभाषा नीति के कार्यन्वयन को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में राजभाषा अनुभाग प्रयासरत रहा।

क) प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां

i) अनुवाद

- निम्नलिखित का अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिन्दी और उल्टे) किया गया
- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश, परिपत्र,

- निविदा दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, वीआईपी संदर्भ आदि।
- वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2018-19 और संसद के समक्ष प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासिनक रिपोर्टे।
- पृष्ठभूमि नोट, विभिन्न संसदीय समितियों के बोर्ड के दौरे/ निरीक्षण के लिए भरी हुई प्रश्नावली और अन्य सामग्रियाँ।
- हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके हिन्दी में उत्तर सेवारत कार्मिकों के लिए विजिटिंग कार्ड, रबड़ मुहर और बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत होने वाले कार्मिक को स्मृतिचिह्न के लिए सामग्री।
- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी समारोहों के लिए बैनर, बैकड्रोप, निमंत्रणकार्ड, कार्यक्रम शीट आदि सामग्री।

(ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वमयन

क) राजभाषा कार्यान्वायन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करने के अनुरूप चार बैठकें क्रमश: 30-05-2019 (अप्रैल-जून, 2019), 21-08-2019 (जुलाई-सितंबर, 2019), 13-12-2019 (अक्तूबर-दिसंबर, 2019) और 16-03-2020 (जनवरी-मार्च, 2020) को आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों की अध्यक्षता सचिव द्वारा की गईं।

ख) हिन्दी कार्यशाला

मुख्यालय के वर्ग 'क' अधिकारियों केलिए 24-06-2019 को कार्यशाला का आयोजन किया गया। श्री कुमार पाल शर्मा, उप निदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दक्षिण-पश्चिम), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय भवन, काक्कनाड, कोच्ची ने कार्यशाला का संचालन किया। कुल 27 अधिकारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इसके अलावा, स्टाफ सदस्यों के लिए मुख्यालय में 25 सितंबर, 2019, 27 दिसंबर, 2019 और 17 मार्च, 2020 को तीन हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया और 50 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इनको राजभाषा नीति तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु बोर्ड के कार्यकलापों के बारे में समझाया गया।



केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल और मई, 2019 के महीनों के दौरान आयोजित पाँच दिवसीय गहन कार्यशाला के लिए बोर्ड ने गु.मू.प्र., नरेला, नई दिल्ली और क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर के अधिकारियों को नामित किया।

ग) सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण

मुख्यालय के एक और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कार्यालयों के 12 पदाधिकारियों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अंतर्गत पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिंदी [प्रबोध-1, प्रवीण-5 और प्राज्ञ-7] में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है।

इसके अलावा, मुख्यालय के तीन पदाधिकारियों को हिन्दी शब्द संसाधन एवं हिन्दी कंप्यूटर टंकण प्रशिक्षण केलिए नामित किया गया और इन पदाधिकारियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया।

घ) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए चंदा

बोर्ड ने, हिन्दी अखबार "दैनिक हिन्दी मिलाप" और *सरिता* व विनता नामक हिन्दी पत्रिकाओं के लिए चंदा ज़ारी रखा।

ङ) राजभाषा निरीक्षण

श्री बद्री यादव, अनुसंधान अधिकारी (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (एनईआर), गुवाहटी द्वारा 20-01-2020 को स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय, गुवाहटी का दौरा व निरीक्षण किया गया। प्रभारी अधिकारी, प्रादेशिक कार्यालय, गुवाहटी ने कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर कार्यकलापों से संबन्धित विवरण दिया और उसके बाद अधिकारियों व स्टाफ के साथ परिचर्चा हुई।

च) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा समारोह 2019

बोर्ड ने 14 सितंबर, 2019 को 'हिन्दी दिवस' का आयोजन किया। हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2019 का उद्घाटन 17 सितंबर, 2019 को आयोजित किया गया। श्री के.एस. श्रीनिवास आईएएस, अध्यक्ष, एमपीईडीए मुख्यातिथि रहे। श्री डी. सत्यन आईएफ़एस, सिचव, स्पाइसेस बोर्ड ने समारोह की अध्यक्षता की। श्रीमती ए. षैनामोळ आईएएस, निदेशक (वित्त) तथा श्री पी.एम. सुरेष कुमार, निदेशक (विपणन) ने बधाई भाषण दिए। श्री एस. रूपेष कुमार, उप निदेशक (लेखापरीक्षा व सतर्कता) ने वाणिज्य सिचव का संदेश सुनाया और डॉ. जी. उषाराणी, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने इस अविध में राजभाषा अनुभाग के कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी दी और संघ के गृह मंत्री

का संदेश पढ़कर सुनाया साथ ही सभी उपस्थितों का स्वागत किया। श्री बिजू डी. षेणाई, किनष्ठ हिन्दी अनुवादक ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् गुवाहटी व गान्तोक और आईसीआरआई, मैलाडुंपारा एवं आरआरएस, तादोंग में भी हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़ा समारोहों का आयोजन किया गया।

मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों में स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

बोर्ड ने हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2019 के सिलिसले में विशेष कार्यक्रम के रूप में कोच्ची और आसपास के स्कूलों के कक्षा V-VII के छात्रों केलिए हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की।

मुख्यालय में हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह 2019 का आयोजन 28 जनवरी, 2020 को किया गया। श्री डी.वी. स्वामी आईएएस, विकास आयुक्त, सीएसईज़ेड, काक्कनाड समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह के दौरान, मुख्यालय के स्टाफ सदस्यों के लिए आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं एवं स्टाफ द्वारा हिन्दी में किए गए सराहनीय काम केलिए ट्रॉफियाँ/नकद पुरस्कार/प्रमाणपत्र, राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार, अनुभागों के लिए राजभाषा रोलिंग/रन्नर अप ट्रोफी, वर्ष 2019 में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में विशेष प्रयास के लिए पुरस्कार, हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2019 के सिलिसले में विशेष कार्यक्रम के रूप में कोच्ची और आसपास के स्कूलों के कक्षा V-VII के छात्रों केलिए आयोजित हिन्दी कविता पाठ प्रतियोगिता के विजेताओं केलिए ट्रॉफियाँ तथा प्रमाणपत्र आदि प्रदान किए गए।

छ) नराकास द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

- संयुक्त राजभाषा समारोह 2019 से जुडे खर्च की पूर्ति के लिए कोच्ची, गान्तोक तथा गुवाहटी नराकासों को अपने-अपने अंशदान की व्यवस्था की
- 26-06-2019 को गान्तोक में संपन्न नराकास की बैठक में प्रादेशिक कार्यालय, गान्तोक के प्रभारी अधिकारी ने भाग लिया
- गुवाहटी के नराकास की बैठक में प्रादेशिक कार्यालय, गुवाहटी के वैज्ञानिक-सी सह प्रभारी अधिकारी तथा एक और पदाधिकारी ने भाग लिया



- निदेशक (विपणन) और किनष्ठ हिन्दी अनुवादक ने 13-08-2019 को आयोजित कोच्ची नराकास बैठक में भाग लिया।
- मुख्यालय के हिन्दी अनुभाग के पदाधिकारियों ने 21-08-2019 को कोच्ची नराकास के सदस्य संगठनों में कार्यरत राजभाषा कर्मचारियों की बैठक में भाग लिया।
- निदेशक (वित्त) और किनष्ठ हिन्दी अनुवादक ने 29-10-2019 को आयोजित कोच्ची नराकास बैठक में भाग लिया।

(iii) स्पाइस इंडिया (हिन्दी)

स्पाइस इंडिया (हिंदी) मासिक पत्रिका के सभी अंक निकाले गए।

(ग) पुस्तकालय एवं प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत ग्रंथसूची डाटा बेस सहित

पुस्तकों व पित्रकाओं का एक अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय व प्रलेखन इकाई को मजबूत बनाने की प्रिक्रिया, नई पुस्तकों व पित्रकाओं को जोड़कर जारी रखा गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, 163 नई पुस्तकें जोडी गईं और करीब 120 पित्रकाओं के लिए चंदा ज़ारी रखा गया। पुस्तकालय ने किताबें जारी करना तथा वापस लेना, दस्तावेज़ों व पित्रकाओं का पिरचालन, करंट एवेयरनेस सेवा, दैनिक सूचना सेवाएं, ईसमाचारपत्र पठन और जर्नलों को मुक्त अभिगम्यता और स्पाइसेस समाचार सेवा जैसी नियमित सेवाएं ज़ारी रखीं। विविध संस्थाओं के करीब 25 छात्रों तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन सिहत संदर्भ सुविधाएं प्रदान की गई। नियमित कार्यकलापों के अलावा जैविक कृषि, जलवायु पिरवर्तन, भारतीय कृषि, कालीमिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, पुदीना, बीजीय मसालों, वृक्ष मसालों, तेल व तैलीराल पर सचना संकलित की गई।



3. वित्त और लेखा

बोर्ड की योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए वित्तीय व्यवस्था भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं आर्थिक सहायता द्वारा की जाती है। प्रशासन के खर्च मुख्यतः सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान और बोर्ड के विविध कार्यकलापों से अर्जित आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीबार) के जिरए जाते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड के लिए अनुमोदित बजट 10500.00 लाख रुपए है। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत सरकार से अनुदान के लिए 5410.00 लाख रुपए, इमदाद के लिए 3400.00 लाख रुपए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रावधान के रूप में 690.00 लाख रुपए और एस सी उपप्लान के लिए प्रावधान के रूप में 500.00 लाख रुपए और जनजातीय उप-प्लान के लिए प्रावधान के रूप में 500.00 लाख रुपए और जनजातीय उप-प्लान के लिए प्रावधान के रूप में 500.00 लाख रुपए बोर्ड को प्राप्त हुए। बोर्ड ने 2019-20 के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता जांच-सेवाओं के विश्लेषण चार्ज, पौधशालाओं से पादपों, अनुसंधान फार्मों के फार्म-उत्पादों की बिक्री, चंदा एवं विश्लेषण शुल्क, निर्यातकों का रिजस्ट्रीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालीन जमा पर ब्याज आदि से 2128.49 लाख रुपए का आईईबीआर अर्जन किया। वर्ष 2019-20 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड का कुल व्यय 11693.30 लाख रुपए था, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

लेखा शीर्ष	व्यय (लाख रूपयों में)
निर्यातोन्मुख उत्पादन	3847.79
निर्यात विकास एवं संवर्धन	2297.60
निर्यातोन्मुख अनुसंधान	699.30
गुणवत्ता सुधार	925.47
एच आर डी व निर्माणकार्य	108.21
स्थापना	3814.93
कुल	11693.30

बोर्ड अन्य सरकारी विभागों एवं राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे कि आईसीएआर, एएसआईडीई और अन्य से प्राप्त अनुदानों से कुछ चालू पिरयोजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करता आ रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसी पिरयोजनाओं से प्राप्त अनुदानों एवं किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

•		
कार्यक्रम	प्राप्त अनुदान (लाख रूपयों में)	व्यय (लाख रूपयों में)(*)
ए एस आई डी ई	0.00	51.80
ए एस आई डी ई आई आई पी एम	0.00	24.23
आई सी ए आर - ए आई सी आर पी एस	19.50	10.66
ईस्पाइस बाज़ार परियोजना	0.00	17.77
हंक के मूल्यांकन अध्ययन	7.70	0.00
आर पी एल - पी एम के वी ई	0.00	4.20
एनएआईपी	0.00	5.73
एसएचएम - जैव प्रौद्योगिकी	0.00	17.23
एसएचएम मोबाइल एग्री क्लिनिक	0.00	6.79
डब्ल्यूजीडीपी कर्नाटक	0.00	7.33
सूक्ष्मजीवविज्ञान में उत्कृष्टता का केंद्र	0.00	0.59
डब्ल्यूटीओ - एसटीडीएफ़	0.00	1.00
कुल	27.20	147.35

* व्यय में पिछले वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उपयोग में लाया गया अनुदान शामिल है।

स्पाइसेस बोर्ड पर वैधानिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2019-20 के अनुच्छेद परिशिष्ट-1 में हैं।



वार्षिक रिपोर्ट २०१९-२०

4. निर्यातोन्मुख उत्पादन

स्पाइसेस बोर्ड, इलायची (छोटी और बडी) के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार तथा समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। बोर्ड, निर्यात हेत् गुणवत्तायुक्त मसालों के उत्पादन के लिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फसलोत्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को 'निर्यातोन्मुख उत्पादन' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

विकास कार्यक्रम, बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, जिनमें प्रादेशिक कार्यालय, मंडल कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड ने मसाला उत्पादकों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय पौधशालाओं का अनुरक्षण जारी रखा है।

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के विकास और विपणन को बढावा देने और राज्य में उगाए जाने वाले मसालों के अनुसंधान, उत्पादन, विपणन, गुणवत्तासुधार और निर्यात कार्यक्रमों को लागू करने में विभिन्न राज्य, केंद्र और संबद्ध एजेंसियों/संस्थानों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए निम्नलिखित 11 मसाला विकास एजेंसियों (एसडीए) की स्थापना की।

गुवाहटी	गान्तोक	उत्तर प्रदेश	गुना एसडीए
एसडीए	एसडीए	एसडीए	
ऊंझा एसडीए	जोधपुर एसडीए	मुम्बई एसडीए	गुंटूर एसडीए
हावेरी एसडीए	इंरोड एसडीए	वारंगल एसडीए	श्रीनगर
(141) (110)	2110 (1101)	पारगरा द्राजाद	एसपीईडीए

संबंधित राज्य के मुख्य सचिव एसडीए के अध्यक्ष हैं तथा प्रत्येक एसडीए में मसाला उत्पादकों, निर्यातकों, व्यापारियों, राज्य बागवानी/कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक (जेडीजीएफ़टी), कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 सदस्य हैं। बोर्ड का संबंधित प्रादेशिक अधिकारी एसडीए का सदस्य सचिव रहेगा। एसडीए ने बैठकें आयोजित की हैं और एसडीए बैठकों में लिए

गए निर्णयों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

ग्यारह एस डी ए के अतिरिक्त स्पाइसेस बोर्ड ने जम्मू-कश्मीर में केसर के विकास, विपणन, गुणवत्ता, निर्यात और घरेलू खपत को बढावा देने के लिए श्रीनगर में केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) की स्थापना की है। एसपीईडीए की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव और जम्मु-कश्मीर के मुख्य सचिव करते हैं।

मसालों का निर्यातोनमुख उत्पादन

वर्ष 2019-20 के दौरान 'मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन' योजना के अंतर्गत लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया जाता है :

अ) इलायची (छोटी)

छोटी इलायची मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाड़ के पश्चिमी घाटों में उगाई जाती है। इलायची उत्पादन के अधिकांश जोत क्षेत्र छोटे और मामुली हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान 11,230 मीट्रिक टन के अनुमानित उत्पादन के साथ कुल 69,993 हेक्टेयर क्षेत्र में छोटी इलायची उगाई गई थी। छोटी इलायची के विकास के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

क) पुनःरोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, तिमलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची के प्राने, जीर्ण और अलाभकर बागानों के मामलों पर ध्यान देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और सीमांत कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें पुराने, जीर्ण और अलाभकर बागानों के पुनरोपण लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। केरल और तमिलनाडु में सामान्य कृषकों को प्रति हेक्टेयर 70,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 1,57,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर तथा कर्नाटक में सामान्य को प्रति हेक्टेयर 50,000/- रुपए और अनुसुचित जाति व अनुसूचित जनजाति को 1,12,500/- रुपए प्रति हेक्टेयर की इमदाद की पेशकश की जाती है, जो पक्वनावधि के दौरान पुनःरोपण और अनुरक्षण की लागत के क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत के रूप में, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है। आठ हेक्टेयर तक के पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची



कृषक इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, विकास विभाग ने इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के ज़िरए 1629.38 हेक्टयर छोटी इलायची (जिसमें प्रथम किस्त - 903.28 हे. और पिछला बकाया मामले, अर्थात् 2017-18 एवं 2018-19 दोनों वर्षोंकी प्रथम व द्वितीय किस्त -726.1 हे. शामिल हैं) के पुनरोपण केलिए सहायता प्रदान की है। 3972 कृषकों (2354 लाभार्थी प्रथम किस्त केलिए और 1618 कृषक पिछला बकाया भुगतान केलिए) को लाभ पहुंचाते हुए योजना के अंतर्गत 547.68 लाख रुपए (जिसमें प्रथम किस्त 301.10 लाख रुपए एवं पिछला बकाया भुगतान अर्थात् वर्ष 2017-18 व 2018-19 दोनों वर्षों की प्रथम व द्वितीय किस्त 246.58 लाख रुपए शामिल है) की वित्तीय सहायता, इमदाद के रूप में प्रवान की गई।

ख) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण

बोर्ड की विभागीय पौधशालाओं द्वारा रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण किया गया। पांच विभागीय पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्रियाँ नाम मात्र दर पर उत्पादकों को वितरित की गई थीं। वर्ष 2019-20 के दौरान, कर्नाटक क्षेत्र के बोर्ड की पांच विभागीय पौधशालाओं से 2,45,534 इलायची रोपण सामग्री, 1,19,495 कालीमिर्च की मूल लगाई कतरनें, 6,196 कालीमिर्च न्यूक्लियस रोपण सामग्री, 610 झाड़ीदार कालीमिर्च रोपण सामग्री और 71 वैनिला रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया और उन्हें 842 कृषकों को वितरित किया गया।

ग) रोपण सामग्री उत्पादन

आगामी मौसम के लिए रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए किसानों को अपने स्वयं के खेत में इलायची अंतर्भूस्तरियों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 146 लाभार्थी किसानों को शामिल करते हुए 22.75 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 91 इकाइयां स्थापित की गईं।

घ) सिंचाई और भूमि विकास

अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इलायची के बागानों में गर्मी के महीनों के दौरान सिंचाई अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फार्म तालाबों, टैंकों, कुओं, वर्षा जल संभरण उपकरणों, सिंचाई उपकरणों की स्थापना और मृदा संरक्षण कार्यों जैसे सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करके इलायची के बागानों में जल संसाधनों में वृद्धि करके इलायची के बागानों में सिंचाई को

बढ़ावा देना है। बोर्ड केरल, तिमलनाडु और कर्नाटक राज्यों में कार्यक्रम लागू कर रहा है।

i) भंडारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, भण्डारण संरचनाओं की निर्माण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए इमदाद केवल एक निर्माण अर्थात् फार्म तालाब / कुएं / भंडारण टैंक के लिए प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम इमदाद प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इमदाद सामान्य श्रेणीके लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 20,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपए हैं, जो भी कम हो।

ii) सिंचाई उपकरणों का संस्थापन

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, आईपी सेट/ग्रेविटी सिंचाई उपकरणों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। स्प्रिक्लर/ड्रिप/ सूक्ष्म सिंचन के मामले में इलायची उत्पादक जिनके पास 1.00 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है और पंजीकृत है, वे आर्थिक सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लिए ग्रेविटी सिंचन की लागत का 25 प्रतिशत अथवा 2500/- रुपए; सिंचाई पंपसेट के लिए 10,000/- रुपए; स्प्रिक्लर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए 21,175/ रुपए, जो भी कम हो और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा ग्रेविटी सिंचन के लिए 7500/- रुपए; सिंचाई पंपसेट के लिए 30,000/- रुपए; स्प्रिक्लर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए 63,525/- रुपए,जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है।

iii) वर्षाजल संचय संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कोई भी किसान, जिसने पहले इसका लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं है। दो सौ घन मीटर क्षमता टैंक के निर्माण के लिए सामान्य श्रेणी के लिए, वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 12000/- रुपए; और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए, वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 27000/- रुपए, जो भी कम हो,



की इमदाद दी जाती है।

2019-20 के दौरान, कुल 77 जल भंडारण संरचनाओं और 41 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया और 66 सिंचाई पंपसेट और छह सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित की गईं, जिससे 190 किसानों को 24.23 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

आ) उत्तर पूर्व के लिए विकास कार्यक्रम इलायची (बड़ी)

बड़ी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के उपहिमालयी इलाकों में उगाई जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में कुल 26617 हेक्टेयर जमीन पर बड़ी इलायची उगाई गई थी और अनुमानित उत्पादन 5866 टन था। वर्ष 2019-20 में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंतर्गत बड़ी इलायची का कुल क्षेत्र 2735 टन के उत्पादन के साथ 16983 हेक्टेयर था। गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, जीर्ण, पुराने और अलाभकर पौधों की विद्यमानता तथा अंगमारी (चित्ती) रोग का प्रकोप, बडी इलायची के उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियां हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड बड़ी इलायची के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है :

क) बडी इलायची - पुनःरोपण/नवरोपण

बड़ी इलायची मुख्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों के छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों की उत्पादकता बढाने के लिए उन्हें व्यवस्थित तरीके से पुनरोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इलायची उगाने वाले किसान, उच्च निवेश के कारण पुनरोपण/नव रोपण की लागत को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में नए रोपण और परंपरागत क्षेत्रों में पुन:रोपण के साथ-साथ पक्वनावधि (अर्थात् पहले और दूसरे वर्ष) के दौरान रखरखाव केलिए, इमदाद के रूप में, सामान्य श्रेणी के लिए लागत की 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम प्रति हेक्टेयर क्रमश अधिकतम 28000/- रुपए और 63000/- रुपए हो, जो दो समान वार्षिक किस्तों में देय है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, बड़ी इलायची के पुनरोपण/नव रोपण के लिए इमदाद के रूप में 565.96 लाख रुपए (जिसमें प्रथम किस्त 267.62 लाख रुपए और वर्ष 2017-18 व 2018-19 की पिछली बकाया प्रथम और द्वितीय किस्त - 298.33 लाख रुपए शामिल है) के साथ बोर्ड ने 2579.43 हेक्टेयर (जिसमें प्रथम किस्त 941.70 हेक्ट्रेयर और पिछली बकाया मामले जैसे कि वर्ष 2017-18 की द्वितीय किस्त व 2018-19 की प्रथम और द्वितीय किस्त - 1637.73 हेक्टेयर शामिल थी) केलिए सहायता प्रदान की, जिससे 6146 कृषक लाभान्वित हुए।

ख) रोपण सामग्री उत्पादन

आगामी सीज़न केलिए रोगमुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए किसानों को अपने स्वयं के खेत में इलायची अंतर्भस्तरियों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 433 लाभार्थी किसानों को शामिल करते हुए 82.06 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 249 इकाइयां स्थापित की गईं।

ग) सिंचन योजनाएं

बड़ी इलायची मुख्यतः वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है। प्रायः जलवायु की भिन्नता उत्पादन को प्रभावित करती है। नवंबर से मार्च के महीने में लंबे समय तक सूखा मौसम के बाद गंभीर सर्दी होती है, जिसके परिणामस्वरूप विकास की मंदता और उत्पादन पर प्रतिकृल प्रभाव पड़ता है। जल संसाधन बढ़ाने के साथ-साथ उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान लंबे समय तक सखे से निपटने के लिए सिंचाई को सक्षम करने के लिए बडी इलायची के बागानों में सिंचाई उपकरण स्थापित करने के लिए, बोर्ड उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कार्यक्रमों को लागु कर रहा है।

घ) भंडारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक, जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए आर्थिक सहायता केवल एक निर्माण अर्थात फार्म तालाब / कुएं / भंडारण टैंक के लिए प्रतिबंधित है। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतम आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली इमदाद सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 20,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपए हैं, जो भी कम हो।



i) सिंचन उपकरणों का संस्थापन

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, आईपी सेट / ग्रेविटी सिंचाई उपकरणों के अंतर्गत इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक उत्पादकों को लाभ देने के लिए, किसी व्यक्ति को केवल एक इकाई के लिए आर्थिक सहायता प्रतिबंधित है। सिंचाई उपकरण/ग्रेविटी सिंचाई उपकरण योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता की राशि सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपए हैं, जो भी कम हो।

ii) वर्षाजल संचय संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले इससे लाभ उठाया है, वह लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है। दो सौ क्यूबिक मीटर क्षमता वाले टैंक के लिए दी जाने वाली इमदाद की दर सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 12,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 27,000/- रुपए हैं, तक सीमित है। वर्ष 2019-20 के दौरान, जल भंडारण संरचना, वर्षा जल संचयन संरचना और सिंचाई पंप सेट की स्थापना केलिए बोर्ड ने वित्तीय समर्थन प्रदान किया।

इ) फसल कटाई के पश्चात् मसालों का सुधार

क) सुधरी इलायची क्यूरिंग उपाय की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन करने के लिए इलायची को सुखाने हेतु उन्नत इलायची क्यूरिंग उपकरणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योजना के अंतर्गत ड्रायर के लिए इमदाद की दर सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत है, बशर्तिक अधिकतम क्रमश: 1,00,000/- रुपए और 2,25,000/- रुपए हो।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 33.34 लाख रुपए की कुल आर्थिक सहायता पर 38 सुधरी इलायची क्यूरिंग उपकरण स्थापित किए गए, जिनसे 38 कृषक लाभान्वित हुए।

ख) बड़ी इलायची को सुखाने के लिए संशोधित भट्टी का निर्माण (सुधरी क्युरिंग हाउस)

इस योजना का उद्देश्य खेतीहर समुदाय को बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक क्यूरिंग उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 200 किग्रा और 400 किग्रा की क्षमता वाली संशोधित भट्टी (आईसीआरआई मॉडल) के निर्माण की कुल लागत क्रमश : 27,000/- रुपए और 37,500/- रुपए है। इसके अलावा एसएडब्ल्यूओ ड्रायर/समकक्ष ड्रायर की कुल लागत 25,000/- रुपए आकलित की गई है। संशोधित भट्टी (आईसीआरआई मॉडल) के निर्माण या एसएडब्ल्यूओ ड्रायर/समकक्ष ड्रायर की खरीद के लिए इमदाद की दर, कुल लागत का 75 प्रतिशत या 22,500/- रुपए, जो भी कम हो, प्रदान करने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल 5.84 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से 30 संशोधित भट्टियों का निर्माण किया गया, जिससे 30 कृषक लाभान्वित हए।

ग) बीजीय मसाला थ्रेशरों की आपूर्ति

आम तौर पर बीजीय मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली कटाई और फसल कटाई के पश्चात् की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डंटल, गंदगी, रेत, तनों के टुकडे इत्यादि बाहरी सामग्री से संदूषित होते हैं। बीजों को मानवीय रूप से काटे गए और सूखे पौधों को बांस के टुकड़ों से पीट कर या पौधों को रग़डकर अलग किया जाता है। बोर्ड, सूखे पौधों से बीज को अलग करने और स्वच्छ मसालों का उत्पादन करने के लिए, थ्रेशरों का उपयोग लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जिन्हें हाथों से या बिजली का उपयोग करके चलाया जाता है।

बोर्ड इमदाद के रूप में थ्रेशर की लागत का सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत उपलब्ध कराता है, जो कि क्रमशः सामान्य कृषक के लिए अधिकतम 60,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 90,000/- रुपए है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने किसानों के खेतों में 61 विद्युत संचालित थ्रेशरों को स्थापित करने में सहायता प्रदान की और 36.90 लाख रुपए की कुल इमदाद प्रदान की गई, जिससे 61 उत्पादक लाभान्वित हुए।

घ) कालीमिर्च के थ्रेशरों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य, कालीमिर्च के उत्पादकों को, डंठलों से



कालीमिर्च की फलियों को स्वच्छता के साथ अलग करने हेतु कालीमिर्च के थ्रेशर्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर, निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता-वाली कालीमिर्च का उत्पादन करना है। इमदाद की दर सामान्य कृषक को थ्रेशर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत, बशर्तेिक सामान्य कृषक को अधिकतम 15,000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों को 22,500/- रुपए है।

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 24.61 लाख रुपए की कुल इमदाद के साथ 179 थ्रेशर्स स्थापित किए गए थे, जिनसे 179 कृषक लाभान्वित हुए।

ड) भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से हल्दी उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उपज को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्तायुक्त हल्दी के उत्पादन के लिए उत्पादकों में हल्दी उबालने वाली इकाइयों के उपयोग को, बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बना रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हल्दी उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत का सामान्य कृषक को 50 प्रतिशत और उत्तरपूर्वी क्षेत्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कृषकों के लिए 75 प्रतिशत अथवा सामान्य कृषक के लिए 1.50 लाख रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के कृषकों के लिए 2,25,000/- रुपए में से, जो भी कम हो, इमदाद के रूप में दी जाती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 78.53 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से भाप से उबालने वाली 41 इकाइयों की आपूर्ति की गई, जिससे 41 कृषक लाभान्वित हुए।

च) हल्दी पॉलीशर की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य हल्दी उत्पादकों / उत्पादकों के समूह / मसाला उत्पादक सोसाइटियों / मसाला किसान उत्पादक कंपनी आदि को प्रेरित करना और उनकी सहायता करना है, तािक निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली हल्दी का उत्पादन करने के लिए इमदादी दरों पर सुधारित पॉलिशर्स की आपूर्ति करके हल्दी की आपूर्ति की जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य कृषक के लिए बॉयलिंग इकाई की वास्तिवक लागत का 50 प्रतिशत अथवा 75,000/- रुपए और पूर्वोत्तर, अनुसूचित जाित व अनुसूचित जनजाित श्रेणी के लिए वास्तिवक लागत का 75 प्रतिशत अथवा 1,12,500/- रुपए, जो भी कम है, की इमदाद प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 16.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से हल्दी पॉलीशिंग वाली 18 इकाइयों की आपूर्ति की

गई, जिससे 18 कृषक लाभान्वित हुए।

छ) जायफल डायर

इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता वाले जायफल और जावित्री का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों में यांत्रिक ड्रायर को लोकप्रिय बनाना है। इमदाद की दर, सामान्य कृषक को ड्रायर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाित व अनुसूचित जन-जाित कृषकों को 75 प्रतिशत अथवा क्रमशः सामान्य कृषक को अधिकतम 30,000/- रुपए और अनुसूचित जाित व अनुसूचित जन-जाित के कृषकों को 45,000/- रुपए है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने 58 जायफल ड्रायरों की स्थापना में सहायता की, जिसके लिए 58 कृषकों को लाभान्वित करते हुए 10.51 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ज) पुदीना आसवन इकाई की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य पुदीना उत्पादकों को आसवन इकाई की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ निर्यात के लिए तेल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उनके खेतों में स्टेनलेस स्टील वाली आधुनिक आसवन इकाइयों को स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है। इमदाद की दर, सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत बशर्तेकि क्रमश: 1,50,000/- रुपए और 2,25,000/- रुपए, जो भी कम हो, है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, रुपए 7.10 लाख रुपए की कुल इमदाद के साथ सात पुदीना आसवन इकाइयां स्थापित की गईं, जिनसे सात कृषक लाभान्वित हुए।

ई. जैविक खेती

मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019-20 में, केंचुआ-कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना हेतु सहायता देने, मसाले के जैविक बीज बैंक को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएँ लागू की गईं।

क) केंचुआ-कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना

जैविक उत्पादन में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खेत में ही जैविक आदानों का उत्पादन करना आवश्यक है। उत्पादकों को जैविक कृषि आदानों, विशेष रूप से केंचुआ-कम्पोस्ट का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए, एक टन उत्पादन की क्षमता वाली एक केंचुआ-कम्पोस्ट इकाई हेतु इमदाद के रूप में, सामान्य कृषकों को वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत अथवा 3000/- रुपए और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत अथवा 6750/- रुपए प्रदान किए जाते हैं।



वर्ष 2019-20 के दौरान, 14.13 लाख रुपए की कुल इमदाद के साथ 231 केंचुआ-कम्पोस्ट इकाइयां स्थापित की गईं जिनसे 129 कृषक (0.79 लाख रुपए केलिए आठ लाभग्राहियों को शामिल करते हुए पिछली 15 इकाइयों सिंहत) लाभान्वित हुए।

ख) मसालों के लिए जैविक बीज बैंक की स्थापना

जैविक बीज बैंकों के अंतर्गत शामिल करने हेतु स्वदेशी किस्में-केरल में कोचीन अदरक, पूर्वोत्तर राज्यों में नादिया अदरक, केरल में अलेप्पी फिंगर हल्दी, महाराष्ट्र में राजापोरी हल्दी, मेघालय में लकादोंग / मेघा हल्दी और तिमलनाडु में शाकीय मसाले चिह्नित किए गए। इनमें से किसी भी किस्म के जैविक प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले मसाले के वे उत्पादक इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से लेकर 8.00 हेक्टेयर तक भूमि है। एक कृषक अधिकतम तीन वर्षों के लिए योजना के अंतर्गत इमदाद ले सकता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अधीन 0.375 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ गान्तोक क्षेत्र के तादोंग संभाग में अदरक के संबंध में एक जैविक बीज बैंक केलिए पिछला बकाया भुगतान किया गया।

उ) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

क) मसाला उत्पादक सोसाइटी

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मसालों का उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता का उन्नयन करने तथा विक्रेयता सुधारने में आपसी सहयोग केलिए मसाला बढ़ानेवाले क्षेत्रों में विशेषकर मसालों केलिए एक उत्पादक सोसाइटी का गठन करना है।

बोर्ड, इमदाद के रूप में, सामान्य श्रेणी केलिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम 6.00 लाख रूपए हो और अनुसूचित जाति/अनुससुचित जनजाति श्रेणी केलिए 90 प्रतिशत बशर्ते कि अधिकतम 10.80 लाख रुपए की सहायता देता है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, केरल के इडुक्की जिले में ऐसे दो मसाला उत्पादक सोसाइटियों को पिछले बकाया भुगतान के रूप में छोटी इलायची केलिए सामान्य श्रेणी के अधीन 10.85 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

क) मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी)

बोर्ड किसानों, राज्य कृषि/बागवानी विभाग के अधिकारियों, व्यापारियों, एनजीओ के सदस्यों आदि को प्रमुख मसालों की फसल-कटाई के पहले और बाद के उपचारों तथा भंडारण प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक तरीकों और अद्यतनीकृत गुणवत्ता सुधार अपेक्षाओं के बारे में अवगत कराने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

वर्ष 2019-20 के दौरान 18.48 लाख रुपए के कुल व्यय से, 186 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 10178 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था। (महिलाएं 2695; अ.जा806; अ.ज.जा3684) इस व्यय की पूर्ति मानव संसाधन विकास (एचआरडी) शीर्ष से की गई।

ऋ) विस्तार सलाहकार सेवा

उत्पादकता में वृद्धि और मसालों की फसल कटाई के बाद उनमें सुधार की तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण का प्रशिक्षण, उत्पादकता में वृद्धि और मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इस कार्यक्रम में निजी संपर्क, क्षेत्रीय यात्राओं, सामूहिक बैठकों और साहित्य वितरण के माध्यमों से छोटी इलायची (केरल, तिमलनाडु और कर्नाटक राज्यों में) और बड़ी इलायची (सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) की खेती के वैज्ञानिक पहलुओं और फसल के प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं पर उत्पादकों को तकनीकी/विस्तार समर्थन देने की परिकल्पना की गई है।

बोर्ड के उत्पादन और फसल कटाई के बाद के कार्यक्रम विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, 'निर्यातोन्मुख उत्पादन योजना' के अंतर्गत विस्तार नेटवर्क के माध्यम से लागू किए जाते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल 29,513 विस्तार दौरे आयोजित किए गए और केरल, तिमलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कालिंगपोंग तथा दार्जिलिंग जिले के इलाकों और अन्य मसालों के लिए संबंधित उगाने वाले क्षेत्रों में छोटे और बड़े इलाके के लिए 2269 सामूहिक बैठकें/ अभियान आयोजित किए गए। वर्ष 2019-20 के दौरान, विस्तार सलाहकार सेवा के अंतर्गत का कुल खर्च 2098 लाख रुपए था।

ए) अनन्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कृषकों के लिए प्रकटन दौरा

बोर्ड ने, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए प्रकटन दौरे का आयोजन किया। दिनांक 22-10-2019 से 12-03-2020 तक 15 अलग-अलग बैचों में उत्तर प्रदेश (बाराबंकी), तिमलनाडु (बोडिनायकन्नूर), सिक्किम (गान्तोक), उत्तर पूर्व (गुवाहटी), राजस्थान (जोधपुर) तथा कर्नाटक (सकलेशपुर) क्षेत्रों से कुल 335 किसानों ने 63.26 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से प्रकटन दौरों में भाग लिया। किसानों को



विभिन्न मसाला बागानों, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई), मैलाडुंपारा, इडुक्की जिला; भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), कोषिक्कोड, केरल; केरल के इडुक्की जिले में मसाला उत्पादक सोसाइटी; राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, अजमेर, राजस्थान; अजमेर के कृषि विज्ञान केंद्र, राजस्थान; प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, मुड़िगेरे, कर्नाटक; केरल कृषि विश्वविद्यालय, मण्णुत्ती, तृशूर; मसाला पार्क, पृट्टडी, केरल ले जाया गया।

ए) बड़ी इलायची उत्पादकता पुरस्कार

स्पाइसेस बोर्ड ने बड़ी इलायची कृषकों को प्रोत्साहित करने तथा मान्यता देने हेतु बड़ी इलायची उत्पादकता पुरस्कार की स्थापना की है। वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 केलिए बड़ी इलायची की उत्पादकता में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार, 13-11-2019 को इटानगर में वितरित किए गए। श्री तागे टाकी, माननीय कृषि, बागवानी, पशुपालन और पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन मंत्री, अरुणाचल प्रदेश समारोह के मुख्यातिथि रहे। समारोह के उपरांत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मसालों पर एक क्षेत्रीय सेमिनार तथा बड़ी इलायची की खेती के ज़रिए आजीविका केलिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र की महिलाओं की क्षमता पर एक प्रमोशनल फिल्म "अरुणोदय" का लोकार्पण किया गया।

ओ) नई पहल

क) राष्ट्रीय सतत मसाला नेटवर्क कार्यक्रम (एनएसएसपी)

'राष्ट्रीय सतत मसाला नेटवर्क कार्यक्रम' (एनएसएसपी) शीर्षक वाली परियोजना, मसाला क्षेत्र में, जैव-विविधता केलिए चिंता जताते हुए, खाद्य सुरक्षा और ट्रेसिबिलिटी लाने तथा स्थिरता प्राप्त करने हेतु विश्व मसाला संगठन (डबल्यूएसओ - ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्स्पोर्टर्स फोरम (एआईएसईएफ़) का तकनीकी स्कन्ध), अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों - आईडीएच (जो टिकाऊ व्यापार पहल का समर्थन करती है) और जीआईज़ेड, जर्मनी (जो जैविविविधता एवं व्यापार पर कार्य करती है) और स्पाइसेस बोर्ड के सहयोग के साथ कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के तहत ध्यान देने वाले मसाले हैं - मिर्च, कालीमिर्च, हल्दी, जीरा, छोटी इलायची और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उत्पादित मसाले, तािक क्षेत्र से मसालों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

ख) मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) परियोजना

स्पाइसेस बोर्ड ने, जीरा, बडी सौंफ, धनिया और काली कालीमिर्च जैसे मसालों के एसपीएस मुद्दों को संबोधित करने के साथ-साथ क्षमता निर्माण एवं ज्ञान साझा करने में सहायता केलिए वर्ष 2014 में मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ), डबल्यूटीओ के अधीन एक संगठन, केलिए "भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाजार पहुंच में सुधार" के लिए एक तीन साल की परियोजना प्रस्तुत की थी। परियोजना मंजूर की गई है और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में स्पाइसेस बोर्ड के साथ कार्यान्वयन के लिए एफएओ के साथ एक समझौता पत्र(एलओए) निष्पादित किया जा रहा है।

ग) हल्दी टास्क फोर्स समिति (टीटीएफ़सी)

हल्दी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पणधारियों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने के लिए और क्षेत्र के लिए मौजूदा समर्थन प्रणाली की सीमाओं की पहचान करने और सभी पणधारियों को शामिल करते हुए समन्वित प्रयासों के माध्यम से उन्हें मजबूत करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने हल्दी टास्कफोर्स समिति (टीटी एफ सी) का गठन किया है। समिति में सदस्यों के रूप में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तिमलनाडु तथा तेलंगाना के राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, तिमलनाडु तथा तेलंगाना राज्यों के बागवानी/कृषि विभागों, आईआईएसआर तथा हल्दी निर्यातक संघों, व्यापार संघों तथा उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों के साथ निदेशक (विकास), स्पाइसेस बोर्ड को अध्यक्ष और उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड, प्रादेशिक कार्यालय, वारंगल को सदस्य सचिव रहेंगे।

टीटीएफ़सी की अनुशंसाओं के आधार पर, "तेलंगाना राज्य में निर्यात गुणवत्ता हल्दी के उत्पादन के लिए एकीकृत परियोजना" के शीर्षक में एक विस्तृत परियोजना तैयार की गई और अनुमोदनार्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को और उचित कार्रवाई प्रारंभ करने केलिए अन्य समान विभागों को अग्रेषित की गई।



5. निर्यात विकास और संवर्धन

'निर्यात विकास और संवर्धन' योजना के अंतर्गत लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य आयात करने वाले देशों के बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए क्षमताओं को विकसित कर निर्यातकों का समर्थन करना है। वैज्ञानिक प्रथाओं और प्रक्रिया उन्नयन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के अलावा, बोर्ड मसालों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। विदेश में भारतीय मसाला ब्रैंडों का प्रचार उत्पाद विकास और अनुसंधान, अवसंरचना विकास, भारतीय मसाला ब्रैंड का विदेशों में प्रचार प्रमुख मसाला बढ़ाए जाने वाले/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण (मसाला पार्क) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना जैविक मसालों/जीआई मसालों का प्रचार, क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन आदि प्रमुख कार्य शामिल हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते है।

अ. अवसंरचना का विकास

क) हाई-टेक अपनाने, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया उन्नयन, आंतरिक प्रयोगशाला की स्थापना और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता-अनुदान

बोर्ड ने 12वीं योजना अवधि के दौरान सहायता-अनुदान प्रदान कर उच्च तकनीक, प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया उन्नयन, आंतिरक प्रयोगशाला, गुणवत्ता प्रमाणन इत्यादि की स्थापना के लिए, सामान्य क्षेत्रों में प्रिति निर्यातक लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 1.00 करोड़ रुपए प्रदान कर योजना लागू की थी। अवसंरचना विकास के लिए ब्याज समकारी योजना के नए प्रस्ताव को शामिल करने के फलस्वरूप बोर्ड ने मध्यावधि संरचना कार्ययोजना (2017-20) में प्रौद्योगिकी और विकास, उन्नयन, आंतिरक प्रयोगशाला की स्थापना, गुणवत्ता प्रमाणन आदि की योजना बंद कर दी। तथापि, बोर्ड ने वर्ष 2019-20 के दौरान इस योजना के अंतर्गत लंबित मामलों को आगे बढ़ाया है और 5.16 लाख रुपए की सहायता प्रदान की।

ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

बोर्ड, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मसालों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण

सुविधाओं की स्थारपना में सहायता करता है। इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला सहायता-अनुदान प्रति निर्यातक प्रसंस्कररण सुविधाओं/उपकरणों की लागत का 33 प्रतिशत जो अधिकतम 50 लाख रुपए तक होगा और किसानों के समूहों/कृषक उतपादक कंपनियों के संबंध में, वैध सीआरईएस होने पर, सभी प्रकार की प्रसंस्कषरण सुविधाओं के लिए लागत के 50 प्रतिशत, जो अधिकतम 50 लाख रुपए होगी तक सहायता दी जाएगी। सीआरईएस धारक अ.जा/अ.ज.जा निर्यातकों, कृषक समूहों और कृषक उत्पादक कंपनियों को (समूहों/एफपीसी-यों के लिए सदस्यों को अ.जा/अ.ज.जा समुदाय का होना चाहिए) प्रसंस्करण सुविधा की लागत के 75 प्रतिशत तक की सहायता दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 112.50 लाख रुपए होगी।

ग) सामान्य प्रसंस्करण केलिए अवसंरचना (मसाला पार्क) की स्थापना और अनुरक्षण

स्पाइसेस बोर्ड ने, प्रमुख उत्पादन / बाजार केंद्रों के पास प्राथमिक प्रसंस्करण और मसालों के मूल्य-योजन के लिए सुविधाओं को सक्षम करने के उद्देश्य से, देश भर के प्रमुख मसाला केन्द्रों में आठ फसल विशिष्ट मसाला पार्क स्थापित किए हैं। पार्क, किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य और व्यापक बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक सुविचारित कल्पना है। स्पाइसेस पार्क का उद्देश्य कृषि समुदाय को मसालों के प्रसंस्करण, मूल्य-योजन और भंडारण के लिए सामान्य अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करनी हैं तािक उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

स्पाइस पार्क में स्थापित सफाई, ग्रेडिंग, पैिंकंग, भाप आसवन आदि की सुविधाओं से किसानों को उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी और इस तरह उच्च मूल्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा, मसाला पार्क में स्थापित प्रसंस्करण इकाइयां, जो किसानों से सीधे स्रोत की गुणवत्ता का उत्पादन करती हैं, ने निर्यातकों के साथ किसान / किसान समूहों के बाजार संबंध स्थापित करने में मदद की है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत हुई है।



स्थापित सभी मसाला पार्कों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने मेगा खाद्य पार्क नाम से अभिहित किया है ताकि पणधारक. जिन्होंने पार्क में प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की हैं, को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत सहायता प्राप्त हो सके।

प्रमुख उत्पादन/बाजार केन्द्रों में बोर्ड द्वारा स्थापित फसल विशिष्ट मसाला पार्कों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	स्थान/राज्य	शामिल मसाले	स्थिति
1	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	लहसुन और मिर्च	प्रवृत्त
2	पुट्टडी, केरल	कालीमिर्च और इलायची	प्रवृत्त
3	जोधपुर, राजस्थान	जीरा और धनिया	प्रवृत्त
4	गुना, मध्य प्रदेश	धनिया	प्रवृत्त
5	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च	प्रवृत्त
6	शिवगंगा, तिमलनाडु	हल्दी और मिर्च	प्रवृत्त
7	कोटा, राजस्थान	धनिया, जीरा	प्रवृत्त
8	राय बरेली, उत्तर प्रदेश	पुदीना	प्रवृत्त

वर्ष 2019-20 के दौरान, विभिन्न मसाला पार्कों में स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों के ज़रिए 12369 लाख रुपए मुल्य के कुल 10847 मेट्कि टन मसाले का प्रसंस्करण किया गया। इसके अलावा, मसाला पार्क, रायबरेली स्थापित इकाई में तथा आस-पास के बढ़ाव क्षेत्रों में स्थापित उपग्रह इकाइयों में पुदीना तेल के आसवन केलिए 446 मीट्रिक टन पुदीना शाक का उपयोग किया गया।

बोर्ड ने, मसालों के मुल्य योजन केलिए उद्यमियों को अपनी प्रसंस्करण इकाइयों के विकास करने हेत् मसाला पार्क में प्लॉटों का आबंटन किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 1653 लाख रुपए के मुल्यवाले कुल 2940 मीटरी टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया और 730 लाख रुपए मुल्य के 653 मीटरी टन मसालों का निर्यात किया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान, मसाला पार्क में स्थापित सामान्य भंडारण स्विधाओं में कुल 4901 मीटरी टन मसाले भंडारित किए गए और निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित माल-गोदामों/शीत भांडागारों में कुल 41,084 मीटरी टन मसाले व 25,800 मीटरी टन अन्य कृषि उत्पाद भंडारित किए गए।

वर्ष 2019-20 के दौरान, मसाला पार्कों ने, 218 स्थायी श्रमिकों तथा 206 ठेका/आकस्मिक श्रमिकों (169 महिला श्रमिकों सहित) केलिए रोजगार प्रदान करने के अलावा कुल 1577 कृषकों तथा अन्य पणधारियों को सीधी सेवाएँ प्रदान की हैं। मसाला पार्कों के अनुरक्षण/निर्माण कार्य ले लेने हेत् 256.94 लाख रु. खर्च किए गए हैं।

आ. व्यापार संवर्धन

क) व्यापारिक नमुनों को विदेश भेजना

बोर्ड उन निर्यातकों की सहायता करता है जो क्रेताओं द्वारा अनुरोध किए गए नमुनों के आधार पर व्यापारिक लेनदेन को अंतिम रूप देने की इच्छा रखते हैं और कृरियर शुल्क की प्रतिपूर्ति करता है। मसाला निर्यात परिदृश्य में व्यापारिक नमुने भेजना संभावित ग्राहकों को बेहतर और शीघ्रता से ग्राहकों में रूपांतरित करने में सक्षम करता है। सभी निर्यातक, स्पाइसेस बोर्ड के साथ जिनका पहला रजिस्ट्रीकरण तीन वर्षों के अंदर हुआ है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

ख) पैकेजिंग विकास और बारकोडिंग

इस कार्यक्रम में शेल्फ लाइफ़ को बढाने और भंडारण स्थान को कम करने तथा विदेशी बाजारों में भारतीय मसालों की खोज और बेहतर प्रस्तुति स्थापित करने के लिए निर्यात पैकेजिंग के सुधार और आधुनिकीकरण की परिकल्पना की गई है। पंजीकृत निर्यातक पैकेजिंग विकास और बारकोडिंग पंजीकरण की लागत में 50 प्रतिशत की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रति निर्यातक 1.00 लाख रुपए तक सीमित है।



इसके अलावा, बोर्ड ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), मुंबई को मसालों के पैकेजिंग विकास के लिए अनुसंधान और विकास परियोजना सौंपी है। साथ ही, बोर्ड ने आई आई पी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है और अध्ययन प्रगति पर है, जिसकेलिए 8.89 लाख रुपए का खर्च हुआ है।

ग) उत्पाद विकास और अनुसंधान

देश के भीतर उत्पादित मसालों से नए अंत्योपयोग और अनुप्रयोगों को प्राप्त करने की पर्याप्त गुंजाइश है। इस योजना का उद्देश्य मसालों के पौष्टिक, न्युट्रास्युटिकल, सौंदर्यवर्धक, औषधीय और सहज गणों का वैज्ञानिक अधिप्रमाणन और इस अधिप्रमाणन के आधार पर नए उत्पादों का विकास करना है। इन उत्पादों और सूत्रों से उपलब्ध मूल्य की तुलना में बहुत अधिक मूल्य प्राप्त होगा। मसालों से नए उत्पादों के विकास में पौष्टिक, औषधीय और कॉस्मेटिक मुल्यों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है, जो अधिकतम मल्य प्राप्ति के साथ पेटेंट योग्य उत्पादों के निर्माण को आगे बढ़ा सकता है। यह योजना, उत्पाद अनुसंधान और विकास, नैदानिक परीक्षण, गुणविशेषताओं का अधिप्रमाणन, पेटेंट करने और परीक्षण विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पंजीकृत निर्यातक और अनुसंधान व विकास संस्थान जिनके पास अपेक्षित सुविधाएं हैं, इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। रजिस्ट्रीकृत निर्यातक एवं आर व डी संस्थाओं को, जिनके पास अपेक्षित सुविधाएं हैं परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम 25.00 लाख रुपए हो, इस योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र हैं यदि इसमें नैदानिक परीक्षण और पेटेंट करना शामिल हैं, तो यह सीमा 100 लाख रुपए की होगी। वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने तीन लाभग्राहियों केलिए उत्पाद विकास और अनुसंधान के घटक के अधीन 15.32 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है।

घ) विदेश में भारतीय मसाला ब्रैंडों को बढ़ावा

कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तायुक्त भारतीय मसालों के ब्रैंडों की स्थिति को पहचानने के उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से विदेशी बाजारों में पहचाने जाने योग्य भारतीय ब्रैंडों के प्रवेश में सहायता करना है, जो पहचान और खाद्य सुरक्षा के स्पष्ट निशान के साथ विदेशी उपभोक्ताओं की पहुंच के भीतर हों। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अपने ब्रैंड को पंजीकृत कराने वाले निर्यातकों को प्रति ब्रैंड 100 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परियोजना के

अंतर्गत और विदेशों के चुने गए शहरों के चिह्नित दूकानों में निर्दिष्ट ब्रैंडों को सुलभ करने के उद्देश्य से, स्लॉटिंग/लिस्टिंग शुल्क और प्रचार व्यय का 100 प्रतिशत और उत्पाद विकास की लागत का 50 प्रतिशत देने पर विचार किया जाएगा।

क) बोर्ड द्वारा बाजार अध्ययन

बोर्ड का भारतीय मसालों के निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए प्रितस्पर्धियों को पहचानने और उपयुक्त तंत्रों को विकसित करने के लिए भारतीय मसालों के लिए पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से बाजार अध्ययन कराने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, उचित मूल्य निर्धारण, प्रचार और विपणन तंत्र तैयार करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया जाना है। बोर्ड द्वारा कराये जाने वाले बाजार सर्वेक्षण से भारतीय मसालों की ताकत, कमजोरी, खतरों और अवसरों को जानने में मदद मिलेगी। अध्ययन विशेष रूप से लघु निर्यातकों और नए प्रवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें बाजार की बदलती स्थितियों और उनके निर्यात के कुशल संचालन के लिए अन्य नियमों के बारे में उचित सलाह दी जानी चाहिए। कार्यक्रम के अधीन, बोर्ड बाजार अध्ययन के लिए पेशेवर एजेंसी के साथ एक समझौता निष्पादित करेगा और परियोजना प्रस्ताव के आधार पर 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करेगा।

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के निर्यात संवर्धन पर अध्ययन करने और भारतीय मसालों के निर्यात हिस्से को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक तंत्रों का सुझाव देने का कार्य भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी), नई दिल्ली को सौंपा है, जिसकेलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल 8.08 लाख रुपए का खर्च हुआ है।

ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों बैठकों और प्रशिक्षण में भागीदारी

बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशी आयातकों के बीच की एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों ने भारतीय मसालों के प्रचार और निर्यातकों को अवसर प्रदान करने के लिए अपनी पहलुओं के भाग के रूप में तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं के समक्ष भारतीय मसालों की क्षमताओं को प्रदिशत करने के लिए बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में नियमित रूप से भाग ले रहा है। बोर्ड भारतीय व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख रेस्तरां और खाद्य श्रृंखलाओं के सहयोग से मसालों के उपयोग और अनुप्रयोगों को लोकप्रिय बनाने के लिए चुनिंदा प्रदर्शनी, खाद्य



त्यौहारों आदि में खाना पकाने के प्रदर्शन की भी व्यवस्था करता है। इसके अलावा, बोर्ड वार्षिक बैठकों, आईपीसी सम्मेलनों, कोडेक्स समितियों आदि में भाग लेता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने 415 लाख रुपए के कुल व्यय पर आठ अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया है।

बोर्ड नियातकों को व्यापार उत्पन्न/विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बोर्ड के सभी पंजीकृत निर्यातक एमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी हेत् सहायता-अनुदान के लिए पात्र हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी के लिए 1.00 लाख रुपए की सहायता दी गई।

इ) विपणन और सहायक सेवाएं

क) विपणन सेवाएं

स्पाइसेस बोर्ड भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात और इलायची के घरेलू विपणन को मज़बूत बनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को कार्यान्वित कर रहा है। कटाई-पश्चात् प्रबंधन, विपणन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुधार इत्यादि के दौरान अपनी विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए बोर्ड दैनिक आधार पर पणधारियों की सहायता करता है और निर्यातकों, किसानों और राज्य सरकारों को सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

पंजीकरण और लाइसेंसिंग

लाइसेंसिंग और पंजीकरण बोर्ड के नियामक कार्यों का एक हिस्सा है। बोर्ड मसालों के निर्यातकों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र (सीआरएस) जारी करता है और इलायची (छोटी और बडी) में व्यापार के लिए नीलामी और ब्यौहारी लाइसेंस भी जारी करता है। वर्ष 2019-20 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों के निर्यातकों के रूप में 1517 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जिनमें से 1487 प्रमाणपत्र व्यापारी श्रेणी में और 30 प्रमाणपत्र निर्माता श्रेणी में थे। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 125 ब्यौहारी लाइसेंस भी जारी किए गए।

ब्रैंड नाम का पंजीकरण

कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रैंड नाम का पंजीकरण कर भारतीय ब्रैंड नामों के अंतर्गत उपभोक्ता पैक में मसालों/मसाला उत्पादों के

निर्यात का समर्थन करना और ब्रैंडकृत उपभोक्ता पैक के तेजी से बढते बाजार में बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई आई पी) द्वारा पैकेजिङ की जाँच सहित विनिर्दिष्ट पैरामीटरों के अनुपालन की पृष्टि करने के अपरांत तीन वर्ष की अवधि के लिए ब्रैंड नाम का पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

iii) इलायची के लिए नीलामी

वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने केरल के इड्क्की जिले में मसाला पार्क, पुट्टडी और तिमलनाडु के तेनी जिले में बोडिनायकन्नर में इलायची (छोटी) की ई-नीलामी के संचालन की सुविधा जारी रखी। खंड अवधि 2017-20 के लिए पृहडी और बोडिनायकन्नुर में ई-नीलामी केंद्र में नीलामी करने के लिए कुल 13 नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए गए हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में इलायची (छोटी) और सिक्किम के सिंगताम में बड़ी इलायची के लिए मैन्युअल नीलामी आयोजित की गई।

iv) मसालों के सीमा शुल्क नमुनों का परीक्षण

वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त मसालों के आयात परेषणों के नमुनों का परीक्षण किया है और कोच्ची बंदरगाह के माध्यम से श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, और इक्वाडोर से 1675 मीट्रिक टन कालीमिर्च के आयात के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट जारी की। अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत तेल और तैलीराल के निष्कर्षण के लिए तैलीराल/ पिपेरीन सामग्री का परीक्षण करने के बाद, आयात के संबंध में परिणाम जारी किए गए थे।

v) मसालों का जीआई पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड ने मालाबार पेप्पर, आलप्पी ग्रीन कार्डमम, कुर्ग ग्रीन कार्डमम, गुंटुर सन्नम चिल्ली और ब्यादगी चिल्ली के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त किया है। बोर्ड जीआई पंजीकृत मसालों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लोकप्रिय बना रहा है।

vi) सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड ने सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के साथ संयुक्त रूप से 12-03-2020 को एमएसएमई प्रशिक्षण संस्थान, ग्वाहटी में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मसाला निर्यात सेक्टर पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। मसालों की निर्यातक्षमता, मसालों में मुल्य योजन, मसालों के निर्यातकों



केलिए रिजस्ट्रीकरण प्रक्रियाएँ, क्रेताओं/विक्रेताओं की पहचान, निर्यात संवर्धन केलिए योजनाएँ, निर्यात वित्त, निर्यात बीमा एवं पादप संगरोध प्रक्रियाएं जैसे विषयों को कार्यक्रम में शामिल किया गया। कार्यक्रम में कुल 33 भावी उद्यमियों ने भाग लिया।

vii) मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार

स्पाइसेस बोर्ड ने मसालों और मसाला उत्पादों के उत्कृष्ट निर्यात-निष्पादकों को सम्मानित करने के लिए मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों की स्थापना की है। पुरस्कार और ट्रॉफियां प्रदान करना मसाले और मसाला उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के निरंतर प्रयास का हिस्सा हैं। श्री सोम प्रकाश, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री ने कोच्ची, केरल में 22 फरवरी, 2020 को पिछले वर्ष के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निर्यातक पुरस्कारों का 29 वां और 30 वां सेट निर्यातक पुरस्कार, जिनमें शीर्षस्थ निर्यातकों के लिए ट्रॉफियां, प्रमुख अग्रणी निर्यातकों के लिए श्रेणीवार पुरस्कार और 2015-16 व 2016-17 के दौरान सराहनीय प्रदर्शन करनेवाले निर्यातकों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किए।

viii) साउदी अरब केलिए प्रतिनिधिमंडल का दौरा

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित, श्री डी सत्यन भा.व.से., सचिव, स्पाइसेस बोर्ड के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधमंडल, जिसमें बोर्ड के अधिकारी और छोटी इलायची के प्रमुख निर्यातक शामिल हैं, की अगुवाई में छोटी इलायची व्यापार को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान और निर्यात को फिर से शुरू करने के लिए रियाद, साउदी अरब का दौरा किया। भारतीय दूतावास रियाद के अधिकारियों तथा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने दिसंबर 2019 के दौरान निर्बाध व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से साउदी खाद्य और औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) जीसीसी मानकीकरण संगठन (जीएसओ) और अन्य पणधारियों के साथ कई बैठकें कीं और समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों का प्रस्ताव दिया था। साउदी अरब के रियाद में भारतीय मिशन के माध्यम से इस मामले को आगे बढ़ाया गया।

सतत राजनायिक विचार-विमर्शों ने वैश्विक तौर पर स्वीकृत कोडेक्स खाद्य मानकों के अनुरूप, साउदी फूड एण्ड ड्रग अथोरिटी (एस एफ डी ए) द्वारा मानकों की पुनरीक्षा केलिए मार्ग प्रशस्त किया।

28

ख) क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम)

स्पाइसेस बोर्ड प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्रों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित करता आ रहा है तािक मसाला उत्पादकों और निर्यातकों के बीच प्रत्यक्ष बाजार संबंध स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। बीएसएम उत्पादकों और निर्यातकों दोनों को लाभकर स्थिति प्रदान करता है, जहां उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्य के साथ बाजार मिलता है, जबिक निर्यातकों को दीर्घकािलक पिछड़े संबंधों और गुणवत्ता वाले मसालों की प्रतिस्पर्धी सोर्सिंग के मामले में लाभ होता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने देश भर में सात बीएसएम और ओपन हाउस बैठकें आयोजित कीं, जिनका विवरण नीचे तािलका में दिया गया है:-

क्रम सं.	स्थान	तारीख
1	नागरकोविल, तमिलनाडु	10 जुलाई, 2019
2	कट्टप्पना, इडुक्की	27 सितंबर, 2019
3	कोल्ली हिल्स, तिमलनाडु	30 अक्तू बर, 2019
4	ईरोड, तिमलनाडु	2 नवंबर, 2019
5	इटानगर, अरुणाचल प्रदेश	14 नवंबर, 2019
6	गान्तोक, सिक्किम	21 नवंबर, 2019
7	निजामाबाद, तेलंगाना	13 फरवरी, 2020

पूरे देश में मसाला उद्योग के पणधारियों ने इसमें काफी रुचि दिखाई है और बीएसएम में सिक्रय रूप से भाग लिया है, तािक बाजार संबंध बनाने के लिए मंच का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सके। कुल 864 किसान/किसान समूहों और 305 मसाला निर्यातकों ने बीएसएम और ओपनहाउस बैठकों में सिक्रय रूप से भाग लिया था। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस कार्यक्रम के आयोजन का कुल व्यय 23.47 लाख रुपए था।

ग) अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी)

अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी), कालीमिर्च अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करने और सेक्टर द्वारा सामना किए जाने वाले सभी मुद्दों का तुरंत समाधान करने केलिए स्थाई सदस्यों के रूप में भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम तथा सहयोगी सदस्यों के रूप में पपुवा गिनिया एवं फिलिप्पीन्स जैसे कालीमिर्च उत्पादक देशों सहित एक यूएनईएससीएपी अंतरसरकारी संगठन है। श्री डी सत्यन भा.व.से.,



सचिव, स्पाइसेस बोर्ड ने, 11-14 नवंबर, 2019 के दौरान वूंग ताऊ सिटी, वियतनाम में संपन्न आईपीसी के 47 वां वार्षिक सत्र तथा बैठकों के दौरान अध्यक्ष, आईपीसी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके अलावा, स्पाइसेस बोर्ड ने 11 जुलाई, 2019 को कोच्ची, केरल में आईपीसी विपणन समिति की पाँचवीं बैठक की मेजबानी की।

घ) व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा, निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, मसालों की नीलामी और मसालों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार करती है।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई) भारत से मसालों के मासिक अनुमानित निर्यात और वाणिज्य व सांख्यिकी महा निदेशालय (डीजीसीआईवएस), कोलकता द्वारा प्रदत्त निर्यात आंकड़ो का संकलन करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है। इसी तरह, सीमा शुल्क द्वारा जारी की गई दैनिक आयात सूची (डीएलआई) वाणिज्य व सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकत्ता द्वारा उपलब्ध कराई गए आयात दिन्ते भारत में मसालों के मासिक आयात का अनुमान लगाने का स्रोत है। बोर्ड मसालों के निर्यात और आयात विवरण को अपने पणधारियों और मंत्रालय /विभागों को निर्यामत आधार पर संकलित और प्रसारित करता रहा है। इस प्रयोजनार्थ बोर्ड निर्यामत रूप से कोचीन, जे एन पी टी, चेन्नई, तूतिकोरिन, मुंड्रा, कोलकता, पेट्रोपोल, मोहाधिपुर, रक्सौल, अमृतसर इत्यादि सभी प्रमुख बंदरगाहों और डीजीसीआई व एस एवं बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से डीएलई और डी एल आई दोनों एकत्रित कर रहा है।

स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट और प्रकाशनों के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं को नियमित आधार पर भारत और विदेशों के प्रमुख बाजारों के लिए मसाला की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संकलन और प्रसार कर रहा है। भारत का कालीमिर्च और मसाला व्यापार संगठन, कृषि उत्पादन विपणन समितियां, व्यापारियों का संघ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जनेवा, अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय, इंडोनेशिया, एए साइया और कंपनी, यूएसए आदि मूल्य विवरण एकत्र करने की प्रमुख स्रोत एजेंसियां हैं। ये सभी जानकारियां बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के माध्यम से एकत्र की जाती हैं।

स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के विकास के लिए

उत्तरदायी है और बोर्ड के कार्यालय नेटवर्क द्वारा आयोजित क्षेत्र नमूना अध्ययन के आदानों का उपयोग करके, बोर्ड के व्यापार सूचना सेवा प्रभाग द्वारा इन मसालों के क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता का अनुमान किया जाता है। अन्य मसालों के क्षेत्र और उत्पादन के आंकड़े राज्य अर्थशास्त्र और सांख्यिकी/ कृषि/बागवानी विभाग/डीएएसडी से संकलन के लिए एकत्र किए जाते हैं। बोर्ड के प्रकाशनों के साथसाथ बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से पणधारियों और नीति निर्माताओं को अन्य मसालों के क्षेत्र और उत्पादन पर जानकारी प्रसारित की गई है।

स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम के अनुसार, मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातकों को अपनी तिमाही निर्यात रिटर्न बोर्ड को जमा करनी होती है। वर्ष 2017-20 की ब्लॉक अविध के दौरान, लगभग 6081 निर्यातकों को बोर्ड के साथ पंजीकृत किया गया था और व्यापार सूचना सेवा ने इन निर्यातकों के त्रैमासिक निर्यात रिटर्न को संकलित किया है तथा मसालों के लिए निर्यातक वार डेटाबेस बनाए रखता है। इस आंकड़ा आधार का प्रयोग करके बोर्ड प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों के ब्यौरे को संकलित और वेबसाइट पर प्रकाशित करता है।

स्पाइसेस बोर्ड, बोडिनायकन्नूर और पुट्टडी में बोर्ड द्वारा विकसित ईनीलामी केंद्रों में छोटी इलायची के व्यापार के लिए ईनीलामी का आयोजन करता है। दैनिक नीलामी मात्रा और इलायची की कीमत पर विवरण वेबसाइट के माध्यम से दैनिक आधार पर संकलित और प्रसारित किए जाते हैं। इस साल भी नीलामी बिक्री पर समेकित विवरण औसत मूल्य को बोर्ड के प्रकाशनों के माध्यम से संकलित और प्रसारित किया गया।

उद्योग के पणधारियों के लाभ के लिए प्रमुख विदेशी बाजारों सहित विभिन्न बाजार केंद्रों में मसालों की कीमत संबंधी जानकारी, साप्ताहिक आधार पर ऑनलाइन पर स्पाइसेस-मार्केट (बोर्ड की वेबसाइट में) और मासिक आधार पर स्पाइस इंडिया के माध्यम से एकत्रित, संकलित और प्रकाशित की जाती है।

क) मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2018-19 की तुलना में, 2019-20 के लिए छोटी व बड़ी इलायची का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका-I और तालिका-II में दी गई है। अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका-III में दिए गए हैं।



तालिका - I

इलायची (छोटी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टयर में, उत्पादन में ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

		2019-20				2018-19			
राज्य	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	
केरल	39697	29858	10075	337.43	38882	29364	11535	392.83	
कर्नाटक	25135	14418	620	43.00	25135	14725	690	46.86	
तमिलनाडु	5162	2876	540	187.76	5115	3503	715	204.11	
कुल	69994	47152	11235	238.27	69132	47592	12940	271.89	

स्रोत : क्षेत्र नमूना अध्ययन के आधार पर अनुमान

तालिका - II

इलायची (बड़ी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टयर में, उत्पादन में ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

2019-20				2018-19				
राज्य	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज
सिक्किम	23312	15963	4780	299.44	23312	17605	5030	285.71
पश्चिम बंगाल	3305	3159	1086	343.81	3305	3159	1070	338.71
कुल	26617	19122	5866	306.77	26617	20764	6100	293.78

स्रोत : स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

वर्ष 2019-20 में बोर्ड ने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में इलायची (बड़ी) के क्षेत्र और उत्पादन ब्यौरे का अनुमान लगाया है जिसे तालिका-II क में दर्शाया गया है:

तालिका - II क

इलायची (बड़ी) का राज्यवार क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टयर में, उत्पादन में ट.में, उत्पादकता कि.ग्रा./हे.में)

	· ·							
	2019-20			2018-19				
राज्य	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज	कुल क्षेत्र	उपजवाला क्षेत्र	उत्पादन	उपज
अरुणाचल प्रदेश	10909	6395	1614	252.38	9901	6419	1545	240.76
नागालैंड	6408	4214	1046	248.22	6308	4194	1024	244.09
मणिपुर	148	29	4	146.55	93	25	4	168.4
कुल	17465	10638	2664	250.42	16302	10638	2573	241.87

^(*) स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान



तालिका - ।।।

प्रमुख मसालों का क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र-हेक्टेयर में उत्पादन-टनों में उपज-िक.ग्रा./हेक्टेयर में)

	2019-20	(अनुमान)	2018-19 (अनंतिम)		
मसाला	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन	
कालीमिर्च	137378	61000	138929	48000	
मिर्च	682580	1702350	765330	1605160	
अदरक(ताज़ा)	172040	1843530	164310	1788970	
हल्दी	245958	938955	253406	959797	
लहसुन	362950	2916970	353590	2898240	
धनिया	628550	755740	469900	600410	
जीरा	841940	546750	1026760	699538	
बड़ी सौंफ	75260	127790	90180	157150	
मेथी	120340	188480	119870	189880	

स्रोतः राज्य आर्थिको व सांख्यिको निदेशालय/कृषि/बागवानी विभाग

सुपारी व मसाले विकास निदेशालय, कोष्निक्कोड

कालीमिर्च उत्पादन : व्यापार आकलन

ख) इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और कीमतें

वर्ष 2019-20 (अगस्त 2019 - जुलाई 2020) और वर्ष 2018-19 (अगस्त 2018 - जुलाई 2019) के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारित औसत कीमतें तालिका IV में दी गई हैं:

तालिका - IV

इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और मूल्य

(मात्रा टनों में, मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

	2019-20 (স	ास्त - जुलाई) (अ)	2018-19 (अगस्त - जुलाई)		
राज्य	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य	नीलामित मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य	
केरल और तमिलनाडु (ई - नीलामी)	13544	2926.15	20809	1528.96	
कर्नाटक	4	2133.64	9	1022.69	
महाराष्ट्र	50	3132.06	46	1442.11	
कुल	13598	2926.70	20865	1528.58	

(अ): अनंतिम

स्रोतः लाइसेंसधारी नीलामीकर्ताओं से प्राप्त रिपोर्टे



ग) इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2019-20 और 2018-19 के लिए गान्तोंक और सिलिगुडी बाज़ारों में इलयाची (बड़ी) की औसत थोंक कीमतें तालिका-V में दी गई हैं

तालिका - V

इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें

(मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

केन्द्र	ग्रेड	2019-20	2018-19
गान्तोक	बड़ादाना	475.42	527.31
सिलीगुडी	बड़ादाना	579.86	646.39

स्रोतः बोर्ड का प्रादेशिक कार्यालय

घ) अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

प्रमुख मसालों की औसत कीमतें नीचे दी गई हैं। इन कीमतों को गौण, स्रोतों, जैसेकि चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडियन पेप्पर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन, मर्चेट्स एसोसिएशन आदि द्वारा तैयार की गई बाज़ार समीक्षाओं से एकत्रित किया गया है। मुख्य बाज़ार केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें नीचे तालिका VI में दी गई हैं।

तालिका - VI

मुख्य विपणन केन्द्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें (मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

(मूल्य रुपये/कि.ग्रा. में)

मसाला	विपणन	2019-20	2018-19
कालीमिर्च (एम जी 1)	कोचीन	347.08	378.21
मिर्च	गुंटूर	115.04	77.16
अदरक	कोचीन	267.73	184.39
हल्दी	चेन्नई	79.48	119.63
धनिया	चेन्नई	88.23	70.74
जीरा	चेन्नई	171.89	188.83
बड़ी सौंफ	चेन्नई	98.29	106.01
मेथी	चेन्नई	63.57	50.67
लहसुन	चेन्नई	108.93	33.85
खसखस बीज	चेन्नई	794.45	450.59
अजवाइन बीज	चेन्नई	133.86	120.12
सरसों	चेन्नई	47.41	51.07
इमली	चेन्नई	121.49	161.26
केसर	दिल्ली	111090,90	105604.50
लौंग	कोच्ची	611.81	711.45
जायफ़ल (बिना छिलके के)	कोच्ची	383.27	389.60
जावित्री	कोच्ची	869.47	599.50



ङ) भारत से मसालों का निर्यात निष्पादन

दुनिया भर में कोविद-19 के प्रकोप से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की स्थिति आई है। फिरभी वर्ष 2019-20 के दौरान भी भारतीय मसालों के निर्यात में बढ़त का रुख जारी रहा है और मसाला निर्यात के इतिहास में पहली बार तीन अरब युएस डॉलर अंक पार किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष के 19505.81 करोड रुपए (2805.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मुल्य के 11,00,250 टन मसाले का कुल निर्यात खिलाफ भारत से 21515.40 करोड रुपए (3033.44 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मुल्य के 11,83,000 टन मसाले और मसाला उत्पादों का कुल निर्यात हुआ है। वर्ष 2019-20 के दौरान, मसाला निर्यात ने मात्रा और मूल्य, दोनों के हिसाब से सर्वाकालिक रिकॉर्ड दर्ज किया है। पिछले वर्ष की तुलना में, निर्यात ने रुपए मुल्य में 10 प्रतिशत और मात्र के हिसाब से आठ प्रतिशत वृद्धि दर्ज दिखाई है। डॉलर के हिसाब से वृद्धि आठ प्रतिशत है।

वर्ष 2019-20 के दौरान मसाला निर्यात ने भी वर्ष केलिए, मात्रा के हिसाब से, रुपए व डॉलर मूल्य के हिसाब से निर्धारित लक्ष्य पार किया है। वर्ष 2019-20 केलिए 19666.90 करोड रुपए (2850.28 मिलियन युएस डॉलर) मुल्य के 10,75,000 टन के निर्धारित निर्यात लक्ष्य के खिलाफ, मात्रा में 110 प्रतिशत, रुपए मुल्य में 109 प्रतिशत तथा डॉलर के हिसाब से मुल्य में 106 प्रतिशत के साथ 21515.40 करोड़ रुपए मुल्य (3033.44 मिलियन यूएस डॉलर) के 11,83,000 टन का कुल निर्यात हुआ है।

i) प्रमख योगदानकर्ता

मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात बास्केट में 52 मसाले और उसके उत्पाद शामिल हैं। हालाँकि, मिर्च, पुदीना उत्पाद, जीरा, मसाला तेल और तैलीराल और हल्दी मसाला बास्केट में प्रमुख योगदान देनेवाले रहे हैं। इन पांच मदों ने अकेले मसालों के निर्यात से प्राप्त कुल कमाई का 80 प्रतिशत का योगदान दिया। पुदीना उत्पादों, जैसे पुदीना तेल, मेन्थॉल क्रिस्टल, और मेन्थॉल सहित मसाले के अर्क ने कुल निर्यात आय का 30 प्रतिशत योगदान दिया। मिर्च ने (29 प्रतिशत) और जीरे ने (15 प्रतिशत) और हल्दी ने (छह प्रतिशत) का योगदान दिया। अन्य प्रमुख योगदानकर्ता करी पाउडर (4 प्रतिशत) और कालीमिर्च (तीन प्रतिशत) हैं।

ii) निर्यात गंतव्य

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारतीय मसाले व मसाले उत्पाद

विश्वभर के 180 गंतव्यों में पहुंचे। इनमें में चीन, संयुक्त राज्य अमरीका, बांगलादेश, थाईलैंड, संयुक्त अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, मलेशिया, युके, इंडोनेशिया व जर्मनी प्रमुख गंतव्य स्थान हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान इन नौ गंतव्यों ने मसालों से कुल निर्यात आय का 70 प्रतिशत से अधिक योगदान किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले कुछ दशकों से भारतीय मसालों के लिए पारंपरिक एकल सबसे बडा गंतव्य रहा है। संयक्त राज्य अमेरिका मिर्च, इलायची, मसाला सार, पुदीना उत्पादों आदि जैसे उच्च मल्य मसालों के लिए पारंपरिक बाजार है, हालांकि, पिछले दो वर्षों के दौरान, चीन भारतीय मसालों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा और मुख्य रूप से भारतीय मिर्च के लिए भारी मांग के कारण चीन को निर्यात तिगुना हो गया। मिर्च के निर्यात में वृद्धि का मुख्य कारण चीन द्वारा वियतनाम के साथ हाइफोंग बंदरगाह के माध्यम से आयात की जाने वाली सीमा की बिक्री पर प्रतिबंध था। नतीजतन 2019-20 में चीन युएसए से आगे निकल गया और मात्रा और मुल्य दोनों के मामले में भारतीय मसालों के लिए सबसे बडा गंतव्य बन गया। वर्तमान में चीन द्वारा भारत से आयातित मसालों का अनुमानित मुल्य 710 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक है, जो भारत से मसालों की कुल निर्यात आय का लगभग 24 प्रतिशत आता है।

iii) मसालों में मूल्य वर्द्धन

करी पाउडर, स्पाइस पाउडर, कालीमिर्च के व्युत्पन्न, मसाला तेल व तैलीराल, पुदीना उत्पादों आदि जैसे मुल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के मुल्य के हिसाब से कुल निर्यात का 50 प्रतिशत हिस्सा है। पुदीना उत्पाद, मसाला तेल व तैलीराल एवं करी पाउडर व मिश्रण जैसे प्रमुख मदों ने पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में पर्याप्त वृद्धि दिखाई है। वर्ष के दौरान सभी प्रमुख मुल्य वर्द्धित उत्पादों ने मात्रा और मुल्य दोनों के मामले में एक सर्वकालिक बढत दिखाई है। मुल्य वर्द्धित उत्पादों के लिए प्रमुख गंतव्य अमेरिका, चीन, ब्रिटेन आदि हैं।

iv) कालीमिर्च

दुनिया में कालीमिर्च का सबसे बड़ा खरीददार व उपभोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कालीमिर्च के आयात में किए उतार-चढ़ाव से विश्व कालीमिर्च व्यापार पर सीधा प्रभाव हुआ है। वर्ष 2019-20 के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 85,000 मीटरी टन कालीमिर्च (साब्त व पाउडर) का आयात किया है जो कालीमिर्च के विश्व व्यापार का करीब 20 प्रतिशत आ जाता है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका को मख्यतः कालीमिर्च पाउडर का निर्यात करता है और अन्य स्रोतों



से कड़ी प्रतियोगिता के कारण साबुत कालीमिर्च का निर्यात अपेक्षाकृत कम है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने, मात्रा में 20 प्रतिशत और मूल्य में तीन प्रतिशत की सीमांत गिरावट दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के 568.68 करोड़ रुपए के मूल्यवाले 13540 टन के खिलाफ 551.87 करोड़ रुपए के मूल्यवाले कुल 16250 टन की मात्रा में कालीमिर्च का निर्यात किया। वर्ष के दौरान मूल्य में गिरावट का कारण मुख्य रूप से वैश्विक रूप से कालीमिर्च की कीमतों में हुई गिरावट को माना जाता है। वर्ष 2019-20 में, संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा प्रमुख बाज़ार बना रहा और उन्होंने मूल्य के हिसाब से 29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 6300 टन का आयात किया। अन्य प्रमुख खरीददार, यू.के., स्वीडन, जर्मनी, कानड़ा, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया हैं। अकेले इन देशों ने कालीमिर्च से निर्यात आय का 50 प्रतिशत से अधिक योगदान दिया। वर्ष 2019-20 में कालीमिर्च का औसत एफ़ओबी निर्यात मूल्य, 2018-19 के 420 रुपए प्रति किलोग्राम से 340 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गया है।

v) इलायची (छोटी)

साउदी अरब, भारतीय इलायची का पारंपरिक बाजार है और भारत से इलायची का 50 प्रतिशत निर्यात साउदी अरब को होता है। हालांकि, 2018-19 में, साउदी अरब ने, अनुमत्य सीमा से अधिक कीटनाशकों की उपस्थित के कारण भारत से इलायची के निर्यात खेप को हिरासत में लिया है। इसलिए 2019-20 के दौरान इलायची का कुल निर्यात घटकर 2090 टन रह गया।

हालांकि, बोर्ड द्वारा प्रारम्भ किए गए कदमों के आधार पर, बोर्ड द्वारा गुणवत्ता जांच और प्रमाणन के साथ मई, 2020 से इलायची का निर्यात फिर से शुरू हो गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने मात्रा में 27 प्रतिशत गिरावट दर्ज करते हुए, लेकिन मूल्य में भारतीय इलायची की उच्च मूल्य-वसूली के कारण 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 के 356.25 करोड़ रुपए मूल्य के 2850 टन के खिलाफ वर्ष 2019-20 के दौरान 426.30 करोड़ रुपए मूल्य की 2090 टन इलायची (छोटी) का निर्यात किया गया। साउदी अरब के अलावा, भारतीय इलायची के प्रमुख गंतव्यों में संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान आदि हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान इन चारों देशों ने मात्रा के मामले में भारत की छोटी इलायची के निर्यात में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।

vi) इलायची (बड़ी)

भारत और नेपाल इलायची (बड़ी) के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत,

दुनिया में इलायची (बड़ी) के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। वर्ष के दौरान भारत ने वर्ष 2018-19 के 61.06 करोड़ रुपए मूल्यवाले 860 टन के खिलाफ 67.58 करोड़ रुपए मूल्यवाले 1100 टन इलायची (बड़ी) का निर्यात किया। परिमाण के मामले में भारतीय बड़ी इलायची के 90 प्रतिशत से अधिक हिस्से के प्रमुख खरीददार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई हैं।

vii) मिर्च

मिर्च भारत की सबसे बड़ा मसाला मद है जिसे मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में भारत से निर्यात किया जाता है। देश से अकेले मिर्च और मिर्च उत्पादों के निर्यात का परिमाण, मात्रा में 40 प्रतिशत से अधिक और मुल्य में 29 प्रतिशत थी। बोर्ड द्वारा कार्यान्वित मिर्च और मिर्च उत्पादों के अनिवार्य गुणवत्ता जांच ने भारतीय मिर्च को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक स्वीकार्य बना दिया है और इस उच्च स्तर के निर्यात को प्राप्त करने में मदद की है। वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत ने पिछले वर्ष के 5411.18 करोड़ रुपए मुल्यवाले 4,68,500 टन के बदले, 6211.70 करोड़ रुपए के मुल्यवाले 4,84,000 टन मिर्च और मिर्च उत्पादों का निर्यात किया था। भारतीय मिर्च के पारंपरिक खरीददार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका बाजार में सिक्रय थे। हालांकि, चीन मिर्च के लिए सबसे बडा गंतव्य के रूप में उभरा। वर्ष 2019-20 के दौरान चीन ने लगभग 1,40,000 टन मिर्च का आयात किया है, जो देश से मिर्च के कुल निर्यात में लगभग 29 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। चीन द्वारा सीमा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वियतनाम को मिर्च निर्यात में काफी गिरावट आई है।

viii) अदरक

भारत से अदरक के निर्यात ने 2019-20 में 50,000 टन को पार करके एक सर्वकालिक रिकॉर्ड दर्ज किया है। वर्ष 2019-20 के दौरान, मात्रा के हिसाब से 178 प्रतिशत और मूल्य में 129 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए, पिछले साल के 196.02 करोड़ रुपए मे मूल्यवाले 18,150 टन के बदले 449.05 करोड़ रुपए मूल्यवाले 50,410 टन अदरक का निर्यात किया गया है। निर्यात में वृद्धि का प्रमुख कारण, अपनी फसल का नुकसान होने की वजह से बांग्लादेश द्वारा अदरक की भारी मात्रा में किया गया आयात है। वर्ष 2019-20 के दौरान, अकेले बांग्लादेश ने भारत से 35000 टन से अधिक अदरक का आयात किया। आम तौर पर अदरक सूखे, ताजे और पाउडर रूपों में निर्यात किया जाता है। हालांकि, वर्तमान वर्ष के दौरान बांग्लादेश द्वारा



अदरक के आयात का बड़ा हिस्सा ताजे रूप में हुआ है जिससे देश से अदरक के निर्यात के लिए औसत इकाई मूल्य वसूली में गिरावट हुई है। अन्य प्रमुख खरीददार मोरक्को, यूएसए, यूके और यूएई हैं।

ix) हल्दी

भारत विश्व बाजार में हल्दी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता है। अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ता वियतनाम, इंडोनेशिया और म्यानमार हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान भारत से हल्दी के निर्यात में मात्रा के संदर्भ में वृद्धि देखी गई है। हालाँकि, बाजार में कम इकाई मूल्य के कारण निर्यात आय में 14 प्रतिशत की गिरावट आई। वर्ष 2019-20 के दौरान, 1416.16 करोड़ रुपए मूल्य के 1,33,600 टन के बदले 1216.40 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 1,36,000 टन हल्दी का निर्यात किया गया। भारतीय हल्दी के लिए अग्रणी खरीददार बांग्लादेश है जिसके बाद यूएसए, ईरान, मलेशिया, मोरक्को और यूएई आते हैं।

x) धनिया

वर्ष 2019-20 के दौरान, धनिया के निर्यात में, मात्रा और मूल्य के तौर पर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान, मात्रा में तीन प्रतिशत और मूल्य में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के 352.08 करोड़ रुपए मूल्य के 48,900 टन के बदले 411.10 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 50,250 टन धनिया का निर्यात किया गया है। मलेशिया धनिया का प्रमुख खरीददार है उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, यूके, साउदी अरब, दिक्षण अफ्रीका और नेपाल आते हैं। ये देश, अकेले परिमाण के मामले में निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा रखते हैं।

xi) जीरा

मसाले के निर्यात-बास्केट में जीरा तीसरी सबसे बड़ी मद है। अकेले जीरे के निर्यात की मात्रा कुल निर्यात का 18 प्रतिशत है। वर्ष 2019-20 के दौरान, मात्रा में 16 प्रतिशत और मूल्य में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वर्ष के 2884.80 करोड़ रुपए मूल्यवाले 1,80,300 टन के बदले 3225 करोड़ रुपए मूल्यवाले कुल 2,10,000 टन की मात्रा में जीरा का निर्यात किया गया। बोर्ड द्वारा कार्यान्वित अनिवार्य नमूनन प्रणाली ने भारतीय जीरे को विश्व बाजार में और अधिक स्वीकार्य बनाने में मदद की और जिससे पिछले कुछ वर्षों में सतत विकास हुआ। चीन भारतीय जीरे के अग्रणी खरीददार है और अकेले चीन द्वारा भारत से जीरे के कुल निर्यात का लगभग 25 प्रतिशत आयात किया जाता है। भारतीय जीरा के अन्य प्रमुख खरीददार

बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफगानिस्तान, मिस्र और यूएई हैं और अकेले ये गंतव्य मात्रा के मामले में कुल निर्यात का 60 प्रतिशत से अधिक रखते हैं।

xii) बड़ी सौंफ

वर्ष 2019-20 के दौरान, बड़ी सौंफ का कुल निर्यात, 2018-19 अविध के दौरान के 244.13 करोड़ रुपए मूल्यवाले 26,250 टन के बदले 228.88 करोड़ रुपए मूल्यवाले 23,800 टन रहा। सौंफ़ का निर्यात, मात्रा के मामले में नौ प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में छह प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। गिरावट में कमी का प्रमुख कारण सौंफ की कम आपूर्ति है। भारतीय सौंफ के प्रमुख खरीददार संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, बांग्लादेश, यूके और साउदी अरब हैं।

xiii) मेथी

वर्ष 2019-20 के दौरान, 163.84 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 27,660 टन मेथी का निर्यात किया गया, जबिक पिछले वर्ष का निर्यात 138.46 करोड़ रुपए के कुल 27,150 टन का था। वर्ष 2019-20 के दौरान मेथी के निर्यात में मात्रा के हिसाब से दो प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मेथी के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य यमन, संयुक्त राज्य अमरीका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल आदि हैं।

xiv) करी पाउडर/करी पेस्ट

भारत, दुनिया में करी पाउडर / करी पेस्ट के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। करी पाउडर / पेस्ट का निर्यात पिछले कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019-20 के दौरान, हम ने 834.10 करोड़ रुपए मूल्य के 38,200 टन करी पाउडर/करी पेस्ट का निर्यात किया था जबिक वर्ष 2018-19 के दौरान 744.70 करोड़ रुपए मूल्य के 33,850 टन रहा था। करी पाउडर / पेस्ट के निर्यात में मात्रा में 13 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 12 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। मध्य-पूर्वी प्रदेश प्रमुख खरीददार के रूप में जारी रहा उसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका, यूके और ऑस्ट्रेलिया आते हैं।

xv) पुदीना उत्पाद

पुदीना तेल और उसके व्युत्पन्न एक साथ मसालों की निर्यात बास्केट में दूसरी सबसे बड़ी मद हैं। पुदीना उत्पादों के तहत जापानी पुदीना, स्पीयरमिंट, डी-मेंथोलाइज़्ड ऑयल (डीएमओ) और मेन्थॉल क्रिस्टल प्रमुख मदें हैं। मिंट उत्पादों से होने वाली निर्यात आय कुल निर्यात मूल्य का 18 प्रतिशत है। भारत दुनिया में पुदीना उत्पादों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है और अन्य



उत्पादकों में चीन और अमरीका हैं। चीन मिंट उत्पादों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चीन भारत से 12,000 टन से अधिक पुदीना का आयात करता है जो कुल निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान, मात्रा में पाँच प्रतिशत और मूल्य में दो प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2018-19 दौरान के 3749.34 करोड़ रुपए मूल्य के 21,610 टन के स्थान पर 3838.35 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 22,725 टन का निर्यात किया गया। प्रमुख खरीददार चीन, संयुक्त राज्य अमरीका,

xvi) मसाला तेल व तैलीराल

सिंगापुर और जर्मनी हैं।

मात्रा के संदर्भ में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी के साथ मसाला-निचोड़ के उत्पादन और निर्यात में भारत विश्व में अग्रणी है। अन्य प्रमुख आपूर्तिकर्ता चीन और श्रीलंका हैं। मसाला-निचोड़ के मामले में, भारत दुनिया में स्थिर आपूर्तिकर्ता है और

दशकों के दौरान हमारे निर्यात में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 2645.25 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 13,950 टन मसाला-निचोड़ का निर्यात था, जबिक 2018-19 के दौरान निर्यात 2193.00 करोड़ रुपए मूल्यवाले 12,750 टन रहा था। मसाला-निचोड़ के निर्यात ने, मात्रा में नौ प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 21 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। संयुक्त राज्य अमरीका, दुनिया में मसाला-निचोड़ का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और संयुक्त राज्य अमरीका का आयात मात्रा के मामले में देश से कुल निर्यात का 30 प्रतिशत से अधिक है। अन्य प्रमुख खरीददार चीन, फ्रांस, जर्मनी और यूके हैं।

अप्रैल-मार्च 2018-19 की तुलना में अप्रैल-मार्च 2019-20 के दौरान भारत से मसालों का मदवार अनुमानित निर्यात, 2019-20 में प्रतिशत परिवर्तन आदि और निर्यात लक्ष्य में उपलब्धि तालिका VII और तालिका VIII में दी गई हैं।

तालिका - VII
वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

	अप्रैल - मार्च 2019-20		अप्रैल - मार्च 2018-19		2019-20 में %	
मद	जप्रशा - म	14 2017-20	अप्रल - माप 2016-19		परिवर्तन	
44	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	(टन)	(लाख रुपए में)	(टन)	(लाख रुपए में)	111211	[/ -
कालीमिर्च	16,250	55,187.00	13,540	56,868.00	20%	-3%
इलायची (छोटी)	2,090	42,629.50	2,850	35,625.00	-27%	20%
इलायची (बड़ी)	1,100	6,758.50	860	6,106.00	28%	11%
मिर्च	484,000	622,170.00	468,500	541,117.50	3%	15%
अदरक	50,410	44,905.00	18,150	19,602.00	178%	129%
हल्दी	136,000	121,640.00	133,600	141,616.00	2%	-14%
धनिया	50,250	41,110.00	48,900	35,208.00	3%	17%
जीरा	210,000	322,500.00	180,300	288,480.00	16%	12%
सेलरी	6,510	7,175.50	6,100	6,649.00	7%	8%
बड़ी सौंफ	23,800	22,888.00	26,250	24,412.50	-9%	-6%
मेथी	27,660	16,383.60	27,150	13,846.50	2%	18%
अन्य बीज (1)	32,700	19,257.00	29,740	18,736.20	10%	3%
लहसुन	23,350	17,232.50	29,500	17,110.00	-21%	1%
जायफल एवं (जावित्री) मेस	2,955	13,630.75	3,300	15,015.00	-10%	-9%
अन्य मसाले (2)	41,050	66,303.00	43,300	61,486.00	-5%	8%



करी पाउडर/पेस्ट	38,200	83,410.00	33,850	74,470.00	13%	12%
पुदीना उत्पाद (3)	22,725	383,835.00	21,610	374,933.50	5%	2%
मसाला तेल व तैलीराल	13,950	264,525.00	12,750	219,300.00	9%	21%
कुल	1,183,000	2,151,540.35	1,100,250	1,950,581.20	8%	10%
मूल्य मिलियन यू एस डॉलर में		3033.44		2,805.50		8%

- (1) में सरसों, सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।
- (2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।
- में पुदीना तेल, मेंथोल और मेंथाल क्रिस्टल शामिल हैं।

स्रोत सीमा शुल्क से प्राप्त डी एल ई, प्रादेशिक कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट, और पिछले वर्ष के निर्यात-रुख आदि पर आधारित अनुमान।

तालिका - VIII

लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात

	2019-20	के लिए लक्ष्य	अप्रैल - मार्च	2019-20 (*)	लक्ष्य की प्रति	ाशत-प्राप्ति
मद	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	TIANT
	(टन)	(लाख रुपए में)	(ਟਜ)	(लाख रुपए में)	HIAI	मूल्य
कालीमिर्च	15,000	58,800.00	16,250	55,187.00	108%	94%
इलायची (छोटी)	3,400	45,900.00	2,090	42,629.50	61%	93%
इलायची (बड़ी)	1,100	6,600.00	1,100	6,758.50	100%	102%
मिर्च	428,000	496,480.00	484,000	622,170.00	113%	125%
अदरक	22,000	26,400.00	50,410	44,905.00	229%	170%
हल्दी	135,000	121,500.00	136,000	121,640.00	101%	100%
धनिया	50,000	40,000.00	50,250	41,110.00	101%	103%
जीरा	175,000	271,250.00	210,000	322,500.00	120%	119%
सेलरी	6,000	6,360.00	6,510	7,175.50	109%	113%
बड़ी सौंफ	28,000	26,600.00	23,800	22,888.00	85%	86%
मेथी	28,000	16,800.00	27,660	16,383.60	99%	98%
अन्य बीज (1)	32,000	22,400.00	32,700	19,257.00	102%	86%
लहसुन	27,000	14,850.00	23,350	17,232.50	86%	116%
जायफल एवं (जावित्री) मेस	5,000	25,000.00	2,955	13,630.75	59%	55%
अन्य मसाले (2)	45,000	76,500.00	41,050	66,303.00	91%	87%
करी पाउडर/पेस्ट	35,000	77,000.00	38,200	83,410.00	109%	108%
पुदीना उत्पाद (3)	25,000	395,000.00	22,725	383,835.00	91%	97%
मसाला तेल व तैलीराल	14,500	239,250.00	13,950	264,525.00	96%	111%
कुल	1,075,000	1,966,690.00	1,183,000	2,151,540.35	110%	109%
मूल्य दशलक्ष यू एस डॉलर में		2850.28		3033.44		106%

- (1) में सरसों, सौंफ, अजोवन बीज, सोआ बीज, खसखस बीज आदि शामिल हैं।
- (2) में इमली, हींग, कैसिया, केसर आदि शामिल हैं।
- (3) में पुदीना तेल, मेंथोल और मेंथाल क्रिस्टल शामिल हैं।
- (*) पिछले महीनों की, विलंब से प्राप्त रिपोर्टे शामिल हैं।

स्रोत सीमा शुल्क से प्राप्त डी एल ई, प्रादेशिक कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट, और पिछले वर्ष के निर्यात रुख आदि पर आधारित अनुमान।



6. प्रचार एवं संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और मसाले निर्यात संवर्धन केलिए एक अच्छे संवर्धनात्मक तंत्र को रूप देना महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने विश्व में भारतीय मसालों के प्रचार और ब्रैंडिंग के लिए गतिविधियां जारी रखीं। भारतीय मसालों, मसाला उद्योग और बोर्ड की गतिविधियों को प्रचारित और बढ़ावा देने के लिए इन तंत्रों की रूपरेखा तैयार की गई थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मेलों में प्रतिभागिता, विज्ञापन अभियान, ऑनलाइन प्रचार अभियान, पित्रका, ब्रोशर इत्यादि का मुद्रण और प्रकाशन तथा मसालों पर वीडियो स्पॉट्स प्रदिशत करना प्रमुख सुर्खियां रहीं।

बहु-विषयक प्रचार गतिविधियों ने बोर्ड और मसाला उद्योग को समर्थन दिया है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मसालों की मांग को बढ़ावा देता है।

क) घरेलू मेलों में प्रतिभागिता

मसाला उद्योग के विभिन्न पणधारियों तक पहुँचने का श्रेष्ठ साधन है घरेलू मेलों में प्रतिभागिता। वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड ने मुख्य मसाला विकास व विपणन केंद्रों और प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय मेलों पर ध्यान देने के साथ महत्वपूर्ण घरेलू मेलों में भाग लेना सुनिश्चित किया। मेलों में कृषकों, व्यापारियों, निर्यातकों, वैज्ञानिकों जैसे मसाला उद्योग के विभिन्न स्तर के लोगों और अन्य निर्यात प्रोत्साहन एजेंसियों/संगठनों से बातचीत करने का मंच मिलता है जो भारतीय मसाला उद्योग और भारतीय मसालों के संवर्धन हेतु सक्षम परियोजनाओं/कार्यकलापों के निरूपण में सहायक होता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मेलों में प्रतिभागिता ने देश और अंतर्राष्ट्रीय मसाला मांग निहित करने और अखिल भारतीय स्तर पर बोर्ड के कार्यकलापों पर जागरूकता पैदा करने में सहायता की।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने भारत के प्रमुख स्थानों में 22 प्रदर्शनियों में भाग लिया।

		I	
क्रम सं.	मेले का नाम	स्थान	मेले की तारीख
1	केरला कौमुदी सम्मर फेस्ट	कोल्लम	10-22 अप्रैल, 2019
2	मलयाला मनोरमा एग्री सम्मिट	कण्णूर	17 मई, 2019
3	वाइब्रेन्ट नॉर्थ ईस्ट	मणिपुर	19-21 जून, 2019
4	अन्नपूर्णा अनु फूड इंडिया	मुंबई	29-31 अगस्त, 2019
5	राइस इन हरियाणा	हरियाणा	29-31 अगस्त, 2019
6	उपासी इंडस्ट्रियल एक्सिबिशन	कून्नूर	13-14 सितंबर, 2019
7	उत्तरपूर्वी क्षेत्र के कृषि उत्पादों पर सम्मेलन सह अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक	अगर्तला	26 सितंबर, 2019
8	राष्ट्रीय जैव कृषि उत्पाद प्रदर्शन	विजयवाड़ा	4-6 अक्तूबर, 2019
9	बड़ौदा किसान पखवाड़ा व बड़ौदा किसान दिवस	पालक्काड	18 अक्तूबर, 2019
10	फै & है इंडिया	मुंबई	22-24 अक्तूबर, 2019
11	ग्लोबल आयुर्वेदा सम्मिट	कोच्ची	30-31 अक्तूबर, 2019
12	बायोफाक इंडिया	दिल्ली	7-9 नवंबर, 2019
13	कोच्ची इंटेरनेशनल बुक फेस्टिवल	कोच्ची	29 नवंबर - 8 दिसंबर 2019



14	नॉर्थ ईस्ट फूड शॉ 2019	शिलांग	4-6 दिसंबर, 2019
15	डेस्टिनेशन गुजरात 2019	सुरेन्द्र नगर	18-20 दिसंबर, 2019
16	केरला एग्रो फूड प्रो	कलूर	20-23 दिसंबर, 2019
17	107 वां आईएससी - प्राइड ऑफ इंडिया एक्स्पो	बंगलुरु	3-7 जनवरी, 2020
18	वाइगा केरला	तृशूर	4-7 जनवरी, 2020
19	इंडस फूड	दिल्ली	8-9 जनवरी, 2020
20	ऑर्गैनिक नॉर्थ ईस्ट	गुवाहटी	17-19 जनवरी, 2020
21	एमर्जिंग नॉर्थ ईस्ट	असम	19-21 फरवरी, 2020
22	सीआईआई फूड प्रोसेसिंग कोण्क्लेव 2020	कोलकाता	13 मार्च, 2020

ख) अंतर्राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभागिता

बोर्ड, भारतीय निर्यातकों और विदेश में आयातकों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय कड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों के संवर्धन हेतु इसकी पहल के भाग के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता से भारतीय मसाला निर्यातकों को मौजूदा तथा प्रमुख मसाला आयातकों के साथ बातचीत करने और व्यापारिक संपर्क बनाने का प्रभावी अवसर मिलता है, जिससे भारतीय मसाला उद्योग के व्यापारिक परिवेश का विस्तार होता है। बोर्ड को उपभोक्ता व्यवहार के विभिन्न पक्षों को समझने और आयातक देश की खान-पान की आदतों, खुदरा और थोक बाजार का अध्ययन करने, खाद्य संरक्षा और सुरक्षा संबंधी मानकों को

जानने में मदद मिलती है।

मेलों के चयन की कार्यनीति, अभी तक लाभ न उठाई गई विपणियों के चयन के आधार पर तैयार की गई थी। निर्यातकों को प्रमुख प्रदर्शनियों में भाग लेने में वरीयता दी गई, बोर्ड के बैनर के अधीन उनके स्वतंत्र प्रचार-प्रसार कार्यकलाप हेतु पृथक स्लॉट प्रदान किए गए। इन कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त बोर्ड के अधिकारियों ने आगुंतकों से पारस्परिक विचार-विमर्श किया। विभिन्न कार्यक्रमों में उत्पादों सहित विभिन्न मसालों/शाकों के लिए व्यापारिक जानकारी को आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निर्यातकों को प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया

क्रम सं.	मेले का नाम	स्थल	तारीख
1	सम्मर फांसी फूड शो 2019	न्यू ओर्क, यूएसए	23-25 जून, 2019
2	फूड इंग्रेडियंट्स साउथ अमरीका (फिसा) - 2019	साओ पॉलो, ब्राज़ील	20-22 अगस्त, 2019
3	अनूगा - 2019	कोलोन, जर्मनी	5-9 अक्तूबर, 2019
4	गलफूड मैनुफैक्चरिंग - 2019	दुबई, यूएई	29-31 अक्तूबर, 2019
5	चैना इंटरनैशनल इंपोर्ट एक्स्पो - 2019	शांधाई, चीन	5-10 नवंबर, 2019
6	फूड इंग्रेडियंट्स यूरोप 2019	पारिस, फ्रांस	3-5 दिसंबर, 2019
7	विंटर फांसी फूड शो 2020	सैन फ्रैंसिस्को, यूएसए	19-21 जनवरी, 2020
8	बायो फैक 2020	न्यूरेनबर्ग, जर्मनी	12-15 फरवरी, 2020

ग) सोशियल मीडिया पर संवर्धन

ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रचार अभियान चलाया जाता है और मसालों व मसाला उत्पादों के गूगल विज्ञापन लिंक उपलब्ध कराता है। इसे ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह मसालों पर जागरूकता पैदा करता है जिसमें वानस्पतिक, भौगोलिक, व्यापारिक दित्ते, चिकित्सीय और पाककला के पहलू शामिल हैं।



घ) पत्रिकाएं

i) स्पाइस इण्डिया

अंग्रेजी, हिंदी, मलायलम, कन्नड और तिमल- पाँच भाषाओं में प्रकाशित होनेवाली सावधिक मासिक पित्रका 40 'स्पाइस इण्डिया' (मासिक) समय पर निकली गई। समय-सारणी के अनुसार त्रैमासिक अंक तेलुगू भाषा में निकाला गया।

फोरिन ट्रेड एंक्वयरीज़ बुलेटिन (एफटीईबी): मसालों के निर्यातकों को सुविधाजनक बनाने के लिए, विदेशी व्यापार मेलों, ई-मेल और बोर्ड के कार्यालयों से बोर्ड द्वारा सीधे एकत्रित व्यापारिक जानकारी एफटीईबी के रूप में समेकित करके प्रकाशित की गई।

iii) अन्य प्रकाशनः

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रकाशित पुस्तिकाएं और ब्रोशर थे:

- क) स्पाइसेस बोर्ड इंडिया (अंग्रेजी) पर सामान्य विवरणिका
- ख) विविध भाषाओं में (जर्मन, जापानी, अरबी) अंतर्राष्ट्रीय मेलों के लिए विवरणिका



7. कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप

अ) मसालों और पाक्य शाकों पर कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच)

जलाई, 2019 के दौरान जिनेवा में आयोजित अपने 42वें सत्र (सीएसी42) में कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन ने सुखे या निर्जालत लहसन के लिए मानक अपनाया। अपनी स्थापना के बाद से आयोग द्वारा मसालों के लिए अपनाया जाने वाला यह चौथा कोडेक्स मानक है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्युजी) की अध्यक्षता स्पाइसेस बोर्ड के एक वैज्ञानिक द्वारा की थी। इसके अतिरिक्त, पांच प्रस्तावित मसौदा मानकों अर्थात शुष्क ओरगेनो पत्ती, शुष्क या निर्जलित अदरक, केसर, शुष्क तुलसी और शुष्क लौंग को चरण 5 पर अपनाया गया था।

सीसीएससीएच के चौथे सत्र के सफल आयोजन के बाद, होटल लीला कोवलम, तिरुवनंतपुरम, केरल में 21 से 25 जनवरी, 2019 तक की अवधि के दौरान विभिन्न इलेक्टॉनिक कार्यकारी समूहों (ईडब्ल्यूजी) के माध्यम से शुष्क ओरगेनो पत्ती, शुष्क या निर्जालत अदरक, केसर, शृष्क तुलसी और शृष्क लौंग के लिए प्रस्तावित मसौदा मानकों को अंतिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है। दो अन्य प्रस्तावित मसौदा मानक अर्थात् शृष्क या निर्जलित मिर्च और पैप्रिका, शुष्क या निर्जलित जायफल, चरण 2 की अवस्था पर हैं। बोर्ड के वैज्ञानिक मिर्च और पैप्रिका के काम की अध्यक्षता कर रहे हैं और केसर के काम की सह-अध्यक्षता कर रहे हैं, तथा अदरक, तुलसी, लौंग, अजवायन और जायफल के लिए ईडब्ल्युजी में सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

आ) आगामी सत्र (सीसीएससीएच 5)

स्पाइसेस बोर्ड इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इसे भारत की ओर से सीसीएससीएच के सत्र का आयोजन करना होता है। स्पाइसेस बोर्ड का कोडेक्स प्रकोष्ठ इस समिति के आयोजन सचिवालय के रूप में काम करता है और इस संबंध में प्रारंभिक कार्य शुरू हो गए हैं। पांचवां सत्र कोच्ची, केरल में 20 से 25 सितंबर, 2020 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन वर्तमान में व्याप्त कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण बैठक को अप्रैल 2021 तक के लिए स्थिगत कर दिया गया। सत्र के लिए स्थल के रूप में ग्रैंड हयात, बोलगाट्टी कोच्ची, केरल को तय

किया गया है। कोडेक्स प्रकोष्ठ, सत्र के संचालन के साथ-साथ सात मसालों के लिए मानकों के प्रारूपण से संबंधित कार्यों से जुड़ी संपूर्ण गतिविधियों का समन्वय कर रहा है।

इ) कोडेक्स बैठकें

क) कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन (सीएसी 42)

कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन (सीएसी 42) के 42 वें सत्र की बैठक 8-12 जुलाई, 2019 के दौरान जिनेवा, स्विटज़रलैंड में आयोजित की गई थी। इस बैठक के दौरान मसालों के लिए चौथा कोडेक्स मानक अर्थात् शुष्क या निर्जलित लहसुन को अंगीकृत किया गया। बोर्ड के पदाधिकारियों ने कोडेक्स एलिमेंटा-रियस आयोग द्वारा संचालित बयालीसवें सत्र में भाग लिया।

ख)एशिया के लिए कोडेक्स समन्वय समिति (सीसीएएसआईए)

इक्कीसवें सत्र (सीसीएएसआईए 21) का आयोजन गोवा, भारत में 23 से 27 सितंबर 2019 तक किया गया था। सत्र के दौरान "खाद्य सुरक्षा और प्राथमिक उत्पादन - विकसित होते क्षेत्र में मुद्दे और सर्वोत्तम प्रथाएं" पर आधार-व्याख्यान दिया गया। भारत ने खाद्य सुरक्षा के संबंध में रोगाणुरोधी प्रतिरोध, खाद्य-जनित रोगों/ संकटों तथा सोशल मीडिया पर झुठे और दुर्भावनापूर्ण वीडियो के परिचालन की पहचान की थी. जिस पर बैठक में चर्चा की गई। सत्र में कोडेक्स रणनीतिक योजना 2020-25 के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए विकासशील गतिविधियों पर ध्यान-केंद्रित किया गया था। स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिकों ने बैठक में भाग लिया और चर्चा में प्रतिभागिता की।

ग) ब्रसेल्स में कोडेक्स ईडब्ल्यूजी सलाहकार समूह की बैठक

बैठक का आयोजन यूरोपीय कमीशन (स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा महानिदेशालय) द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य विषयों/ कोडेक्स समितियों की एक विस्तृत श्रृंखला से ईडब्ल्यूजी के अनुभवी अध्यक्षों को एक मंच पर लाना था। सलाहकार समृह की बैठक का उद्देश्य कोडेक्स एलिमेंटारियस कमीशन और इसकी कार्यकारी सिमिति की सिफारिशों को लागू करना तथा ईडब्ल्यूजी के प्रयोग, प्रबंधन और संगठन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन विकसित करना था। बैठक में स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक ने भाग लिया।



घ) कोडेक्स और संबंधित गतिविधियों की समीक्षा

कोडेक्स और संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए अगस्त 2019 के दौरान सचिव स्पाइसेस बोर्ड की अध्यक्षता में स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिकों ने, जो ईडब्ल्यूजी के अध्यक्ष/ सीसीएससीएच के अंतर्गत सदस्य हैं, संबंधित मसौदा मानकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इस बैठक के परिणामस्वरूप, मानकों से संबंधित क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए मसाला उद्योग के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया। इसके बाद से, सीसीएससीएच के अंतर्गत मसौदा मानकों को अंतिम रूप से कोडेक्स सचिवालय को प्रस्तुत करने से पूर्व उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए इस तकनीकी सिमिति के सदस्यों के बीच परिचालित किया जाता है, ताकि भारतीय मसाला उद्योग के हितों को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा, जैसा कि बैठक में निर्णय लिया गया था, सीसीएससीएच के लिए राष्ट्रीय आभासी सिमिति के पुनर्गठन के लिए सुझाव नेशनल कोडेक्स कांटेक्ट प्वाइंट को प्रस्तुत किए गए।

ई) मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ)

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत मानक और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) को प्रस्तुत "भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाजार तक पहुंच में सुधार" नामक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया और अक्तू बर 2019 के दौरान हस्ताक्षरित क्रियान्वयन असाइनमेंट प्राप्त हुआ। परियोजना को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो विभिन्न सरकारी निकायों, अनुसंधान संगठनों और मसाला क्षेत्र में अन्य पणधारियों को एक साथ लेकर आएगी। इस परियोजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 22 फरवरी, 2020 को कोच्ची, केरल में श्री सोम प्रकाश, माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया।

इस परियोजना का उद्देश्य चार परियोजना स्थानों में स्वच्छता और पादपस्वछता (एसपीएस) मुद्दों का समाधान करना है अर्थात्ः (1) गुजरात के मेहसाना जिले में जीरा/सौंफ, (2) राजस्थान के जोधपुर में जीरा/सौंफ, (3) मध्य प्रदेश के गुना जिले में धनिया, और (4) आंध्र प्रदेश के पडेरु में कालीमिर्च। परियोजना का कुल बजट 992,030 यूएस डोलर है। कोडेक्स परिकोष्ठ परियोजना के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है।

अक्तूबर 2019 के दौरान परियोजना के क्रियाकलाप प्रारंभ हुए। परियोजना की अवधि आरंभ में तीन साल अर्थात् अक्तूबर 2022 तक के लिए थी। वर्तमान में, इन क्रियाकलापों को एक और साल अर्थात् अक्तू बर 2023 तक बढ़ाने की योजना है, क्योंकि व्याप्त कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति ने इन क्रियाकलापों की शुरुआत में देरी की है। स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित विकेता पंजीकरण फॉर्म एफएओ को फरवरी, 2020 के दौरान प्रस्तुत किया गया था। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने हैं तथा यह प्रक्रिया वर्तमान में, मसौदा अवस्था में हैं।

उ) आईएसओ टीसी 34/एससी7

मसालों के लिए मानकों का मसौदा तैयार करने के लिए आईएसओ समिति, अर्थात् तकनीकी समिति 34/उप-समिति 7, की अध्यक्षता पदनाम द्वारा निदेशक अनुसंधान, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा की जाती है। आईएसओ बैलेट, जिस पर सदस्य देशों से टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं, पर आगे की कार्रवाई करने के लिए चर्चा की गई थी। आईएसओ टीसी 34/एससी 7 का 30 वां सत्र प्रारंभ में फरवरी 2020 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था, परंतु इसे जून 2020 के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया। स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिकों ने मसालों के विभिन्न मसौदा मानकों पर टिप्पणियां प्रदान की थीं। कोडेक्स प्रकोष्ठ इस समिति के लिए मेजबान सचिवालय अर्थात् भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करता है।

ऊ) मसाले, पाक्य शाकों और रुचिकर सामग्री अनुभागीय समिति, एफएडी 9

निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड को पदनाम द्वारा मसालों, पाक्य शाकों और रुचिकर सामग्री अनुभागीय समिति, एफएडी 09 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस समिति की 16 वीं बैठक भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली में 25 जून, 2019 को आयोजित की गई थी।

बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इस समिति में मसालों के कई भारतीय मानकों की समीक्षा की जा रही है। स्पाइसेस बोर्ड के वैज्ञानिक मानकों को संशोधित करने के लिए यथाउपयुक्त टिप्पणियां प्रदान करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), नई दिल्ली इस समिति के लिए मेजबान सचिवालय है और कोडेक्स प्रकोष्ठ बीआईएस के साथ मिलकर काम करता है।

स्पाइसेस बोर्ड के अधिकारी ने 26 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित खाद्य और कृषि प्रभाग परिषद (एफएडीसी) की 24 वीं बैठक में भाग लिया।



वार्षिक रिपोर्ट २०१९-२०

8. गुणवत्ता सुधार

कोच्ची में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्युईएल), वर्ष 1989 में बोर्ड की अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला के रूप में स्थापित की गई थी। गुणवत्ता मुल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची, वर्ष 1997 से ब्रिटिश मानक संस्थान, यूके द्वारा आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, वर्ष 1999 से आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रमाणित है और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा सितंबर 2004 से आईएसओ/आईईसी 17025 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रत्यायित है। गुणवत्ता को प्रमुख प्रतिबद्धता मानते हुए, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने हमेशा गुणवत्ता प्रणालियों को उन्नत करके अपना प्रत्यायक बनाए रखा है। प्रयोगशाला को नवीनतम उन्नत प्रणालियों के तहत इसका प्रत्यायन हुआ है; वर्ष 2018 के दौरान ब्रिटिश मानक संस्था, युके द्वारा आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 जो 6 अगस्त, 2021 तक वैध है और वर्ष 2019 के दौरान एनएबीएल द्वारा आईएसओ/ आईईसी 17025:2017 जो 12 अप्रैल, 2022 तक वैध है।

भारत से निर्यात होने वाले मसाले उपयुक्त राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हैं और ग्राहकों को समय पर, विश्वसनीय और सटीक परीक्षा परिणाम प्रदान करें, इस उद्देश्य के साथ स्पाइसेस बोर्ड ने अपनी क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं की स्थापना करके पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। छह क्षेत्रीय गुणवत्ता मुल्यांकन प्रयोगशालाएँ अब प्रमुख उत्पादक/निर्यात केंद्रों, चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तृतीकोरिन और कांडला, में परिचालन में हैं। कोलकाता और रायबरेली में स्थापित सातवें और आठवें क्षेत्रीय गुणवत्ता मुल्यांकन प्रयोगशालाएँ शीघ्र ही परिचालन में आने की प्रतीक्षा में हैं। कोच्ची, मुंबई, गुंटुर, चेन्नई और दिल्ली की प्रयोगशालाएँ एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित हैं और अन्य प्रयोगशालाएँ प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने स्पाइसेस बोर्ड के अनिवार्य निरीक्षण के तहत परेषण के नम्नों का विश्लेषण किया, भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान कीं और देश में उत्पादित और प्रसंस्कृत मसालों की गुणवत्ता की निगरानी करने में मदद की। आयात करने वाले देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाएँ परिष्कृत उपकरणों से सुसज्जित हैं। प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ क्वाडमास नामक एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें वर्कशीट बनाने और विश्लेषणात्मक परिणाम प्रस्तुत करना शामिल है तथा इसे लगातार अपडेट किया जाता है।

अ) विश्लेषणात्मक सेवाएं

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रयोगशाला ने मिर्च व मिर्च उत्पादों के अनिवार्य नमुने के तहत सुडान डाई I-IV और एफ्लाटॉक्सिन की मौजूदगी के लिए मिर्च और मिर्च उत्पादों, हल्दी पाउडर और अन्य मिर्चयुक्त खाद्य उत्पादों की खेप के अनिवार्य नमुनों का विश्लेषण जारी रखा। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा लागु अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के अनुसार, चीनीलेपित सौंफ के बीज (सनसेट येल्लो के लिए), करी पत्ते (युरोपीय संघ केलिए प्रोफेनोफोस, ट्रायजोफोस और एंडोसल्फान जैसे नाशीजीवनाशी हेत्), जीरा (बाहरी पदार्थ और अन्य बीजों के लिए) और मिर्च, जीरा और मसाला मिश्रण (युएस के लिए साल्मोनेला हेत्) के निर्यात परेषण का विश्लेषण किया गया है।

अवधि के दौरान, भारत से जापान केलिए (तेलों और तैलीराल को छोड़कर) साबुत और पीसे हुए रूप में मसाले और मसाला उत्पादों जैसे मिर्च, जीरा, हल्दी, काली कालीमिर्च, मेथी और छोटी इलायची में इप्रोबेन्फ़ोस, प्रोफेनोफोस, ट्रायजोफोस, एथियोन, फोरेट पैराथियॉन, क्लोरपाइरीफोस और मिथाइल पैराथियान जैसे नाशीजीवनाशी अवशेषों के परीक्षण और आयातित काली कालीमिर्च के परेषण में पिपेरीन और तैलीराल सामग्री का विश्लेषण भी किया गया था।

मसालों और मसाला उत्पादों में सामान्य भौतिक, रासायनिक और सुक्ष्मजैविकीय पैरामीटरों के अलावा अन्य अवैध रंजकों (जैसे कि पैरा रेड, रोड़ामाइन बी, बटर येल्लो, सूडान रेड 7 बी



एवं सूडान ऑरेंज जी), ओक्राटॉक्सिन ए, काली कालीमिर्च में खिनज तेल, इलायची में अवैध रंग, कैसिया / दालचीनी, आदि में कौमारिन घटक का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएं भी प्रदान की गईं।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं अपने ग्राहकों को, वेबसाइट पर इसके परीक्षण की गुंजाइश उपलब्ध कराते हैं। इसे और अधिक सूक्ष्मजैविकीय पैरामीटरों सहित संशोधित किया गया है, जो स्वचालित, तेज, मान्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोग-शालाओं ने एफ़्लाटोक्सिन, अवैध रंजकों, नाशीजीवनाशी अवशेषों, सालमोनेल्ला एसपी इत्यादि सहित विविध पैरामीटरों केलिए 1,16,772 नम्नों का विश्लेषण किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब, आदि जैसे विभिन्न आयातित देशों से निर्यात की अस्वीकृति उत्पादों के भौतिक, रासायनिक, अवशेष और सूक्ष्मजैविकीय पैरामीटरों केलिए मसालों और मसाला उत्पादों के विश्लेषण पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में मसाला उद्योग के तकनीकी कार्मिक सहित कुल पाँच प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ख) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम विवरण

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने मसालों में गुणवत्ता के मुद्दों पर किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों और सरकारी अधिकारियों के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए।

ग) छात्र प्रशिक्षुता/शैक्षिक परियोजना कार्य

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने विभिन्न महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों के कुल 12 छात्रों को (स्नातक/स्नातकोत्तर छात्र सिहत) शोध-निबंध की सुविधाएं और दिशानिर्देश प्रदान किए।

गु.मू.प्र.	प्राप्त नमूनों की संख्या	परीक्षित पैरामीटरों की संख्या
कोच्ची	13060	25300
कांडला	9334	18105
चेन्नई	18659	21290
मुंबई	15009	28752
नरेला	2675	4720
तूतिकोरिन	3567	6518
गुंटूर	7945	12087
कुल	70249	116772

की निगरानी की, अनिवार्य निरीक्षण और परीक्षण के दायरे के विस्तार की आवश्यकता के लिए, लगातार समीक्षा की जाती है।

आ) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

अवधि के दौरान, प्रयोगशाला कर्मियों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार और प्रयोगशाला द्वारा अपनाई गई विभिन्न आईएसओ गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं को अद्यतन करने के भाग के रूप में, तकनीकी स्टाफ सदस्यों के द्वारा 27 अंतर्राष्ट्रीय /राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं में भाग लिया गया।

इ) प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) मसाला उद्योग से तकनीकी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रयोगशाला ने मसालों/मसाला

ई) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भागीदारी:

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के तकनीकी अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधित 13 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया।

उ) आईएसओ सिस्टम संबंधित कार्यकलाप

- क) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नै ने आईएसओ आईईसी 17025: 2017 केलिए एनएबीएल लेखापरीक्षा सफलतापूर्वक पूरा की और प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त किया।
- ख) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई ने आईएसओ आईईसी 17025: 2017 केलिए एनएबीएल लेखापरीक्षा पूरी की।



ग) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, तूतिकोरिन ने आईएसओ आईईसी 17025: 2017 केलिए आंतरिक लेखा-परीक्षा पूरा की है और प्रयोगशाला के पूर्वमूल्यांकन की प्रतीक्षा में है।

क) एएसटीए जाँच नमूना कार्यक्रम

वर्ष के दौरान, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई ने कैप्सेइसिन, कलर वैल्यू, नमी, वाष्पशील तेल और पिपेरीन पैरामीटरों केलिए एएसटीए 2019 चौथी तिमाही के पीटी कार्यक्रम में भाग लिया। सभी अध्ययनों का "Z" स्कोर, मंजूर सीमाओं के बिलकुल अंदर पाए गए।

ऋ) स्पाइसेस बोर्ड नमूनाजांच कार्यक्रम / प्रवीणता परीक्षण कार्यक्रम

- क) क्यूईएल ने विभिन्न भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट और सूक्ष्मजैविकीय पैरामीटरों के लिए अंतर-प्रयोगशाला जांच नमूना कार्यक्रम आयोजित किया और परिणाम "Z" स्कोर की सीमा के भीतर थे और जहां भी विचलन देखा गया है वहां सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।
- ख) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसेिक एफएपीएएस, त्रिलोगी एनिलिटिकल लेबोरटरी व आश्वी पीटी प्रोवाइडर्स द्वारा आयोजित प्रवीणता-परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत गुंटूर, मुंबई तथा तूतिकोरिन की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने विभिन्न भौतिक, रासायनिक, अविशष्ट और सूक्ष्मजैविकीय पैरामीटरों में सिक्रय रूप से भाग लिया। सुड़ान-I, सुड़ान-II, सुड़ान-IV, टोटल एफ्लाटॉक्सिन, टोटल एंड़ोसल्फान, टोटल प्लेट काउंट, स्टैफाइलोकोकस औरियस, पैरारेड, बट्टर येल्लो, रोड़ामिन बी, सुड़ान ऑरेंज जी, ऑरेंज-II और सुड़ान रेड 7बी ऐसे कुछ पैरामीटर थे।
- ग) एफ़एपीएएस प्रवीणता-जांच कार्यक्रम के अंतर्गत, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने सुड़ान ड़ाई, पैरा रेड, बट्टर येल्लो, रोडामाइन बी, सूडान ऑरेंज जी, सुडान रेड 7बी और ऑरेंज - II केलिए पीटी कार्यक्रम में भाग लिया।
- घ) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने नमी, कुल राख, गैर वाष्पशील ईथर निचोड़, वाष्पशील तेल, एसिड अघुलनशील राख, कैप्सेइसिन, क्रूड फाइबर जैसे पैरामीटरों केलिए आश्वी पीटी प्रोवाइडर द्वारा आयोजित पीटी कार्यक्रमों में भाग लिया।

ए) खरीद के लिए मानकों का सामंजस्यः

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के स्टाफ ने मसालों व पाक शाकों केलिए कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) में सिक्रय रूप से भाग लिया और विनिर्देशों को तैयार करनेवाले इलेक्ट्रोनिक कार्य दलों (ईडब्ल्यूजी) का नेतृत्व किया। वर्ष के दौरान गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने सीसीएससीएच के अंतर्गत ईडबल्यूजी के रूप में निम्निलिखत मानकों के विकास केलिए सिक्रय रूप से योगदान दिया:

- "सूखे फलों और फलियों" (सूखी मिर्च, कालीमिर्च और पैप्रिका) के लिए समूह मानक
- "सूखे फूलों के भाग" (केसर व लौंग) केलिए समूह मानक
- "सूखी जड़ें, राइज़ोम एवं प्रकंद" (सूखे लहसुन व अदरक)
 केलिए समूह मानक
- ओरेगेनो पर प्रस्तावित संशोधित मानक मसौदा
- "सूखे पत्ते" (तुलसी) केलिए समूह मानक
- "सूखे बीज" (जायफल) केलिए समूह मानक

ऐ) परियोजना / मानकीकरण कार्य

- क) रायबरेली की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला ने उपकरणों की स्थापना पूरी की है और मेंथा तेल में भौतिक रासायनिक पैरामीटर हेतु परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। रिफ्रेक्टोमीटर, डेंसिटोमीटर, पोलारिमीटर और फ्लैश पॉइंट उपस्कर जैसे उपकरण, क्रमशः पुदीने के तेल के नमूनों के अपवर्तक सूचकांक, घनत्व, ऑप्टिकल रोटेशन और फ्लैश पॉइंट के परीक्षण के लिए स्थापित किए गए हैं।
- ख) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई ने करी पत्ते में नाशीजीवनाशी अवशेषों की दस अणुओं (मोणोक्रोटोफोस, एसेफेट, ट्रियाजोफोस, क्लोर्पाइरिफोस, एसेटमीप्रीड, क्लोथियंडिन, मेथिमडोफोस, थियामेथोकसाम, प्रोपार्गाइट, ऑक्सी डेमेटोनमेथाइल) केलिए परीक्षण मानकीकृत किया गया और जुलाई, 2019 से लेकर यूरोपीय संघ के परेषणों केलिए परीक्षण प्रारंभ किया है। मानकीकरण के अंतर्गत सउदी अरब केलिए इलायची में छह नाशीजीवनाशी अवशेषों (एसेटमीप्रीड, साइहलोथ्रिन, साइपेमेंथ्रिन, प्रोफेनोफोस, ट्रियाजोफोस, डाइथियोकार्बमेट्स) केलिए विधि का विकास मानकीकरणाधीन है।



9. निर्यातोन्मुख अनुसंधान

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान अनेक शोध कार्यक्रम संचालित किए जिनमें मुख्य रूप से पोषक प्रबंधन और मुदा विश्लेषण पर आधारित फसल सुधार, जैव-प्रौद्योगिकी, फसल उत्पादन अध्ययन, छोटी और बड़ी इलायची में एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन पर आधारित फसल संरक्षण अध्ययन तथा अन्य मसालों में अनुकृली परीक्षण शामिल थे। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किसानों और लक्षित समृहों के लिए विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किया गया था जैसे परामर्शिकाएं, वैज्ञानिक-किसान संपर्क, स्पाइस क्लिनिक, क्षेत्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ऑडियो और विज़्अल मीडिया एवं प्रकाशन। आईसीआरआई ने रणनीतियों को विकसित किया और इलायची में कीटनाशक के उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता पैदा की, एकीकृत नाशकजीव प्रबंधन (आईपीएम), एकीकृत रोग प्रबंधन (आईडीएम) और एकीकृत पोषक प्रबंधन (आईएनएम) प्रणालियों के साथ-साथ जैविक खेती की प्रथा को प्रोत्साहित किया।

क. फसल सुधार

क) छोटी इलायची

जननद्रव्य अन्वेषण ने केरल के इडुक्की जिले से छोटी इलायची के सात अनोखे अभिगमन प्राप्त किए। कर्नाटक के मिडकेरी जिले के अलग-अलग क्षेत्रों तथा कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के बनाकाल क्षेत्र में कर्नाटक में किए गए सर्वेक्षण में इलायची के 18 अभिगमन प्राप्त हुए, जिन्हें जननद्रव्य भंडार में जोड़ा गया। डिजिटलीकरण के भाग के रूप में, छोटी इलायची के 100 अभिगमनों के आकारकीय और उपज आंकड़ों को संकलित और विश्लेषित किया गया था। आईसीआरआई, आरआरएस, सकलेशपुर में राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन द्वारा एकत्रित छोटी इलायची की आठ अलग-अलग भू-प्रजातियों (पच्चैकाई, पिनकुलांगारा, वंडर कार्डमम, तिरुताली, अर्जुन, एलाराजन, पप्पालु और पीएनएस वेगई) का प्रदर्शन मूल्यांकन परीक्षण शुरू

किया गया था। आईसीआरआई, आरआरएस सकलेशपुर में छोटी इलायची के एफ1 संकर (संख्या 10) का क्षेत्र मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन किए गए दस संकरों में, एसएचसी 28 (एसकेपी 189 x एमसीसी 260) (1255.2 किग्रा/हे.) और एसएचसी 24 (एसकेपी 189 x एसकेपी 184) (1077.5 किग्रा/हे.) श्रेष्ठ पाए गए।

किसानों की कालीमिर्च की किस्म जैसे पेप्पर तेक्कन, ज़ियोनमुंडी और कुंबुक्कल पेप्पर के गुणवत्ता पैरामीटरों का विश्लेषण किया गया था।

किसानों को छोटी इलायची (1500 रोपण इकाइयाँ) और छोटी इलायची संकर (5000 पादप) की गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति क्रमशः आईसीआरआई, मैलाडुंपारा और आईसीआरआई, आरआरएस, सकलेशपुर द्वारा की गई थी। इस अवधि के दौरान कर्नाटक से रोपणकर्ताओं को कालीमिर्च की 6,021 रोपण सामग्री की आपूर्ति की गई थी।

ख) बड़ी इलायची

जर्मप्लाज्म अन्वेषण से एक अभिगमन प्राप्त हुआ जो कि कृषिजोपजाति वर्लेगे जैसा था। वर्तमान में, कुल उपलब्ध संग्रहण में 167 अभिगमन हैं तथा उन्हें काबी और पांगथांग अनुसंधान फार्मों में जननद्रव्य संरक्षणशाला में रखा गया है।

आईसीएआर-आईआईएसआर, कालीकट के सहयोग से बड़ी इलायची के दस (तीन जंगली सिहत) आशाजनक अभिगमनों की ऑयल प्रोफाइलिंग जारी है। इन नमूनों में वर्लेंगे (एससीसी 260), सावनी (एससीसी 157), सेरेमना (एससीसी 243), रामसे (एससीसी 246), रामला (एससीसी 254), आईसीआरआई सिक्किम-1 और 2, अमोमम किंगली, अमोमम डेलबेटम और अमोमम एरोमैटिकम शामिल हैं।

एआईसीआरपीएस के अंतर्गत, सात अभिगमनों के पासपोर्ट डाटा को प्रलेखित किया गया था और आईसी नंबर के लिए



वार्षिक रिपोर्ट २०१९-२०

एनबीपीजीआर को भेजा गया था। कोहिमा, नागालैंड में परीक्षण भुखंड से दर्ज किए गए विकास पैरामीटरों के आंकड़ों से पता चला है कि वार्लेंगे ने सभी विकास पैरामीटरों और स्थान के लिए अनुकूलन क्षमता में गोलसी से बेहतर प्रदर्शन किया।

ख, जैव-प्रौद्योगिकी

छोटी और बडी इलायची

आणविक मार्करों का प्रयोग करते हुए छोटी इलायची की भू-प्रजातियों की विविधता का विश्लेषण किया गया था। सभी 20 भु-प्रजातियों के पासपोर्ट डाटा संकलित किए गए थे। मलबार किस्म विशिष्ट एससीएआर सीक्वेंस एनसीबीआई (यूएसए) में प्रकाशित हुआ था। बड़ी इलायची की प्राकृतिक किस्मों/ कृषिजोपजातियों के विविधता-विश्लेषण से उच्च बहरूपता का पता चला है। बडी इलायची के 65 अभिगमनों के पासपोर्ट डाटा को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। प्राकृतिक कृषिजोपजातियों की आकृतिक और आणविक विशेषता-वर्णन के आधार पर बड़ी इलायची का वर्णनकारी कार्य शुरू किया गया था और प्रत्येक प्राकृतिक कृषिजोपजाति का विभेद करने के लिए विशिष्ट विशेषताओं और महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषताओं का चयन किया गया था।

भौगोलिक मूल के विश्लेषण के भाग के रूप में भारतीय इलायची और ग्वाटेमाला इलायची के डीएनए प्रोफाइलों ने बहरूपता के उच्च स्तरों को दर्शाया है जो विशिष्ट मार्कर विकास के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। अनुक्रम विश्लेषण शुरूिकया गया है।

इलायची ट्रांसक्रिप्टम परियोजना के अंतर्गत कैप्सूल रॉट और चिके वायरस रोग से संबंधित ट्रांस्क्रिप्ट की आरएनए सीक्वेंसिंग को पुरा किया गया तथा जेएनटीबीजीआरआई, केएससीएसटीई, केरल सरकार, तिरुवनन्तपुरम के सहयोग से डाटा विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है। छोटी और बड़ी इलायची के ट्रांसक्रिप्टम डाटा और पांड्लिपियों को क्रमशः एनसीबीआई और एल्सेवियर जर्नल में प्रकाशित किया गया था। बड़ी इलायची वायरस से आरएनए विलगन और विषाण् संक्रमित बड़ी इलायची के नमुनों में प्राइमर सत्यापन विषाण् नैदानिकी पर प्रयोगात्मक परीक्षणों के अंतर्गत और डब्ल्युओएस (डीएसटी) परियोजना के भाग के रूप में संचालित किया गया था। इडुक्की जिले में 13 स्थानों से 20 फ्युसैरियम संक्रमित इलायची पादप नमुनों के रूपात्मक विशेषता-

वर्णन ने इसकी उपस्थिति की पुष्टि की। आईटीएस 3/आईटीएस 4, आईटीएस 2/ आईटीएस 5, आईटीएस 6/ आईटीएस 2, एफओएक्स एफ/एफओएस आर प्राइमर संयोजनों का उपयोग करके डीएनए विलगन और पीसीआर विश्लेषण संचालित किया गया।

छोटी और बडी इलायची, कालीमिर्च, वैनिला, अदरक और शाकीय मसालों के ऊतक संवर्धन प्रारंभ किए गए थे। चार पीजी परियोजना प्रशिक्षुओं और दो शिक्षुओं को डीएनए प्रोफाइलिंग, जैवस्चनाविज्ञान तकनीकों और ऊतक संवर्धन पर प्रदर्शन और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किए गए। पीएच.डी परियोजना के एक भाग के रूप में, आणविक मार्करों का उपयोग करते हुए कालीमिर्च की भूप्रजातियों को आनुवंशिक विविधता अध्ययन के अधीन रखा गया था। कृषि विश्वविद्यालयों के पीजी प्रशिक्षुओं और छात्रों को इलायची में ऊतक प्रवर्धन, मेरिस्टेम प्रवर्धन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं के तीन बैचों को पादप ऊतक प्रवर्धन तकनीशियन पर आरपीएल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ग. कृषिविज्ञान और मृदा विज्ञान

क) छोटी इलायची

रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, इलायची उत्पादकों से प्राप्त 1340 मुदा नम्नों का मृदा पीएच के अलावा प्रमुख, माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक-तत्वों के लिए विश्लेषण किया गया था। मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, उत्पादकों को इलायची के लिए उपयुक्त उर्वरक कार्यक्रम प्रदान किए गए। इड्क्की जिले के विभिन्न भागों से मुदा के इक्कीस नमुनों को सलाहकार सेवा के भाग के रूप में उनकी बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया गया था।

केरल सरकार के भू-जल विभाग के सहयोग से कृषि-विज्ञान और मृदा विज्ञान प्रभाग, आईसीआरआई, मैलाडुंपारा में "इडुक्की जिले के इलायची की खेती वाले क्षेत्रों में कीटनाशकों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन" नामक एक सहयोगी परियोजना शुरू की गई। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, विभिन्न कीटनाशकों के लिए इड्क्की जिले के इलायची उत्पादक क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों से पानी के 92 नम्नों का विश्लेषण किया गया।

मैलाडुंपारा स्थित आईसीआरआई की कालीमिर्च पौधशाला को इस वर्ष के दौरान सुपारी और मसाला विकास निदेशालय



(डीएएसडी), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू), भारत सरकार से प्रत्यायन प्राप्त हुआ है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, जलवायु-विज्ञान पर परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2009 से 2019 तक 10 वर्षों के जलवायु मापदंण्डों को संकलित किया गया। पिछले तीन दशकों में मौसम संबंधी पैरामीटरों में परिवर्तनों की मात्रा को आंका गया।

पीजी परियोजनाओं के भाग के रूप में, इडुक्की जिले में तीन प्रमुख स्थानों का कालीमिर्च के लिए सर्वेक्षण किया गया और नमूनों को एकत्र किया गया तथा इसके भौतिक और आंतरिक गुणों का विश्लेषण किया गया।

ख) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची में पैदावार अधिकतम करने में बोरोन की भूमिका पर किए गए अध्ययनों से दूसरों की तुलना में बोरेक्स @ 0.5% + @ 2.5 कि.ग्रा/हे. बोरेक्स मृदा अनुप्रयोग के उपचार में अधिकतम शुष्क उपज किलोग्राम/हेक्टेयर (561.0), अधिकतम लाभ: लागत अनुपात (2.49) का पता चला है।

सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और किलम्पोंग जिलों से उच्च (बड़ी इलायची उत्पादकता पुरस्कृत भूखंड) और कम उत्पादकता (रोग प्रभावित) वाले बागानों से मृदा और पौधों के नमूनों के संग्रह के लिए सर्वेक्षण किया गया था। परिणाम में पाया गया कि उच्च उत्पादकता के लिए पीएच 5.5 से 6.0 तक की मृदा सबसे अच्छी है।

यथास्थाने मृदा संरक्षण प्रक्रियाओं, सतह की मिल्चिंग में काफी अधिक संख्या में मृदा आर्द्रता मात्रा (23.10 प्रतिशत) दर्ज की गई है, जिसका उपचार ढलान पर खांचे बनाना है जो सम्यक रूप से बायोमास से भरे हों, जिसमें अन्य सभी उपचारों की तुलना में सबसे अधिक शुष्क उपज (617.94 किलोग्राम/हेक्टेयर) पाई गई और अधिकतम लाभ लागत अनुपात (2.89) दर्ज किया गया।

घ. पादप रोगविज्ञान

छोटी और बड़ी इलायची के लिए पादप संरक्षण संहिता (पीसीसी) को अंतिम रूप दिया गया और विशेषज्ञ समिति द्वारा उसे अनुमोदित किया गया जिसमें सचिव एचसी और डीडी, सिक्किम सरकार, बागवानी आयुक्त, भारत सरकार, निदेशक, आईआईएसआर, निदेशक, डीएएसडी एवं प्रत्यायन सिमित के अध्यक्ष शामिल थे और उसे मंत्रालय को भेजा गया। इडुक्की के विभिन्न स्थानों में छोटी इलायची के रोगों का आविधक सर्वेक्षण निश्चित भूखंडों में संचालित किया गया तथा बड़ी और छोटी बीमारियों की घटनाओं को दर्ज किया गया। कैप्सूल रॉट की घटना 2.11-19.58 प्रतिशत, क्लंप रॉट 1.07-13.99 प्रतिशत, फ्यूज़ेरियम रूट रॉट 2.89-5.99 प्रतिशत, लीफ ब्लॉच 1.88-6.56 प्रतिशत और विषाणु रोग 2.11-2.90 प्रतिशत तक थी। इडुक्की में सड़न रोग वाले प्रमुख क्षेत्रों से छोटी इलायची की पांच रॉट एस्केप लाइनों को एकत्र किया गया था।

प्राकृतिक क्षेत्र परिस्थितियों में रोगों के प्रति उनकी सिहष्णुता के लिए वर्ष 2019-20 के दौरान बीस छोटी इलायची जननद्रव्य जीनोटाइपों की जांच की गई थी। पचास प्रतिशत पौधों को फिओडैक्टाइलम अल्पीनिए द्वारा कारित लीफ ब्लॉच के प्रति अतिसंवेदनशील पाया गया। फाइटोफ्थोरा मीडी द्वारा कारित लीफ ब्लॉच 15 प्रतिशत पादपों के मध्य देखी गई जबिक कोलेटोट्रिकम ग्लीओस्पोरिओइड्स द्वारा कारित चेंथल अध्ययन किए गए सभी इलायची जीनोटाइपों में देखा गया था।

कीटनाशकों, क्विनालफोस + डायफेंथियूरोन, क्विनालफोस + फेंथोएट, क्विनालफोस + कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, + कॉपर ऑक्सीक्लोराइड + फेंथोएट, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड + डायफेंथियूरोन, फेनथोएट + डायफेंथियूरोन को अनुशंसित खुराकों पर स्प्रे विलायकों में अनुकूल पाया गया तथा 72 घंटे बाद भी कोई पाइप-विषाक्तता नहीं देखी गई।

47 मसाला नमूनों पर रोगजनक पृथक्करण और पहचान अध्ययनों से पता चला है कि पयूज़ीरियम ऑक्सीस्पोरम इलायची के 23 नमूनों में, कोलेटोट्रिचम ग्लोइओस्पोरिओडेस 9 नमूनों में, फाइटोफ्थोरा मीडी 4 नमूनों में, पायिथयम स्प. 3 नमूनों में और रीज़ोक्टोनिया सोलानी 3 नमूनों में सहयोजित था। फाइटोफ्थोरा कैप्सिकी कालीमिर्च के 4 नमूनों से प्राप्त की गई थी।

इडुक्की, केरल में इलायची के थोक मृदा नमूनों से एकत्र किए गए अट्ठाईस बैक्टीरियल आइसोलेट्स और 22 फंगल आइसोलेट्स का सड़न रोगजनकों अर्थात् पायिथयम, फाइटोफ्थोरा, फ्यूजेरियम और रीजोक्टोनिया के विरुद्ध यथास्थाने परिस्थिति में उनकी जैव-नियंत्रण प्रभावकारिता के लिए अध्ययन किया गया। एक बैक्टीरियल आइसोलेट और पांच फंगल आइसोलेट्स ने इन रोगजनकों के प्रति 70 प्रतिशत से अधिक अवरोध दिखाया।



वार्षिक रिपोर्ट २०१९-२०

अडिमाली क्षेत्र में जायफल के पादपों में सिलिंडोक्लेडियम स्कोपेरियम के कारण लीफ स्पॉट रोग देखा गया और इसे पहली बार दर्ज किया गया।

ड. कीट-विज्ञान

क) छोटी इलायची

इलायची के प्रमुख कीटों अर्थात् थ्रिप्स और शूट बोरर पर नए कीटनाशक अणुओं अर्थात् फ़िप्रोनिल पाँच प्रतिशत एससी और स्पिनोसैड 45 प्रतिशत एससी, 25 प्रतिशत ईसी इमिडैक्लोप्रिड @ 17.8 एसएल और क्विनालफ़ॉस 25 प्रतिशत ईसी का विश्लेषण किया गया और इलाइची उत्पादकों को न्यूनतम संकेंद्रण पर प्रभावी खुराकें अनुशंसित की गईं।

एकत्रित ऐन्टोपैथोजेनिक कवक (ईपीएफ) ने इलायची क्षेत्र से रूट ग्रब और थ्रिप्स को प्रभावित किया और प्रयोगशाला में रूट ग्रब और थ्रिप्स से कवक को पृथक किया। इन्हें विभिन्न इलायची अभिगमनों में थ्रिप्स सहिष्णु लाइनों के लिए स्क्रीन किया गया।

इलायची रूट ग्रब के पर्यावरण-अनुकुल प्रबंधन के लिए ऐन्टोपैथोजेनिक नेमाटोड (ईपीएन) के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कम लागत वाला कृत्रिम आहार का विकसित किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, इलायची रूट ग्रब के प्रबंधन के लिए 97.06 एकड क्षेत्र को कवर करने वाले जरूरतमंद किसानों को 1,70,840 ईपीएन संक्रमित 49 'गैलेरिया' कैडेवरों की आपूर्ति की गई थी।

कर्नाटक में जैव-नियंत्रण उपायों के एक भाग के रूप में, इलायची में शूट फ्लाई संक्रमण को प्रबंधित करने के लिए आईसीआरआई फार्म में तीस फिश मील ट्रैप लगाए गए थे।

ख) बड़ी इलायची

प्रमुख कीटों की कोई घटना नहीं होने के साथ काबी और पांगथांग अनुसंधान फार्मों में निर्धारित भूखंड सर्वेक्षण में कीटों की घटना 5 प्रतिशत से कम दर्ज की गई। तथापि, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में तथा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में निगरानी के दौरान कैप्स्यूल बोरर और लीफ कैटरपिलर की घटना क्रमश: 10 से 15 प्रतिशत और 2 से 10 प्रतिशत थी। पांगथांग फार्म की तुलना में काबी फार्म में कैप्स्यूल बोरर की घटना अधिक पाई गई। काबी फार्म में कृषिजोपजाति सावर्णी, वर्लेंगे और सेरेमना में प्रतिशत संक्रमण 4.80, 3.22 और 3.03 था, जबिक पांगथांग फार्म में यह क्रमश: 1.32, 1.02 और 1.15 था।

पादप परजीवी सुत्रकृमि की घटना पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों के अलावा पूर्वी, उत्तर और पश्चिम जिला सिक्किम के बड़ी इलायची के बागानों में देखी गई। बड़ी इलायची मुदा में मेलोइडोजीन इंकोग्निटा, प्राटिलैन्चस एसपी. और हेलिकोट ाइलेंचस एसपी. मौजद पाए गए।

च. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

क) छोटी इलायची

इड्क्की जिले में 14 मसाला क्लीनिक आयोजित किए गए, जिनमें 74 बागानों का दौरा किया गया और खेती के विभिन्न पहलुओं पर सलाह दी गई जिससे 325 किसान लाभान्वित हुए। कर्नाटक में दस मसाला क्लीनिक आयोजित किए गए जिनसे 700 किसानों को लाभान्वित किया गया। आईसीआरआई अनुसंधान प्रभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं से एक हजार छह सौ छत्तीस कृषक/पणधारी लाभान्वित हुए। इस अवधि के दौरान इलायची, मिर्च और अन्य मसालों की खेती के विभिन्न पहलुओं पर इक्कीस प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम/ अनुभवजन्य दौरे आयोजित किए गए जिनसे 659 किसानों/छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ। "जैव-नियंत्रण एजेंट्स के व्यापक प्रवर्धन पर सात व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों" का आयोजन किया गया और एसएचजी/किसान समृहों/क्लबों के 89 किसानों ने इनमें भाग लिया।

बायोएजेंट अर्थात् स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस (द्रव्य) 830 ली., ट्राइकोडमां हर्ज़िएनम (द्रव्य) 759 ली., ट्राइकोडमां हर्ज़िएनम (ठोस) 346 किलोग्राम, पैसिलिलोमाइसिस लिलसिनस (द्रव्य) 21 ली. और वीएएम (ठोस) 46 किलोग्राम की आपर्ति केरल और कर्नाटक में किसानों को की गई। इस वर्ष के दौरान फसल संरक्षण प्रभाग द्वारा प्रदान की गई रोग और कीट नैदानिक सेवाओं से तीन सौ 34 कृषक/हितधारक लाभान्वित हुए।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, जॉब रोल्स पर 95 आरपीएल (पीएमकेवीवाई) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे अर्थात् जैव कृषक, पैक हाउस कर्मी, पौधशाला कर्मी और पादप ऊत्तक प्रवर्ध तकनीशियन तथा इनमें कर्नाटक में आदिवासी



युवाओं सहित कुल 3866 प्रशिक्षु लाभान्वित हुए।

आकाशवाणी द्वारा आईसीआरआई मैलाडुंपारा और सकलेशपुर के वैज्ञानिकों की भागीदारी के साथ रेडियो वार्ताएं आयोजित की गई। आरआरएस, आईसीआरआई सकलेशपुर और प्रसार भारती (आकाशवाणी, हसन) ने संयुक्त रूप से रेडियो कार्यक्रमों 'सम्बारा बेलाकु' और 'सम्बारा सिरी' का आयोजन करने के लिए सहयोग किया और रेडियो 'किसान वाणी' के माध्यम से प्रचालनों का कैलेंडर प्रसारित किया गया।

ख) बडी इलायची

सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में चार मसाला क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इनसे 117 किसान लाभान्वित हुए। तेरह किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों और तीन संगोष्टियों का आयोजन किया गया तथा इन कार्यक्रमों से 326 किसान और अधिकारी लाभान्वित हुए। वैज्ञानिकों ने राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित तेईस बैठकों/ कार्यशालाओं में भाग लिया।

छ. बाह्य वित्त-पोषित और सहयोगी परियोजनाएँ

आईसीआरआई ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को निष्पादित किया:

- मसालों पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना - आईसीएआर, नई दिल्ली - आईसीआरआई के तीन केंद्रों (एमवाईएल, एसकेपी एवं जीकेटी) को सहयोजित केंद्र के रूप में मान्यता दी।
- डीयूएस (विशिष्टता, एकरूपता और स्थिरता) पीपीवी और एफआर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय छोटी इलायची के लिए डीयूएस परीक्षण केंद्र के रूप में आईसीआरआई से मान्यताप्राप्त।
- जेएनटीबीजीआरआई, तिरुवनंतपुरम, (केएससीएसटीई, केरल सरकार) - इलायची पर आणविक - जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान पर सहयोगात्मक परियोजना (समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत)
- रैलीज़ इंडिया बैंगलोर ने सहयोगात्मक अनुसंधान और कीट नाशक परीक्षण लिए वित्त-पोषण किया - एंटोमोलॉजी
- केंद्रीय भू-जल विभाग नई दिल्ली और भूजल विभाग,

केरल द्वारा इलायची की खेती वाले क्षेत्रों में कीटनाशक अविशष्टों के पर्यावरणीय प्रभाव पर वित्त-पोषित परियोजना - कृषि और मृदा विज्ञान

ज. सामान्य

छोटी इलायची के लिए 31वीं वार्षिक अनुसंधान परिषद (एआरसी) मार्च 2020 के दौरान, आईसीआरआई मैलाडुंपारा में और बड़ी इलायची के लिए 27 वीं एआरसी फरवरी 2020 में तादोंग, सिक्किम में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान वैज्ञानिकों के काम की प्रगति की समीक्षा की गई थी। आईआईपीएम्, बैंगलोर द्वारा सभी केन्द्रों पर निर्यात-उन्मुख अनुसंधान से संबंधित एक मध्याविध समीक्षा की गई।

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान आईसीआरआई मैलाडुंपारा में दर्ज की गई कुल वार्षिक वर्षा कुल 120 बारिश-दिनों के साथ 2004.7 मिमी थी। इस अवधि के दौरान 19.8° से. के औसत वार्षिक तापमान के साथ तापमान 31.41 से. से 12.010 से. तक था। आरआरएस सकलेशपुर में कुल वर्षा 118 बारिश-दिनों में 4155.65 मिमी थी। माध्य अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 29.40 से. और 19.20 से. दर्ज किया गया।

रिपोर्ट की अविध के दौरान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों, पुस्तकों, लोकप्रिय प्रकाशनों में शोध दस्तावेज प्रकाशित किए गए और विभिन्न विचार-गोष्ठियों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में अनुसंधान प्रस्तुतियाँ पेश की गईं। वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पित्रकाओं में समीक्षकों के रूप में कार्य किया।

वैज्ञानिकों ने इलायची और कालीमिर्च के लिए क्यूआईटीपी में विषय विशेषज्ञों के रूप में भाग लिया, अन्य विभागों और संघों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की, विशेष रूप से जनजातीय समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जैव विविधता, सामाजिक-वानिकी/कृषि-वानिकी, पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रमों का संचालन किया, किसानों की आय को सुदृढ़ बनाने पर बैठकें आयोजित कीं, पौधशाला प्रत्यायन, जागरूकता कार्यक्रम, अनुसंधान समीक्षाएं, उत्पादन प्रौद्योगिकियां आदि। वैज्ञानिकों ने आईसीएआर-सीसीएआरआई, ओल्ड गोवा में मसालों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी पर्चे प्रस्तुत किए। वैज्ञानिकों ने आईआईएसआर, अपांगला, कर्नाटक विश्व मसाला संगठन की बैठक में भाग लिया जिसका विषय था 'मसाला उत्पादन में संधारणीयता'।



10. सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण

सूचना प्रौद्योगिको के प्रयोग से बोर्ड के कार्यकलापों में काफी बदलाव आया है। कई मैनुअल प्रचालनों का ऑनलाइन प्रणाली में बदल दिया जाता है जो बोर्ड के विभिन्न विभागों के कार्यभार को प्रभावी ढंग से कम करते हैं और उनके संचालन के लिए बदलाव का समय कम करते हैं। ईडीपी विभाग उनके साथ काम करके बोर्ड के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में, यह पूरी प्रणाली को त्वरित और अधिक उत्पादक बनाता है और बोर्ड को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

ईडीपी विभाग की मुख्य गतिविधियाँ है

- सूचना प्रौद्योगिकी के कारगर प्रयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह, मार्गदर्शन और सहायता करना;
- मौजूदा अनुप्रयोगों, संदेश समाधान, इंटरनेट और वेबसाइट के रखरखाव के लिए हेल्प डेस्क प्रबंधन
- हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और बाह्य उपकरण जैसे सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के ज़िरए संगठन का प्रशासन;

- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण, और कार्यान्वयन के लिए उपाय तैयार करना;
- सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का उन्नयन;
- सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारू संचालन के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओंका निरूपण और कार्यान्वयन
- आंकड़ा प्रक्रमण
- नई प्रणालियां (या मौजूदा प्रणाली में संशोधन) की आवश्यकता को पहचानना और प्रयोक्ताओं के अनुरोध की पूर्ति करना ।
- सूचना प्रणालियों और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की डिजाइन,
 विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव।
- बोर्ड की वेबसाइट spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com और ccsch.in का रखरखाव और अद्यतनीकरण
- कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का गठन और संचालन।



11. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

स्चना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जुन 2005 को प्राप्त हुई थी। अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढावा देने के क्रम में, सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन की जानकारी स्रिक्शत रूप से प्राप्त करने हेतू नागरिकों को सूचना के अधिकार का एक व्यावहारिक शासन व्यवस्था स्थापित करना है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत अधिसचित कुछ सुचना को छोड़कर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नागरिक, बोर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। नागरिक निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बोर्ड के बारे में सुचना प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड ने सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है। बोर्ड ने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रेषित सूचना के प्रसारण के समायोजन हेत् उप-निदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। मुख्यालय में एक सहायक समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भी नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रसारण के लिए बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत मुख्यालय में सात केंद्रीय सार्वजनिक सुचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अनुसंधान स्टेशन, मैलाडुंपारा, इड्क्की में एक केंद्रीय सार्वजनिक स्चना अधिकारी (सीपीआईओ) को पदनामित किया गया है। निदेशक (प्रशासन), स्पाइसेस बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सिक्रय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनपालन सनिश्चित करने के लिए उपनिदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उप-निदेशक (ईडीपी) को सचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत दायित्वों के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड के 'पारदर्शिता अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है। बोर्ड ने हर सूचना, जो प्रकट करना अपेक्षित है, को स्वप्रेरणा से, ऐसे प्ररूप और रीति में बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए आवश्यक जानकारी का ऐसे प्रकार और रूप में प्रकट किया है, जो [सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)। जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य है। वर्ष 2019-20 के दौरान, भौतिक रूप से और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 113 सूचना का अधिकार आवेदन और छह अपीलें सुचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों में सूचना का प्रसार किया गया। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सुचना आयोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। आरटीई पंजीकरण शुल्क के रूप में रु. 220/- की राशि प्राप्त की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित क्रम के अनुसार त्रैमासिक आरटीआई विवरणी (पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक) का अद्यतनीकरण किया गया।



परिशिष्ट I

		पाराशष्ट 1
	सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2019-20 के पैरा	उत्तर /प्रस्तावित कार्रवाई
अ	तुलन पत्र	
1	देनदारियाँ	
1.1	उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां 240.46 करोड रुपए	
	उपर्युक्त को, 'निधियों के खाते में किए गए निवेश से आय' के शीर्ष के अधीन उद्दिष्ट निधियों (पेंशन देनदारियाँ) में जमा करने के बदले, आय एवं व्यय खाते में आय के रूप में वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के लेखाकरण के कारण 3.52 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों तथा आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता में 3.52 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है। यह टिप्पणी वर्ष 2018-19 के पृ.ले.रि. में भी उठाई गई थी लेकिन बोर्ड द्वारा कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया।	वर्तमान में अनुसूची 3 के अनुसार प्रमुख निधि शेष केवल पेंशन देयताओं, मसाला पार्क और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला हेतु उद्दिष्ट निधि के लिए है। वित्तीय लेखा प्रणाली के अनुसार केवल एक ही ब्याज कोड है। यह कोड आय और व्यय खाते से जुड़ा हुआ है। इसलिए ही आय और व्यय खाते में ब्याज का पूरी तरह से हिसाब रखा गया है। लेखापरीक्षा पर की गई टिप्पणी अच्छी तरह से नोट की गई है। टिप्पणी के समाधान की संभावना का 2020-21 के दौरान पता लगाया जाएगा।
1.2	उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां	3.14 m & 3.1
	उपर्युक्त को, वर्ष 2019-20 के दौरान, उद्दिष्ट पेंशन निधियों पर, उपचित ब्याज के गैर-लेखाकरण के कारण 2.12 करोड़ रुपए कम करके दिखाई गई है। इसके परिणामस्वरूप उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियों तथा चालू परिसंपत्तियों (उपचित आय) की 2.12 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति हुई है।	लेखापरीक्षा पर की गई टिप्पणी अच्छी तरह से नोट की गई है। यह असावधानी के कारण हुई चूक है और कृपया माफ किया जाए। भविष्य में लेखे का अंतिम रूप देते समय आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।
		ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।
2	परिसंपत्तियां	
2.1	स्थिर परिसंपत्तियां 200.16 करोड़ रुपए	
	उपर्युक्त को, मसाला पार्कों तथा गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं का, उनके (निर्माणकार्य) पूरे होने तथा कार्य प्रारंभ होने के बावजूद भी, गैर-पूंजीकरण के कारण 1.45 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप भी प्रक्रियाधीन पूंजी-कार्य की अत्युक्ति हुई है। वैसे, इन परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का चार्ज न लगाए जाने का प्रभाव, लेखापरीक्षा द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सका क्योंकि इनके	लेखापरीक्षा पर की गई टिप्पणी अच्छी तरह से नोट की गई है। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रक्रियाधीन पूंजीकार्य को परिसंपत्ति में अंतरित करने से संबंधित आवशयक सुधार किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान लेखे का अंतिम रूप देते समय मूल्यहास का भी हिसाब रखा जाएगा। ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।
	इस्तेमाल किए जाने की तारीख नहीं बताई गई थी।	
आ	आय और व्यय	
	आय उपचित ब्याज 6.77 करोड़ रुपए	
	उपर्युक्त को, वर्ष 2019-20 के दौरान, अल्प-कालीन जमा पर, उपचित ब्याज के गैर-लेखाकरण के कारण 0.16 करोड़ रुपए कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप भी उसी सीमा तक चालू परिसंपत्तियों (उपचित ब्याज) की न्यूनोक्ति हुई है।	लेखापरीक्षा पर की गई टिप्पणी अच्छी तरह से नोट की गई है। यह असावधानी के कारण हुई चूक है और कृपया माफ किया जाए। भविष्य में लेखे का अंतिम रूप देते समय आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।



इ	सामान्य
1	आकस्मिक देयताओं की अनुसूची 67 और लेखाओं पर टिप्पणी के अनुसार, यह कहा गया है कि संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र, शून्य दिखाया गया है। वैसे, जैसेकि 31 मार्च, 2020 को है, बोर्ड ने चार साख-पत्र खोले थे। उसी हैसियत से कि प्रकटीकरण उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।
2	बोर्ड ने अपने प्रत्येक क्षेत्र इकाइयों केलिए अग्रदाय निश्चित किया है। बोर्ड ने इस अग्रदाय को स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय के रूप में चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया है।

बोर्ड ने अपने प्रत्येक क्षेत्र इकाइयों केलिए अग्रदाय निश्चित किया है। बोर्ड ने इस अग्रदाय को स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय के रूप में चालू पिरसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया है। क्षेत्र इकाइयों द्वारा खर्च की गई राशि की, बोर्ड द्वारा अपनी लेखाकरण-प्रणाली में व्यय दर्ज करने के बाद, प्रतिपूर्ति की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, क्षेत्र इकाइयों द्वारा किए गए व्यय, जिसकी 31 मार्च, 2020 तक बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई है, उसके पिरणामस्वरूप स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय की अत्युक्ति और वर्ष केलिए बोर्ड के व्यय की न्यूनोक्ति हुई है। इसके अलावा, क्षेत्र इकाइयों के नकद का इतिशेष और बैंक शेष का स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय के अंतर्गत दिखाने की वर्तमान प्रथा के पिरणामस्वरूप बोर्ड के नकद/बैंक शेष की न्यूनोक्ति और स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय की अत्युक्ति हुई है।

लेखापरीक्षा पर की गई टिप्पणी अच्छी तरह से नोट की गई है। यह असावधानी के कारण हुई चूक है और कृपया माफ किया जाए। भविष्य में लेखे का अंतिम रूप देते समय आवश्यक सावधानी बरती जाएगी।

ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।

प्रारम्भ से ही, बोर्ड निम्नलिखित कारणों से इस पद्धित का अनुसरण कर रहा था।

- 1. बोर्ड केंद्रीकृत भुगतान विधि का अनुसरण कर रहा है। बोर्ड की वित्तीय लेखा प्रणाली (एफ़एएस) का उपयोग करके बोर्ड के सभी भुगतानों केलिए मुख्यालय से मंजूरी प्राप्त की जाती है और भुगतान किया जाता है।
- 2. बोर्ड ने प्रत्येक क्षेत्र इकाइयों के लिए एक निश्चित राशि निर्धारित की है और वह राशि उनके स्तर पर अनुरक्षित और मिलान किए उनके बैंक खाते में अंतरित कर दी है। क्षेत्र इकाइयों को दिए गए अतिरिक्त अग्रदाय सिहत कुल अग्रदाय को तुलनपत्र की अनुसूची 11 चालू परिसंपत्ति, ऋण व अग्रिम में स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय शीर्ष के अंतर्गत परिसंपत्ति भाग में दिखाया गया है। उनके दैनंदिन की गितिविधियों के लिए अपने अग्रदाय से खर्च की गई राशि व्ययवार विभाजन के साथ मुख्यालय को भेजी जाती है। एफएएएस में व्यय शीर्षवार वाउचर प्रविष्टि करने के बाद संबंधित क्षेत्र इकाई को वह वापस की जाएगी। मुख्यालय को प्रतिपूर्ति बिल भेजने के बाद शेष नकद, रोकड़ शेष और क्षेत्र इकाई के बैंक खाते में होगी। स्थाई अग्रिम कार्यालय अग्रदाय शीर्ष के अंतर्गत तुलनपत्र में दर्शाई गई राशि, क्षेत्र इकाई के रोकड़ शेष, बैंक में शेष और मुख्यालय से लंबित प्रतिपूर्ति की कुल राशि के बराबर होगी।
- 3. अगर बोर्ड को एफएएस की किताबों में फील्ड इकाइयों के सभी बैंक खातों को बनाए रखना है, तो बोर्ड को सभी क्षेत्र इकाइयों को वित्तीय लेखा प्रणाली की पहुंच का विस्तार करना होगा, क्योंकि सीमित जनशक्ति के साथ मुख्यालय स्तर से सभी बाहरी कार्यालयों के संबंधित क्षेत्र के बैंक के खिलाफ मिलान और वाउचर की प्रविष्टि करना मुश्किल है। इसके अलावा मुख्यालय को एफएएस में डेटा प्रविष्टि के नियंत्रण को छोड़ना होगा, जो डेटा को बनाए रखने में काफी जोखिम का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा के समय व्यय का विवरण प्राप्त करना मुश्किल होगा, यदि संबंधित बाहरी कार्यालयों द्वारा बाहरी व्यय दर्ज किए जाते हैं। साथ ही बार-बार स्टाफ ट्रांसफर का खतरा रहता है।
- 4. अगर हमें क्षेत्र इकाइयों तक एफएएस का विस्तार करना है तो हमें बजट, फील्ड यूनिटवार करना होगा और जब मंत्रालय से निधि जारी की जाएगी तो बजट का हिस्सा ट्रांसफर करना होगा। बोर्ड ने, मुख्यालय स्तर पर केंद्रीकृत नियंत्रण को सीमित और बनाए रखने हेतु अपनी स्थापना के बाद, इस प्रथा को कमी भी नहीं अपनाया।

ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।



संलग्नक 1

		सलग्नक 1
1	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	
	वर्ष 2019-20 के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग ने बोर्ड के 105 कार्यालयों (मुख्यालय सहित) में से केवल एक इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा चलाई थी ।	गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, नरेला की आन्तरिक लेखापरीक्षा, नवंबर, 2019 में चलाई गई। उसके बाद, जनशक्ति की कमी के कारण आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं हुई। लेखापरीक्षा केलिए इसकी एक प्रति दी गई। कृपया यह नोट किया जाए कि बोर्ड की स्टाफ शक्ति स्वीकृत शक्ति से काफी कम है। स्टाफ की कमी के कारण बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु 100 से अधिक बाहरी कार्यालयों में स्टाफ को प्रतिनियुक्त करने की स्थिति में नहीं है। ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूळताळ ळोड़ दी जाए।
2	आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता	जनर का पृष्ट म रखत हुए, लखापराक्षा-पूछताछ छाड़ पा जाए।
2.1	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और बोर्ड के आकार और प्रकृति से मेल खाती नहीं है।	कृपया यह नोट किया जाए कि बोर्ड के 100 से अधिक बाहरी कार्यालय हैं। स्वीकृत शक्ति के नीचे स्टाफ की कमी और प्रधान पदों से हर महीने स्टाफ लगातार सेवानिवृत्त होने और रिक्त पदों की भराई न होने, जिसकेलिए मंत्रालय से अनुमोदन की आवश्यकता है, के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रभावित है। यह तभी मजबूत किया जा सकता है जब बोर्ड में कम से कम स्टाफ की स्वीकृत शक्ति हो। ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।
2.2	बोर्ड ने अपने दो बैंक खातों केलिए बैंक मिलान विवरणी तैयार नहीं की है।	हम ने वार्षिक निधि की प्राप्त केलिए सीबीआई, नई दिल्ली के साथ चालू खाता खोला है। प्रारंभिक वर्षों में मंत्रालय हमारे सीबीआई, दिल्ली के खाते में निधि का अंतरण करता था और दिल्ली कार्यालय वहाँ से मुख्यालय, कोच्ची के एसबीटी खाते में अंतरण करता था। लेकिन, पिछले कुछ वर्षों से मंत्रालय हमारे पीएनबी, कोच्ची खाते में सीधे निधि का अंतरण करता है। इसकी वजह से वर्ष 2010-11 से लेकर उसमें कोई लेनदेन नहीं होता था। पिछले वर्ष के दौरान ही खाता समाप्त करने का आवश्यक अनुदेश दिया गया है। लेकिन हमारे दिल्ली कार्यालय द्वारा लगातार अनुवर्ती कार्य के बाद भी, बैंक प्राधिकारियों ने न ही हमारा खाता समाप्त करने केलिए आवश्यक कार्य किया है न ही वर्तमान बैंक विवरणी दी है। उन्होंने, उनकी सहमति की मांग की है, जिन्होंने खाता खोला है। लेकिन बोर्ड के पास पुराने हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण नहीं हैं। फिरभी जल्द से जल्द खाता समाप्त करने का आवश्यक अनुवर्ती कार्य जारी है। सूचना के अनुसार, एसबीआई, पाडिवट्टम ने भर्ती शुल्क जमा करने हेतु भुगतान गेटवे लिंक खोला है। परंतु, जब हमने जमाराशि पुष्टिकरण विवरण केलिए अनुरोध किया तो बैंक प्राधिकारियों ने कहा कि वे खाते का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि हमने हाल ही में स्थिति के बारे में पूछताछ की, कोई अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं हुई। खाता समाप्त करने का आवश्यक अनुवर्ती कार्य किया जाएगा। ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।



2.3 प्रणाली की विफलता के कारण कच्चे मिलान केलिए रोकड़ बही से प्रविष्टियों को दर्ज न किए जाने की वजह से बैंक शेष में 0.19 करोड़ रुपए की अत्युक्ति हुई है। बेंक खाता संख्या 7176002100002239 पीएनबी भुगतान खाता: यह, रोकड़ बही और तुलनपत्र के बीच 41,096.00 रुपए का निवल अंतर दर्शाता है । कच्चा मिलान के अथशेष के सत्यापन पर, यह पहचाना गया कि यह, पिछले वर्ष से संबंधित दो आंकड़ों, अर्थात् 787.00 रुपए और अन्य 41,883.00 रुपए के स्थान की त्रृटि के कारण हुआ है। इन दो आंकड़ों का कुल प्रभाव 41,096.00 रहा, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अग्रेनीत अंतर रहा।

बैंक खाता संख्या 570506112514, एसबीटी नेडुंकड़म पिछले वर्ष स्थान की त्रुटि के कारण रोकड़ बही और तुलनपत्र के बीच 19,85,245.00 रुपए का अंतर पाया गया है।

दोनों त्रुटियों की पहचान की गई है और वर्ष 2020-21 के दौरान आवश्यक सुधार कार्य किया गया है।

2.4 पिछले लेखा सॉफ्टवेयर से, डाटा के गैर-अंतरण के परिणाम-स्वरूप विवरण अनुपलब्ध हैं और इसने खातों को अविश्वसनीय बना दिया है।. ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।

कुपया यह नोट किया जाए कि जब बोर्ड ने वर्ष 2015-16 के दौरान आइडेंपेयर को लाग किया था, वर्ष 2014-15 के तलनपत्र के अनुसार इतिशेष को विकासकों द्वारा एक जर्नल प्रविष्टि के रूप में शामिल किया गया था। आइडेंपेयर में किसी भी अवधि के लिए कच्चा मिलान उत्पन्न करने का विकल्प है। सभी चाल वर्ष की प्रविष्टियां, जो योजना / कार्यक्रम वार हैं, एक्सेल फॉर्मेट में सिस्टम के साथ उपलब्ध हैं। तब से अनुसूची तैयार करने के लिए पिछले वर्ष के अनसार अथशेष को हाथ से इसमें जोड़ा जाता है। कुपया यह नोट किया जाए कि यह प्रणाली, बोर्ड को आवंटित सीमित बजट के साथ विकसित की गई थी। बोर्ड, एसएपी / ओरेकल आधारित ईआरपी के लिए चाहने में वित्तीय हिष्ट से सुदृढ़ नहीं है, जिसके कार्यान्वयन के लिए करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और वार्षिक लाइसेंस शुल्क के लिए भारी वित्तीय प्रभाव पड़ता है। दूसरे, आइडेंपेयर, आय, व्यय, परिसंपत्ति और देयता कोड आदि सहित सभी खाता शीर्षों के अथशेष को अगले वर्ष केलिए अग्रेनीत करेगा। सॉफ्टवेयर विकासकों द्वारा स्पष्ट किए अनुसार प्रणाली को आय और व्यय कोड के इतिशेष को अग्रेनीत करने से ब्लॉक करना संभव नहीं है। फिर दसरा तरीका यह है कि एक वित्तीय वर्ष पुरा करने के बाद सभी आय और व्यय कोड निर्धारित करने के लिए एक जर्नल प्रविष्टि पास की जाय। यदि उनके बताए अनसार किया जाय तो एक और मद्दा है पिछले वर्ष की व्यय रिपोर्ट जिसके लिए हमने प्रविष्टि का सेट पास किया है, शून्य होगा। चुँकि हमें मंत्रालय / लेखा परीक्षा से भविष्य की आवश्यकता के लिए पिछले वर्षों के व्यय विवरण को बनाए रखना है, हम यह भी नहीं कर सकते।

ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।



2.5	सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 229 (xi) के अनुसार,
	प्रतिवर्ष पाँच करोड़ रुपए से अधिक की बजट सहायता वाले
	स्वायत्त संगठनों केलिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के
	साथ समझौता ज्ञापन करना आवश्यक होना चाहिए जिसमें
	आनुपातिक निवेश अपेक्षाओं के साथ-साथ कार्यनिष्पादन
	मानदंडों, कार्य के विस्तृत कार्यक्रम के संदर्भ में उत्पादन
	लक्ष्यों और उत्पादन में गुणात्मक सुधार का स्पष्ट वर्णन हो।
	कार्यनिष्पादन की परिमेय इकाइयों में दिए गए उत्पादन लक्ष्य,
	इन संगठनों को दी जानेवाली बजट सहायता का आधार बनें।
	स्पष्ट लक्ष्यों के साथ बेहतर कार्यनिष्पादन की रूपरेखा इस
	समझौता ज्ञापन का हिस्सा होना चाहिए। बोर्ड ने सामान्य वित्तीय
	नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन अपेक्षितानुसार वर्ष
	2019-20 के दौरान प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता
	ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है।

बोर्ड के अनुमोदित योजना-बजट और एमटीएफ़ योजनाविध के दौरान निर्मोचित निधि का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रुपए में)	निर्मोचित निधि (करोड़ रुपए में)
2017-18	172.25	97.01
2018-19	151.00	90.93
2019-20	168.53	105.00
कुल	491.78	292.94

चूंकि स्वीकृत बजट और प्रत्येक वर्ष जारी किए गए वास्तविक निधि में पर्याप्त अंतर होता है, इसिलए स्वीकृत बजट आवंटन के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना यथार्थवादी नहीं हो सकता है। इसे देखते हुए बोर्ड के प्रशासिनक मंत्रालय ने एमटीएफ़ योजना अवधि के दौरान एक समझौता ज्ञापन के लिए जोर नहीं दिया था। इसिलए, बोर्ड ने उपरोक्त अवधि के दौरान मंत्रालय के साथ समझौता-ज्ञापन निष्पादित नहीं किया है।

ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।

3 परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

बोर्ड के 105 कार्यालयों (मुख्यालय सहित) में से, केवल 64 कार्यालयों की परिसंपत्ति सत्यापन रिपोर्टे लेखापरीक्षा केलिए दी गई थीं। इकतालीस कार्यालयों (मुख्यालय सहित) की परिसंपत्ति सत्यापन रिपोर्टे नहीं दी गईं। वैसे ही, परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली अपर्याप्त और संगठन के आकार के अनुरूप नहीं रही।

कृपया यह नोट किया जाए कि बोर्ड के सभी बाहरी कार्यालय पिरसंपित रिजस्टर का अनुरक्षण करते हैं और बोर्ड के कार्यालयों में जबकभी स्टाफ के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति/कार्यभार ग्रहण होता है तब उसमें कार्य का सौंपना व अधिग्रहण करना अद्यतन किया जाता है। समय-समय पर पिरसंपित्तयों को उनके स्तर पर ही सत्यापित किया जाता है। लेकिन इस बार, उपरोक्त 41 कार्यालय कोविद 19 स्थित के कारण अल्पकालीन सूचना पर उसे प्रदान नहीं कर सके। कृपया इसे माफ़ किया जाए।

ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा पूछताछ छोड़ दी जाए।

4 मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2019-20 के दौरान मालसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था।

बोर्ड, आईसीआरआई, मैलाडुंपारा से इलायची, कालीमिर्च का स्टॉक और हमारी सभी गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में रसायनों का मूल्य एकत्र करता है और उनको हर वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान, वस्तुओं के स्टॉक के रूप में दिखाया जाता है। इस साल भी बोर्ड ने यही दिखाया है।

ऊपर को दृष्टि में रखते हुए, लेखापरीक्षा-पूछताछ छोड़ दी जाए।

5 सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड सांविधिक देयों का नियमित भुगतान करता है।

•



Shri Som Parkash, Minister of State for Commerce & Industry, Govt. of India inaugurated the presention of prestigious Trophies & Awards of the Spices Board f or Excellence in Export of Spices on 22nd February 2020 at Cochin. Shri Hibi Eden, Hon'ble MP, Ernakulam presided over the function. Shri T J Vinod, Hon'ble MLA, Ernakulam, Dr. Varghese Sebastian Moolan, Vice-chairman, Spices Board, Smt. Jyoti Yadav IAS, Deputy Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India, Shri D Sathiyan IFS, Secretary and Smt. A Shainamol IAS, Director (Finance), Spices Board were also present during the event.



Shri D Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board welcomes the gathering to the event - Presentation of Trophies & Awards of Spices Board for Excellence in Export of Spices held at Cochin.



A view of the audience - Presentation of Trophies & Awards of Spices Board for Excellence in Export of Spices held at Cochin.



Shri Som Parkash, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry launching the National Sustainable Spice Production Programme



Shri Som Parkash, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry presented the awards for excellence in export of spices, instituted by Spices Board, for the year 2015-16 and 2016-17 to the top performers in spices export.



Stakeholders of Spices from NER and Spices Board officials with Shri Tage Taki, Hon'ble Minister for Agriculture, Arunachal Pradesh during the presentation of Large Cardamom Productivity awards at Itanagar, Arunachal Pradesh.



Inauguration of 1St Meeting of Turmeric Task Force Committee by Hon'ble MP Shri Aravind Dharmapuri



Shri Conrad K Sangma , Hon'ble Chief Minister of Meghalaya, and Shri Banteidor Lyngdoh, Hon'ble Agriculture Minister of Meghalya visiting Board's stall at 1st North East Food Show 2019 organized by the Government of Meghalaya and Salon Internationalde' Agroalimentaire (SIAL) India from 4th – 6th December 2019 at Shillong, Meghalaya.



ShriTumke Bagra, Hon'ble Minister of Trade & Commerce, Govt. of Arunachal Pradesh inaugurates Spices Board stall at ANUGA 2019 in Cologne, Germany held during 5th to 9th October 2019. Shri Eldhose T Joseph, AEE and Shri.

Manikandan, Assistant Director coordinated Board's participation.



Spices Board participated at 107th Indian Science Congress held on 3rd January 2020 at University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. The 107th ISC was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi and the Pride of India (Pol) Expo by Dr. Harsh Vardhan, Hon'ble Union Minister of S&T, Earth Sciences, Health and Family Welfare.



Shri Ramesh Chand, Member, Niti Aayog visting Spices Board's stall at 26th UPASI Annual Conference held at UPASI, Glenview, Coonoor.



Spices Board participated in Biofach India 2019 held from 7th to 9th November 2019 at India Expo Centre, IEML, Greater Noida, Delhi.



Spices Board officials in discussion with Consulate General Shri Amit Mishra IFS and other officials of the embassy at "Food Ingredients South America (FISA)- 2019" at Sao Paulo, Brazil during 20th to 22nd August 2019. Shri S Nallakannu, Deputy Director and Shri P T Leptcha, Assistant Director represented the Board in the event.



Shri Sanjay Panda IFS, Consul General, Government of India, San Francisco, USA inaugurated the Indian Pavilion at Winter Fancy Food Show 2020 held during 19th to 21st January 2019. Shri D Sathiyan IFS, Secretary and Shri Prathyush T.P, Assistant Director represented the Board in the show.



Smt. A Shainamol IAS, Director (Fin) and Shri N A Devananda Shenoy, Deputy Director represented Spices Board at Biofach, Nuremberg, Germany held during February 2020.



Shri P M Sureshkumar, Director (Marketing) and Shri B .N. Jha, Deputy Director, Spices Board at Summer Fancy Food Show 2019 held from 23rd-25th June 2019 at Jacob Javits Convention Centre, New York, USA.



Shri D Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board interacting with the visitors in the Board's stall at the Winter Fancy Food Show, San Francisco, USA.



Shri Anup Wadhawan IAS, Commerce Secretary, Govt. of India visiting Spices Board stall at China International Import Expo (CIIE):2019 held in Shanghai during 5th - 10th November 2019. Shri K Jagannathan, Deputy Director and Shri N M Usman, Assistant Director represented the Board.



Visiters at Food Ingredients and Natural Ingredients Europe 2019 held at Parc Des Exposition, Vilipente, France during 3rd - 5th December 2019. Shri K. Ramanna, Assistant Director and Dr. Joji Mathew, Assistant Director coordinated Board's participation.



Shri M S Ramalingam, Assistant Director and Shri. B D Sharma, Assistant Director, Spices Board interacts with a visitor during Gulfood Manufacturing 2019 held during 29th - 31st October 2019 at Dubai World Trade Centre, Dubai.

BOARD MEMBERS



Shri Subhash Vasu Chairman



Shri D. Sathiyan Secretary



Dr. Varghese Sebastian Moolan Vice Chairman



Adv. Dean Kuriakose Hon'ble MP, Member



Shri B Y Raghavendra Hon'ble MP, Member



Shri GVL Narasimha Rao Hon'ble MP, Member



Shri Stany Joseph Pothen Member



Ms. Annu Shree Poonia Member



Shri P. Vikram Reddy Member



Shri S.G. Medappa Member



Dr. Dasam Umamaheswara Raju Member



Shri Bhojraj Saraswat Member



Shri Rajendra Kasat Member



Shri T T Jose Member



Shri Nandyala Satyanarayana Member



Shri Sen Thabah Member



Shri Ajit Pai OSD, Nithi Aayog, Member

The Horticulture Commissioner
Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
Government of India.

The Economic Adviser
Ministry of Commerce & Industry
Government of India.

Ms. Anita Tripathi
Deputy Secretary
Ministry of Labour & Employment
Government of India.

The Director
Indian Institute of Spices Research ICAR

The Director
Indian Institute of Packaging

The Director
Central Food Technological
Research Institute (CFTRI), CSIR.

The Secretary to Government
Horticulture & Sericulture Department.
Govt. of Karnataka.

Representative from the State of Gujarat

Representative from the State of Andhra Pradesh

Number of vacant positions - 5



Shri D.Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board & Chairman International Pepper Community (IPC) with representatives of the member countries at the 47th Annual Session and Meetings of the IPC held at VungTau, Viet Nam from 11th -14th November 2019.



Spices Board officials at the 14th Annapoorna ANUFOOD 2019 held from 29th - 31st August 2019 at Bombay Exhibition Centre, Mumbai, jointly organized by Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry (FICCI) & Koelnmesse YA Trade fair Pvt Ltd, Germany.



Shri D Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board, Board's officials and exporters of Small Cardamom with the officials of Embassy of India, Riyadh and buyers of Small Cardamom during the visit of the delegation to Saudi Arabia in December 2019



Spices Board officials and visitors at the Vibrant North East 2019 held from $19^{\mbox{th}}$ - $21^{\mbox{st}}$ June 2019at Central Agriculture University, Iroisemba, Imphal, Manipur.



Exposure visit of Farmers from North Eastern Region to South India



Master Training Programme for the State Government officials at Saklespur, Karnataka



Students visiting Spices Board's stall at "Destination Gujarat 2019 held during $18^{\mbox{th}}$ - $20^{\mbox{th}}$ of December 2019 at Anand Bhavan, Surendranagar, Gujarat.



Shri. D Sathiyan, IFS, Secretary, Spices Board inaugurating the BSM at Kattappana, Kerala held on 27th September 2019



Buyer Seller Meet for spices organised by Spices Board at Nagarcoil on 10th July 2019



Spices Board participated in the Conference cum International Buyer Seller Meet on NER Agri Products held at Agartala, Tripura on 26th September 2019.



Shri C Chandrasekaran, MLA, Sethamangalam, addressing the participants of BSM at Kolli Hills, Tamil Nadu held on 31 $^{\rm St}$ October 2019.



Buyer Seller Meet for spices organised by Spices Board in Nizamabad, Telengana on 13th February 2020



Quality Improvement Training Programme for the farmers at Geyzing, West Sikkim on 4th December 2019



Mobile Spice Clinic at West Sikkim on 28th January 2020



Shri D Sathiyan IFS, Secretary flagged off the Swachh Bharat Abhiyan Mission at Spices Board, HO, Kochi.



Shri K S Srinivas IAS, Chairman, MPEDA inaugurating Hindi Fortnight Celebrations 2019 by lighting the lamp. Shri D Sathiyan IFS, Secretary, Smt. A Shainamol IAS, Director(Finance) and Shri P M Sureshkumar, Director(Admn) are also seen



Spices Board participated in the first Bodoland Krishak Samaroh, 2020, organized by Department of Agriculture, BTC, Kokrajhar held at Barma, Baksa from 9th-11th January 2020.



RPL training on Plant Tissue Culture Technician held at ICRI Myladumpara on 22nd January 2020



Spices Board staff during Swachh Bharat Campaign at GHSS, Edapally



Prize winners of Hindi Recitation Competition conducted as part of Special Programme in connection with Hindi Fortnight Celebrations 2019 with the Chief Guest Shri D V Swamy IAS, Development Commissioner, CSEZ, Kochi, Shri D Sathiyan IFS, Secretary, Smt. A Shainamol IAS, Director(Finance) and Shri P M Sureshkumar, Director(Admn) and other officials.



SPICES BOARD

ANNUAL REPORT 2019-20

SPICES BOARD

Ministry of Commerce & Industry Government of India

Sugandha Bhavan, P B No: 2277, Cochin - 682 025

Telephone: 0484-2333610-616 E-mail: mail.sboard@gov.in Website: www.indianspices.com

Compiled and Edited by

- 1. Shri Roy Joseph
 Deputy Director (P & C)
- 2. Shri T P Prathyush Deputy Director (Mktg)
- 3. Dr. G Usharani Assistant Director (OL)
- **4. Ms. Bhawna Jeswani Bhasin** Editor

Technical Support

- Shri Biju D Shenoy Senior Hindi Translator
- 2. Shri R Jayachandran EDP Assistant

CONTENTS

Executive Summary	:	5
1. Constitution and Functions	:	8
2. Administration	:	10
3. Finance and Accounts	:	16
4. Export Oriented Production	:	17
5. Export Development and Promotion	:	24
6. Publicity and Promotion	:	38
7. Codex Cell and Interventions	:	41
8. Quality Improvement	:	43
9. Export Oriented Research	:	46
10. Information Technology & Electronic Data Processing	r.	51
11. Implementation of Right to Information Act 2005	:	52
Appendix I		53



Annual Report 2019-20

Executive Summary

Spices Board, the statutory organization constituted on 26th February 1987, under the Spices Board Act 1986 with the merger of the erstwhile Cardamom Board and Spices Export Promotion Council under the Ministry of Commerce & Industry, Government of India, is responsible for the export promotion of the 52 scheduled spices and development of cardamom (small and large). Spices Board is the flagship organization for the development and worldwide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for the excellence of Indian spices, so as to help the Indian spice industry in attaining the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market.

The mandate of the Board is primarily for promotion of export of spices and regulating the quality of spices for export. During 2019-20, despite the outbreak of COVID-19 pandemic and the consequent recession in the global economy, spices export from India continued its upward trend and crossed the milestone of US \$ 3 billion mark for the first time in the history of spices export. The estimated export of spices during 2019-20 has been 11,83,000 tonnes valued at Rs. 21515.40 crore (US \$3033.44 million) against 11,00,250 tonnes valued at Rs.19505.81 crore (US \$2805.50 million) during 2018–19. The spices export during 2019–20 attained an all-time record in terms of both volume and value. Compared to 2018-19, the export has shown an increase of 10% in rupee value and 8% in quantity. In dollar terms, the increase is 8%.

The spices export during 2019–20 has also exceeded the target fixed for the year both in terms of volume and value (both rupee and dollar). Against the export target of 10,75,000 tonnes valued at Rs.19666.90 crore (US\$ 2850.28 million) for the year 2019–20, the achievement of 11,83,000 tonnes valued at Rs.21515.40 crore (US\$ 3033.44 million) is 110% in quantity, 109% in rupee value and 106% in dollar terms of value.

During 2019–20, the export of cardamom (large), chilli, ginger, coriander, cumin, celery, fenugreek and other seeds like ajwain seed, mustard, etc., have increased both in volume and value as compared to 2018–19. In the case of value added products, the export of curry powder/paste, mint products and spice oils and oleoresins have also shown increase in both volume and value as compared to last year.

During 2019–20, chilli is the single largest spice exported from the country followed mint products, cumin, spice oils and oleoresins and turmeric constituting 80% of the total spices export from the country.

Indian spices and spice products were exported to 180 destinations globally in 2019–20. The leading destinations among them were China, the USA, Bangladesh, Thailand, the UAE, Sri Lanka, Malaysia, the UK, Indonesia and Germany. These nine destinations contributed more than 70% of the total export earnings during 2019–20.

During 2019–20, India exported 4,84,000 tonnes of chilli and chilli products valued at Rs.6211.70 crore as against 4,68,500 tonnes valued at Rs.5411.18 crore of last year registering an increase of 15% in value and 3% in volume. The export of chilli and chilli products from the country accounted for more than 40% in volume and 29% in value of the total spices export. The major export destinations were China, Thailand, Sri Lanka, the USA, Indonesia and Bangladesh.

The export of mint products during the year was 22,725 tonnes valued at Rs.3838.35 crore as against 21,610 tonnes valued at at Rs.3749.34 crore during 2018–19 registering an increase of 5% in volume and 2% in terms of value. The major buyers were China, the USA, Singapore and Germany.

During 2019–20, a total volume of 2,10,000 tonnes of cumin valued at Rs.3225 crore was exported as against 1,80,300 tonnes valued at Rs.2884.80 crore of last year registering an increase of 16% in volume and 12% in value. The major markets were China, Bangladesh, the USA, Egypt and the UAE.

Spices Board 5



A total of 13,950 tonnes of spice extracts valued at Rs.2645.25 crore was exported during the year as against 12,750 tonnes valued at Rs.2193.00 crore in 2018–19. The export of spices extracts showed an increase of 9% in volume and 21% in terms of value. The USA is the largest consumer of spices extracts and imported more than 30% of the total export from the country in terms of volume. The other leading buyers were China, France, Germany and the UK.

Export of turmeric from India during 2019–20 was 1,36,000 tonnes valued at Rs.1216.40 crore as against 1,33,600 tonnes valued at Rs.1416.16 crore. The leading buyer for Indian turmeric was Bangladesh followed by the USA, Iran, Malaysia, Morocco and the UAE.

The production of cardamom (small) and cardamom (large) during the year 2019–20 was 11,235 MT and 8,530 MT respectively.

The scheme viz. "Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices & Research and Development of Cardamom" submitted by the Board has been approved under the Medium Term Framework (MTF) Plan (2017–18 to 2019–20) by the Standing Finance Committee (SFC) for a total outlay of Rs.491.78 crore. In 2019–20, against the approved outlay of Rs.168.53 crore under MTF, the Board was granted an amount of Rs.105.00 crore and the total expenditure incurred was Rs.116.93 crore.

The 86th and 87th Board meetings of the Spices Board were held at Kochi, Kerala on 16th November, 2019 and at Vijayawada, Andhra Pradesh on 29th February, 2020 respectively.

Spices Board has established crop specific Spices Parks in major production/market centres to empower the stakeholders of the spice industry, especially the farming community, by providing common infrastructure and processing facilities. The Board has established Spices Parks at Chhindwara and Guna in Madhya Pradesh; Puttady in Kerala; Jodhpur and Kota in Rajasthan; Guntur in Andhra Pradesh; Sivaganga in Tamil Nadu and Rae Bareli in Uttar Pradesh.

The Quality Evaluation Laboratories of the Board at Kochi, Mumbai, Delhi, Chennai, Guntur, Tuticorin and Kandla continued providing analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices during the year. Establishment of Quality Evaluation Lab at Kolkata has been completed. All the regional Quality Evaluation Laboratories of the Board are established under the ASIDE scheme. During 2019–20, the Quality Evaluation Laboratories analysed 1,16,772 parameters including Aflatoxin, Illegal dyes, Pesticide residues, Salmonella, etc., of spice samples.

Spices Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSM) across the major spice producing regions so as to provide a platform for interaction between the spice growers and exporters for establishing direct market linkages. During the financial year 2019–20, the Board conducted eight BSMs in different states, out of which three were in NE region.

Spices Board has instituted awards for excellence in exports of spices to honour outstanding export performers of spices and spice products. Shri Som Parkash, Hon'ble Union Minister of State for Commerce & Industry distributed the Trophies and Awards to the exporters for the excellence in export of spices for the years 2015–16 and 2016–17 at Kochi, Kerala on 22nd February, 2020.

Shri. Som Parkash, Hon'ble Union Minister of State for Commerce & Industry launched the following flagship events/projects of Indian Spice Sector on 22nd February, 2020 at Kochi, Kerala: 1) Curtain Raiser of World Spice Congress 2020; 2) Collaborative Project with Standards and Trade Development Facility (STDF) of WTO and FAO of United Nations project for Strengthening Spice value chain in India; 3) Plant Protection Code for Cardamom; 4) National Spice Sustainability Programme (NSSP); 5) Online sales of spices under 'Flavourit', a signature brand promoted by Spices Board.

During 2019-20, the Board participated in eight international fairs/exhibitions in major importing



countries with co-participation of 58 leading spices exporters. The Board also participated in 22 domestic exhibitions held in prime locations of the country.

Financial assistance was provided to farmers for replanting 1629.38 Ha of cardamom (small) and replanting/new planting of 2579.43 Ha-of cardamom (large) respectively. The departmental nurseries of the Board produced 2.45 lakh planting materials of small cardamom and distributed to the farmers. Under the certified nursery scheme, financial assistance was provided to the farmers for production of 9.10 lakh small cardamom seedlings and 24.90 lakh large cardamom seedlings/suckers. Assistance was provided to farmers for 38 numbers of improved curing houses for small cardamom and 30 modified bhattis for large cardamom.

Under post-harvest quality improvement programme, assistance was provided to spice farmers for installing 61 seed spice threshers, 179 pepper threshers, 41 turmeric steam boiling units, 18 turmeric polishing units, 58 nutmeg driers, 7 mint distillation units and for setting up 231 vermicompost units.

The Board organised an exposure visit of 335 farmers belonging to SC/ST category from Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Rajasthan, Karnataka and NE region. The farmers were taken to spice processing units, cardamom auction center and research institute in Kerala. They were imparted training on spices nursery management and Good Agricultural Practices (GAP).

The Spices Board continued to serve as the secretariat of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs during 2019–20. The Codex Alimentarius Commission in its 42nd session (CAC42) held in Geneva, Switzerland from 8 to 12 July, 2019, adopted the standard for dried/dehydrated garlic.

The electronic working group (eWG) which drafted this standard was chaired by India.

The Board conducted 14 spice clinics in Kerala, 10 in Karnataka and four in the NE region and advisory on various cultivation aspects were given to the farmers.

Spices Board has been implementing Recognition of Prior Learning (RPL), under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), for the empowerment of farmers engaged in spices cultivation and processing. During the year, 95 programmes benefiting a total number of 3,866 stakeholders were conducted in various states in the country including 21 programmes in the NE region.

The Board has formulated and carried out programmes to promote the use of Hindi as Official Language (OL) and also guided and monitored the implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs with regard to the use of Hindi as Official Language, Board continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2019–20.

The Board effectively implemented the RTI Act 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board has disclosed every information required to be disclosed suo motu in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2019–20, a total of 113 RTI applications, through physical and online portal, and 6 appeals were received under the RTI Act and information was disseminated to all the cases within the stipulated time.



1. CONSTITUTION AND FUNCTIONS

A. Constitution of Spices Board

The Spices Board Act 1986, (No.10 of 1986) enacted by the Parliament provides for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26 February, 1987.

B. The Spices Board consists of:

- a) A Chairman to be appointed by the Central Government
- b) Three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;
- c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:
 - (i) Commerce:
 - (ii) Agriculture; and
 - (iii) Finance:
- d) Six members to represent the growers of spices*;
- e) Ten members to represent the exporters of spices;
- Three members to represent major spice producing states;
- g) Four members one each to represent:
 - (i) The Planning Commission (now NITI Aayog);
 - (ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai:
 - (iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysuru;
 - (iv) Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;
- h) One member to represent spices labour interests

C. Functions of the Board

The Spices Board Act, 1986-has assigned the following functions to the Board.

a) The Board may:

- (i) Develop, promote and regulate export of spices;
- (ii) Grant certificate for export of spices;
- (iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;
- (iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing, quality techniques of grading and packaging of spices;
- (v) Strive towards stabilization of prices of spices for export;
- (vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through 'quality marking' of spices for export;
- (vii) Control quality of spices for export;
- (viii) Give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;
- (ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;
- (x) Provide warehousing facilities abroad for spices;
- (xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;
- (xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and
- (xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.

^{*} Amended as per Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Gazette Notification(Extraordinary) No. G.S.R. 157 (E) dated 2rd February, 2018



b) The Board may also:

- (i) Promote cooperative efforts among growers of cardamom;
- (ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;
- (iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;
- (iv) Regulate the sale of cardamom and stabilization of the prices of cardamom;
- (v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;
- (vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;

- (vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;
- (viii) Improve the marketing of cardamom;
- (ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts therefrom:
- (x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and
- (xi) Undertake, assist or encourage scientific, technological and economic research.

D. Spices under the Purview of the Board

The following 52 spices (see table below) are listed in the Schedule of the Spices Board Act:

1	Cardamom	19	Kokam	37	Juniper berry
2	Pepper	20	Mint	38	Bayleaf
					-
3	Chilli	21	Mustard	39	Lovage
4	Ginger	22	Parsley	40	Marjoram
5	Turmeric	23	Pomegranate seed	41	Nutmeg
6	Coriander	24	Saffron	42	Mace
7	Cumin	25	Vanilla	43	Basil
8	Fennel	26	Tejpat	44	Poppy seed
9	Fenugreek	27	Pepper long	45	Allspice
10	Celery	28	Star anise	46	Rosemary
11	Aniseed	29	Sweet flag	47	Sage
12	Bishopsweed	30	Greater Galanga	48	Savory
13	Caraway	31	Horse-Radish	49	Thyme
14	Dill	32	Caper	50	Oregano
15	Cinnamon	33	Clove	51	Tarragon
16	Cassia	34	Asafoetida	52	Tamarind
17	Garlic	35	Cambodge		
18	Curry leaf	36	Hyssop		

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]



2. ADMINISTRATION

A. Administration

During 2019–20, Shri Subhash Vasu and Shri D Sathiyan IFS continued to serve as the Chairman and Secretary respectively of Spices Board

Ms. A Shainamol IAS assumed the charge of Director (Finance) w.e.f 28th August, 2019. Shri PM Suresh Kumar, Director held the charge of Director (Marketing) upto 23th February, 2020 and held the full additional charge of Director (Finance) upto 27th August, 2019. Shri PM Suresh Kumar, Director was re-designated as Director (Administration) on 24th February, 2020. Dr. Remashree A.B is continued as Director (Research) and held the additional charge of Director (Development) during this period. Shri S. Nallakannu, Deputy Director, held the charge of Director (Marketing) from 24th February, 2020 to 31st March, 2020.

The Ministry of Commerce & Industry conveyed the approval for the Rationalization and Restructuring proposal vide letter No.5/6/2018-Plant-D dated 4th February, 2020 in order to have a lean structure for proper utilization of resources in the Board. As per the proposal, the total staff strength of the Board has reduced from 513 to 379 and 15 Offices are to be closed out of 106.

Spices Board has already achieved the targeted staff strength approved in the restructuring proposal. Against the sanctioned strength of 379, as on 31st March, 2020, the staff strength of Spices Board was 326 consisting of 77 Group A, 99 Group B and 150 Group C including 4 Departmental Canteen Employees.

The Board has granted MACP to 74 eligible employees, which was pending for the last two years, and granted MFCS to three eligible scientists to the Grade of Scientist C.

The Board has engaged over 100 unemployed youth from the SC/ST category in the graduate/post-graduate level as trainees in various departments for analytical services in the Quality Evaluation Laboratories of the Board and in agriculture extension service in the research stations and the field, IT support and in official works in the publicity department and library.

During the year, the 86th and 87th Board Meetings of the Spices Board were conducted at Spices Board, Head Office Kochi on 16th November, 2019 and at Vijayawada, Andhra Pradesh on 29th February, 2020 respectively.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The instructions issued by the Government from time to time in this regard are also strictly adhered to. As on 31st March 2019 there were 176 employees belonging to SC/ST and OBC categories. No appointment was made during the period under report as per the direction from the Department of Commerce due to austerity measures and no promotions were given to the employees up to 4th February, 2020. Board initiated action for granting promotions to the eligible officials of the Board on approval of Board's rationalisation and restructuring proposal by the Ministry.

b) Welfare of women

As on 31st March 2020, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories was 88. The grievances of women employees are timely and properly attended to. A group-A level woman officer of the Board has been appointed as 'Women Welfare Officer' to sort out the difficulties/problems faced by women employees,



if any, or to bring them to the notice of the higher authorities along with suggestions for possible solutions.

c) SC/ST/OBC welfare

The Board had constituted SC/ST and OBC Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to SC/ST/OBC.

d) Welfare of Persons with Disabilities

The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to Persons with Disabilities. The Board is maintaining reservation roster for persons with disabilities.

e) Offices of the Board

The Head Office of Spices Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has 104 offices across the country including 31 Export Promotion Offices, 54 Development Offices/farms for Small and Large Cardamom, 4 Research Stations, 7 Quality Evaluation Laboratories (QELs) and 8 Spices Parks. The following offices of the Board functioned during 2019–20.

(i) Export Promotion Offices

SI. No	Location	State/UT	
1	Paderu	Andhra Pradesh	
2	Khammam	Andhra Pradesh	
3	Warangal	Andhra Pradesh	
4	Guntur	Andhra Pradesh	
5	Guwahati	Assam	
6	Patna	Bihar	
7	Jagdalpur	Chhattisgarh	
8	New Delhi	Delhi	
9	Ponda	Goa	
10	Ahmedabad	Gujarat	
11	Unjha	Gujarat	
12	Una	Himachal Pradesh	
13	Srinagar	Jammu and Kashmir	
14	Bengaluru	Karnataka	

15	Mumbai	Maharashtra
16	Churachandpur	Manipur
17	Shillong	Meghalaya
18	Aizawl	Mizoram
19	Koraput	Odisha
20	Chandigarh	Punjab/Haryana
21	Jodhpur	Rajasthan
22	Singtam	Sikkim
23	Chennai	Tamil Nadu
24	Nagercoil	Tamil Nadu
25	Nizamabad	Telangana
26	Hyderabad	Telangana
27	Agartala	Tripura
28	Barabanki	Uttar Pradesh
29	Sambhal	Uttar Pradesh
30	Dehradun	Uttarakhand
31	Kolkata	West Bengal

(ii) Development Offices/Farms

(")	(ii) Development Offices/Farms				
Sma	Small Cardamom				
SI. No.	Location	State			
1	Adimali	Kerala			
2	Elappara	Kerala			
3	Kalpetta	Kerala			
4	Kattappana	Kerala			
5	Kumily	Kerala			
6	Nedumkandam	Kerala			
7	Pampadumpara	Kerala			
8	Peermade	Kerala			
9	Puttady	Kerala			
10	Rajakkad	Kerala			
11	Rajakumari	Kerala			
12	Santhanpara	Kerala			
13	Udumbanchola	Kerala			
14	Bodinayakanur	Tamil Nadu			
15	Erode	Tamil Nadu			



16	Salem	Tamil Nadu
17	Aigoor (farm)	Karnataka
18	Bhagamandala	Karnataka
19	Belagola (farm)	Karnataka
20	Beligeri (farm)	Karnataka
21	Bettadamane(farm)	Karnataka
22	Chikkamagaluru	Karnataka
23	Sakleshpur	Karnataka
24	Haveri	Karnataka
25	Корра	Karnataka
26	Madikeri	Karnataka
27	Mudigere	Karnataka
28	Shivamogga	Karnataka
29	Sirsi	Karnataka
30	Somwarpet	Karnataka
31	Vanagoor	Karnataka
32	Virajpet	Karnataka
33	Yeslur (farm)	Karnataka

Large Cardamom

SI. No.	Location	State
1	Aalo	Arunachal Pradesh
2	Bomdila	Arunachal Pradesh
3	Changlang	Arunachal Pradesh
4	Itanagar	Arunachal Pradesh
5	Namsai	Arunachal Pradesh
6	Pasighat	Arunachal Pradesh
7	Roing	Arunachal Pradesh
8	Tezu	Arunachal Pradesh
9	Ziro	Arunachal Pradesh
10	Tinsukia	Assam
11	Dimapur	Nagaland
12	Kohima	Nagaland
13	Mokokchung	Nagaland
14	Gangtok	Sikkim
15	Geyzing	Sikkim

16	Jorethang	Sikkim
17	Kabi (farm)	Sikkim
18	Mangan	Sikkim
19	Pangthang (farm)	Sikkim
20	Kalimpong	West Bengal
21	Sukhiapokhri	West Bengal

(iii) Research Stations

1	Myladumpara	Kerala
2	Donigal-Sakleshpur	Karnataka
3	Thadiyankudissai	Tamil Nadu
4	Tadong	Sikkim

(iv) Quality Evaluation Laboratories (QELs)

1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Kandla	Gujarat
3	Kochi	Kerala
4	Mumbai	Maharashtra
5	Narela	New Delhi
6	Chennai	Tamil Nadu
7	Tuticorin	Tamil Nadu

(v) Spices Parks

1	Guntur	Andhra Pradesh	
2	Puttady	Kerala	
3	Chhindwara	Madhya Pradesh	
4	Guna	Madhya Pradesh	
5	Jodhpur	Rajasthan	
6	Kota	Rajasthan	
7	Sivaganga	Tamil Nadu	
8	Raebareli	Uttar Pradesh	

f) Visit of Department Related Parliamentary Standing Committees

During the year 2019–20, the Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce-Examination of the subject 'Export of Agricultural & Marine Products, Plantation Crops, Turmeric and Coir' visited Vijayawada, Bengaluru and Kochi from 6th to 10thJanuary, 2020 and held discussions with the officials of the Board.



g) Procurement of goods and services through GeM

All outsourced services like security, housekeeping, Electrician, etc., were procured through Government-E-Marketplace. Purchase of products like computers, printers, stationary, etc., was done through GeM (More than 70% of the total purchase was done through GeM).

h) Swachh Bharat Mission Activities

All the activities notified by the Ministry as part of implementation of Swachh Bharat Mission were successfully implemented in the Board's offices during 2019–20 and reports including photos were forwarded to the Ministry.

i) Observance of days of national importance

Days of national importance such as Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, Constitution Day, Anti-Terrorism Day, Yoga Day among others along with, Vigilance Awareness Week and Hindi Fortnight/Day were observed in Spices Board.

B. Implementation of Official Language Policy

The Official Language section in Spices Board HO is the nodal point responsible to assist the Board to formulate and carry out programs to promote the use of Hindi as official language and also to monitor and guideline implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Program as well as the orders issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs with regard to the use of Hindi as Official Language, the OL section, with concurrence and approval of the Secretary and the Official Language Implementation Committee of the Board, continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2019–20.

a) Major activities and achievements

(i) Translation

Major translation work (English to Hindi and vice-versa) of the following were undertaken:

- Documents coming under section 3(3) of OL Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Release, Notifications, VIP references, etc.
- Annual Report and Audit Report 2018–19 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament.
- Background notes, filled in questionnaire and other materials for various Committees of Parliament visiting/ inspecting the Board.
- Letters received in Hindi and replies thereof.
- Material for visiting cards, rubber stamps for the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board.
- Materials such as banners, backdrops, invitation cards, program sheets etcs. for various official functions arranged by the Board.

(ii) Implementation of OL policy

a) OLIC meetings

Four OLIC meetings, to the tune of one in each quarter, were convened on 30th May, 2019 (AprilJune 2019), 21st August, 2019 (July-September 2019), 13th December, 2019 (October-December 2019) and 16th March, 2020 (January-March 2020) respectively. All the meetings were presided over by Secretary, Spices Board.

b) Hindi workshop

A workshop for Group 'A' officials was arranged in HO on 24th June, 2019. Shri Kumar Pal Sharma, Deputy Director (Impl.), Regional Implementation Office, Department of Official Language, M/o Home Affairs, Government of India, Kendriya Bhavan, Kakkanad, Kochi lead the workshop. Twenty-seven Group 'A' Officials participated in the workshop. Besides, three Hindi workshops in HO for the staff members were also conducted on 25th September, 2019, 27th December, 2019 and 17th March, 2020 respectively and 50 officials were imparted Hindi training. They were made aware of the OL policy as well as Board's activities to implement the OL policy.



Board nominated the officials from QEL Narela, New Delhi and Regional Office, Jodhpur for a five-day intensive workshop during the months of April and May, 2019 organized by Central Hindi Training Institute, New Delhi.

c) In-service Hindi training

One official from HO and 12 officials from the NE Region offices were nominated for in-service training in Hindi [Prabodh-1, Praveen-5 and Pragya-7] through correspondence course under the Central Hindi Training Institute, New Delhi. Training program is in progress.

In addition, three officials from HO were nominated for Hindi word processing and Hindi Computer Typing Training and the officials successfully completed the training.

d) Subscription for Hindi newspapers/ magazines

Subscriptions for Hindi newspaper *Daily Hindi Milap* and Hindi magazines namely *Sarita* and *Vanita* were continued.

e) Official Language inspection

A visit cum inspection was made by Shri Badri Yadav, Research Officer (Impl), Regional Implementation Office (NER), Guwahati on 20th January, 2020 to Spices Board Regional Office Guwahati. The Officerin-charge, Regional Office, Guwahati briefed about the activities on the implementation of Official Language policy in the office, which was followed by an interaction with the officers and staff.

f) Hindi Day/Fortnight celebrations, 2019

Spices Board observed 'Hindi Day' on 14th September, 2019. The inaugural function of Hindi Fortnight Celebrations 2019 was organized on 17th September, 2019. Shri K.S. Srinivas IAS, Chairman, MPEDA was the Chief Guest. The function was presided over by Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board. Smt. A Shainamol IAS, Director (Finance) and Shri P.M. Sureshkumar, Director (Marketing) delivered the felicitation address. Shri S. Rupesh Kumar, Deputy Director (Aud. & Vig.) presented the message of Commerce Secretary and Dr. G. Usharani, Asst. Director (OL) presented

a brief report on the activities of OL Section during the period and read the message of the Union Home Minister and welcomed the gathering. Shri Biju.D.Shenoy, Junior Hindi Translator proposed vote of thanks.

Hindi Day and Hindi Fortnight Celebrations were organized in the Subordinate offices also; viz, Regional Offices at Guwahati and Gangtok, ICRI, Myladumpara and RRS, Tadong.

Various competitions were conducted for the Staff members in HO and Subordinate Offices. Winners of the competitions were awarded cash prizes and certificates.

The Board organized Hindi Recitation Competition for Class V-VII students of the schools in and around Kochi as a Special Programme of Hindi Fortnight Celebrations 2019.

The valedictory function of the HFC 2019 in HO was arranged on 28th January, 2020. Shri D.V. Swamy IAS, Development Commissioner, CSEZ, Kakkanad was the Chief Guest of the function. Trophies/cash awards/certificates for the prize winners of various Hindi competitions conducted for the staff members of the Head Office, commendable work done by the staff in Hindi, Rajbhasha Pratibha Puraskar, Rajbhasha Rolling/Runner up trophy for sections, Award for the Special Effort in implementing OL Policy for the year 2019, trophies and certificates for the winners of the Hindi Poetry Recitation Competition, etc., were given during the function.

viii) Participation in the programs arranged by Kochi TOLIC

- Share contributions to the TOLICs at Kochi, Gangtok and Guwahati to meet the expenditure in connection with the Joint OL Celebrations 2019 were arranged.
- The officer-in-charge of Regional Office, Gangtok attended the TOLIC meeting at Gangtok on 26th June, 2019.
- Scientist-C cum officer-in-charge and one official from Regional Office, Guwahati attended the Guwahati TOLIC meeting.



- Director(Marketing) and Junior Hindi Translator attended the Kochi TOLIC meeting convened on 13th August, 2019.
- Staff of the OL department in HO attended the Meeting of Official Language Staff from the member organizations in Kochi TOLIC on 21st August, 2019.
- Director (Finance) and Junior Hindi Translator attended the Kochi TOLIC meeting convened on 29th October, 2019.

ix) Spice India (Hindi)

All the issues of *Spice India* (Hindi) monthly magazine were published.

C. Library and documentation service

The Board's library has a good collection of books and periodicals with computerized bibliographic

database. The process of strengthening the library and documentation unit was continued by addition of new books and periodicals. During 2019-20, 163 new books were added and the subscription of about 120 periodicals was continued. Library continued the regular services like issue and return of books and periodicals, current awareness services, daily information services, E- paper reading and accessing open access journals and commenced the 'spice news service'. Reference facilities including guidelines were provided to about 25 students and research scholars from various institutions. Besides the regular activities, information was compiled on organic farming, climatic change, Indian agriculture, black pepper, cardamom, ginger, turmeric, chilli, garlic, mint, seed spices, tree spices, oils and oleoresins.



3. FINANCE AND ACCOUNTS

The schemes, projects and programmes of the Board are financed through grants and subsidies from the Government of India. The expenditure on administration is partly met through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2019–20 was Rs.10500.00 lakh. An amount of Rs.5410.00 lakh against grants, Rs.3400.00 lakh against subsidies, Rs.690.00 lakh towards provision for North Eastern Region, Rs.500.00 lakh towards provision for SC sub plan and Rs.500.00 lakh towards provision for Tribal sub plan have been received by the Board from the Government of India during 2019–20. The Board has generated IEBR of Rs.2128.49 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratories, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposit, etc. in 2019-20. The total expenditure of the Board during 2019-20 was Rs.11693.30 lakh, the break-up of which is given below:

Head of Account	Expenditure (Rs.Lakh)
Export Oriented Production	3847.79
Export Development and Promotion	2297.60
Export Oriented Research	699.30
Quality Improvement	925.47
HRD and Works	108.21
Establishment	3814.93
Total	11693.30

The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other government departments and national agencies such as ICAR, ASIDE and others. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2019–20 are given below:-

Programmes	Grants Received (Rs. lakh)	Expenditure (Rs. lakh) (*)
ASIDE	0.00	51.80
ASIDE IIPM	0.00	24.23
ICAR - AICRPS	19.50	10.66
E – Spice Bazaar Project	0.00	17.77
Study of Evaluation of Hunk	7.70	0.00
RPL - PMKVY	0.00	4.20
NAIP	0.00	5.73
SHM Biotechnology	0.00	17.23
SHM Mobile Agri Clinic	0.00	6.79
WGDP Karnataka	0.00	7.33
Centre for Excellence in Microbiology	0.00	0.59
WTO-STDF	0.00	1.00
Total	27.20	147.35

^(*) Expenditure includes grants received in the previous years and utilized in FY 2019–20, as well

The paras in the statutory Audit Report 2019–20 on Spices Board are placed as Appendix I.



4. EXPORT ORIENTED PRODUCTION

The Spices Board is responsible for the overall development of cardamom (small and large) in terms of improving production, productivity and quality. The Board is also implementing postharvest improvement programmes for production of quality spices for export. The various development programmes and post-harvest quality improvement programmes of the Board are included under the head 'Export Oriented Production'.

The development programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials for the spice growers.

Spices Board has established the following 11 Spice Development Agencies (SDAs) to promote development and marketing of spices and to enable better coordination with various state, central and allied agencies/institutions for implementing programmes for research, production, marketing, quality improvement and export of spices grown in the state.

Guwahati SDA	Gangtok SDA	Uttar Pradesh SDA	Guna SDA
Unjha SDA	Jodhpur SDA	Mumbai SDA	Guntur SDA
Haveri SDA	Erode SDA	Warangal SDA	

The Chief Secretary of the concerned state is the Chairperson of SDA with 17 members representing spice growers, exporters, traders, state horticulture/ agriculture department, state agriculture university, Joint Director General of Foreign Trade (JDGFT), Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce, etc. The respective regional officer of the Board is the

Member Secretary of the SDA. The SDAs have conducted meetings and actions are being taken as per the decisions of SDA.

In addition to the 11 SDAs, Spices Board has established Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA) at Srinagar for promoting development, marketing, quality, export and domestic consumption of saffron in Jammu & Kashmir. The SPEDA is co-chaired by the Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry and Chief Secretary, Government of Jammu and Kashmir.

The various programmes implemented under the scheme 'Export Oriented Production of Spices' during the year 2019-20 are detailed below:

Cardamom (Small)

Small cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. Majority of cardamom holdings are small and marginal. The total area under small cardamom during 2019-20 was 69,994 hectares (ha) with an estimated production of 11,235 metric tonnes. The programmes implemented for the development of small cardamom are given below;

Replanting

The objective of this programme is to address the issue of old, senile and uneconomic plantations of small cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka by encouraging marginal growers and providing them financial assistance for replantation. The growers are offered a subsidy of Rs 70,000 for General and Rs. 1,57,500 for SC and ST farmers per ha in Kerala and Tamil Nadu, and Rs 50,000 for General and Rs. 1,12,500 for SC and ST farmers per ha in Karnataka, towards 33.33% and 75% respectively for the cost of replanting and



maintenance during gestation period, payable in two equal annual installments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to 8 ha are eligible for benefit under this scheme.

During 2019–20, the development department through implementation of this programme has provided assistance for replanting 1629.38 ha of small cardamom (which includes 1st installment of 903.28 ha and backlog cases i.e., 1st and 2nd installments of both 2017–18 and 2018–19 viz 726.1ha). Under the scheme, financial assistance of Rs. 547.68 lakh (which includes 1st installment of 301.10 lakh and backlog payments i.e.,1st and 2nd installments of both 2017–18 and 2018–19 viz 246.58 lakh) has been provided as subsidy, benefiting 3,972 growers (2,354 beneficiaries for 1st installment and 1,618 farmers for backlog payments)

b) Production and distribution of quality planting materials

Production and distribution of disease free, healthy and quality planting materials were taken up by Board's departmental nurseries. The planting materials produced in the five departmental nurseries were distributed at a nominal rate to growers. During 2019–20, a total of 2,45,534 cardamom planting materials, 1,19,495 rooted pepper cuttings, 6,196 pepper nucleus planting materials, 610 bush pepper planting materials and 71 vanilla planting materials were produced and distributed to 842 growers from five departmental nurseries in the Karnataka region.

c) Planting material production

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field. Under this programme 91 units were established covering 146 beneficiary farmers with the financial assistance of Rs. 22.75 lakh.

d) Irrigation and land development

Irrigation during summer months is essential in cardamom plantations for getting higher yield. This programme aims at promoting irrigation in cardamom plantations by augmenting water

resources in cardamom plantations by constructing irrigation structures like farm ponds, tanks, wells, rainwater harvesting devices, installation of irrigation equipment and soil conservation works. The Board is implementing the programme in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka.

(i) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the scheme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metre for availing maximum subsidy under the programme. The subsidy offered under the scheme is 50% of the actual cost or Rs. 20,000 to General category and 75% of the actual cost or Rs. 30,000 to SC/ST category whichever is less.

(ii) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 Ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy under the scheme under IP set/gravity irrigation equipment. In the case of sprinkler/drip/micro irrigation, registered cardamom growers having land holding size of 1.00 ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy. The scale of assistance offered is 25% of the actual cost or Rs. 2500 for gravity irrigation; Rs. 10,000 for irrigation pump set; Rs. 21,175 for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to General category and 75% of the actual cost or Rs. 7500 for gravity irrigation; Rs. 30,000 for irrigation pump set; Rs. 63,525 for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to SC/ST category.

(iii) Construction of rainwater harvesting structure

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 8 ha are eligible to avail the benefits under the scheme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Subsidy at the rate of 33.33% of the actual cost limited to Rs. 12,000 to General category and 75% of the actual cost limited to Rs. 27,000 to SC/



ST category whichever is less is extended for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2019–20, a total number of 77 water storage structures and 41 rainwater harvesting structures were constructed and 66 irrigation pumpsets and six micro irrigation systems were installed benefitting 190 farmers with the financial assistance of Rs. 24.23 lakh.

B. Development Programmes for North East

Cardamom (Large)

Large cardamom is mainly grown in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. The total area under large cardamom in Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal and Sikkim during 2019-20 was 2,6617 ha with an estimated production of 5,866 tonnes. The total large cardamom growing area under Arunachal Pradesh, Nagaland and Manipur in 2019-20 was 17,465 ha with the production of 2,664 tonnes. Non availability of quality planting materials, presence of senile, old and uneconomic plants and incidence of blight diseases are the major challenges affecting large cardamom production. Keeping this in view, the Board is implementing the following programmes for large cardamom.

a) Large cardamom: replanting/new planting

Large cardamom is mainly grown by small and marginal farmers belonging to weaker sections of the society. The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase productivity. It is difficult for cardamom farmers to meet the cost of replanting / new planting due to higher investment. It is proposed to provide 33.33% for General and 75% for SC and ST farmers for the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (1st and 2nd years) as subsidy subject to a maximum of Rs. 28,000 and Rs. 63,000

per hectare respectively payable in two equal annual installments.

During 2019–20, the development wing through its field units implemented this programme and provided assistance for replanting / new planting 2579.43 ha (which includes 1st installment of 70ha and backlog cases i.e., 2nd installment of 2017–18 and 1st and 2nd installment of 2018–19 viz 1637.73ha) of large cardamom and Rs. 565.96 lakh (which includes 1st installment of 267.62 lakh and backlog payments i.e., 1st and 2nd installment of 2017–18 and 2018–19 viz 298.33 lakh) was arranged as subsidy, benefiting 6,146 growers.

b) Planting material production

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field. Under this programme, 249 units were established covering 433 beneficiary farmers with the financial assistance of Rs. 82.06 lakh.

c) Irrigation schemes

Large cardamom is mainly grown as a rainfed crop. Vagaries of climate often affect the production. The long dry spell from November to March coincides with severe winter resulting in retardation of growth and adversely affecting production. In order to increase water resources as well as to install irrigation equipment in large cardamom plantations for enabling irrigation to combat long dry spells during winter months and to increase the productivity and quality, the Board is implementing the programmes in the North Eastern Region and Darjeeling district of West Bengal.

d) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the scheme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic



metre for availing maximum subsidy under the programme. The subsidy offered under the scheme is 50% of the actual cost or Rs.20,000 to General category and 75% of the actual cost or Rs. 30,000 to SC/ST category whichever is less.

(i) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the subsidy under the scheme under IP set/gravity irrigation equipment. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the subsidy to an individual is restricted for only one unit. The scale of assistance under irrigation equipment/gravity irrigation equipment is 50% of actual cost or Rs. 10,000 to General category and 75% of actual cost or Rs. 15,000 to SC/ST category whichever is less.

(ii) Construction of rainwater harvesting structures

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 8 ha are eligible to avail the benefits under the scheme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Subsidy at the rate of 33.33% of the actual cost, limited to Rs.12,000 for General category and 75% of actual cost or Rs. 27,000 to SC/ST category is allowed for the construction of 200 cubic metre capacity tank. During 2019-20, financial support was provided for construction of water storage structures, rainwater harvesting structures and installation of irrigation pumpsets.

C. Post-harvest Improvement of Spices

a) Supply of improved cardamom curing devices

The objective of the scheme is to motivate the growers to adopt improved cardamom curing devices for drying cardamom to produce good quality cardamom for export. It is proposed to provide 33.33% for General and 75% for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs. 1,00,000 for General and Rs. 2,25,000 for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2019–20, thirty eight improved cardamom curing devices were set up at a total subsidy of Rs. 33.34 lakh, benefiting 38 growers.

b) Construction of Modified Bhatti (improved curing houses) for drying large cardamom

The objective of the scheme is to motivate the farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of large cardamom. The total cost of construction for a Modified Bhatti (ICRI model) 200kg and 400kg capacity are Rs. 27,000 and Rs. 37,500, respectively. Also, the total cost of sawo drier / equivalent drier is estimated at Rs. 25,000. It is proposed to provide subsidy at the rate of 75% of total cost or Rs. 22,500, whichever is less for construction of Modified Bhatti (ICRI model) or for purchase of sawo/equivalent drier.

During 2019–20, 30 Modified Bhatti units were constructed at a financial assistance of Rs. 5.84 lakh, benefiting 30 growers.

c) Supply of seed spice threshers

The harvesting and post-harvest practices followed by some of the seed spice growers are generally unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits, etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing the plants manually by hand, etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, Board popularizes the use of threshers which are operated manually or by using power.

The Board is providing 50% for General and 75% for SC and ST farmers for the cost of the thresher as subsidy subject to a maximum of Rs.60,000 and Rs. 90,000 respectively for General and SC/ST farmers.

During 2019–20, the department had extended assistance for installing 61 power operated threshers in the farmers' fields and a total subsidy of Rs. 36.90 lakh was given, benefiting 61 growers.



d) Supply of pepper threshers

The objective of the scheme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the spikes. It is proposed to provide 50% for General and 75% for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs. 15,000 for General and Rs. 22,500 for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2019–20, 179 threshers were set up at a total subsidy of Rs. 24.61 lakh, benefiting 179 growers.

e) Supply of turmeric steam boiling units

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. Spices Board popularizes the use of large scale turmeric boiling units among growers for production of quality turmeric, suitable for exports. The subsidy provided under this programme is 50% for General and 75% for NE region, SC and ST farmers for the actual cost of the boiling unit or Rs.1,50,000 for General and Rs. 2,25,000 for SC and ST farmers respectively whichever is less.

During 2019–20, 41 turmeric steam boiling units were supplied at a financial assistance of Rs. 78.53 lakh, benefiting 41 growers.

f) Supply of turmeric polisher

The programme aims at motivating and assisting the turmeric growers, growers group, spice producer societies / spice farmer producer company and so on, to adopt polishing of turmeric by supplying improved polishers at subsidized rates to produce quality turmeric suitable for exports. The subsidy provided under this programme is 50% for General and 75% for SC and ST farmers for the actual cost of the boiling unit or Rs. 75,000 for General and Rs. 1,12,500 for NE region, SC and ST farmers respectively, whichever is less.

During 2019–20, 18 turmeric polishing units were supplied at a financial assistance of Rs. 16.00 lakh, benefiting 18 growers.

g) Nutmeg dryer

The objective of the scheme is to popularize mechanical dryers among the growers to produce quality nutmeg and mace. It is proposed to provide 50% for General and 75% for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs. 30,000 for General and Rs. 45,000 for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2019–20, assistance was given for setting up of 58 nutmeg dryers to the tune of Rs. 10.51 lakh, thereby benefiting 58 growers.

h) Supply of mint distillation unit

The objective of the scheme is to motivate the mint growers to set up modern field distillation units lined with stainless steel in their fields to improve the efficiency of distillation unit as well as to improve the quality of oil for exports. It is proposed to provide 50% for General and 75% for SC and ST farmers for the cost of the drier subject to a maximum of Rs. 1,50,000 for General and Rs. 2,25,000 for SC and ST farmers respectively as subsidy.

During 2019–20, seven mint distillation units were set up at a total subsidy of Rs. 7.10 lakh, benefiting seven growers.

D. Organic Farming

In order to promote organic production of spices, support for setting up vermicompost units and promoting organic seed bank of spices were implemented in 2019–20.

a) Setting up of vermicompost units

It is necessary to produce organic inputs in the farm itself to maintain soil fertility in organic production. In order to enable the growers to produce organic farm inputs, particularly vermicompost, Rs. 3000 as subsidy at the rate of 33.33% of financial assistance to the General category growers and Rs. 6750 at the rate of 75% subsidy to the SC/ST farmers is offered to set up a unit having a capacity of one tonne output of vermicompost.



During 2019–20, 231 vermicompost units were set up benefitting 129 growers at a total subsidy of Rs. 14.13 lakh (including backlog of 15 units covering eight beneficiaries for Rs. 0.79 lakh)

b) Establishing organic seed banks for spices

Indigenous varieties viz., Cochin ginger in Kerala, Nadia Ginger in NE states, Alleppey finger turmeric in Kerala, Rajapori turmeric in Maharastra, Lakadong/ Megha Turmeric in Meghalaya and herbal spices in Tamil Nadu are identified for coverage under organic seed bank. Individual growers of any of these varieties of spices having holding size from 0.10 ha to 8 ha and organic certification are eligible to avail benefits under the scheme. A grower can avail subsidy under the scheme for a maximum of 3 years.

During 2019–20, backlog payment for one organic seed bank with regard to ginger has been effected in Tadong division of Gangtok with the financial assistance of Rs. 0.375 lakh under ST category.

E. Social Security Programme

a) Spice producer society

The objective of the programme is for spices producers to form a producer society exclusively for spices in the spice growing tracts for helping themselves mutually in increasing the production, improving the quality and enhancing the marketability of the spices.

The Board extends 50% of the actual cost subject to a maximum of Rs. 6.00 lakh for the General category growers and 90% of the actual cost subject to a maximum of Rs. 10.80 lakh under SC/ST category.

During 2019–20, two such Spice producer societies were given a financial assistance of Rs. 10.85 lakh under General Category for small cardamom as backlog payment in Idukki District of Kerala.

F. Training Programme for quality improvement of spices (QITP)

The Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers,

officials of state agriculture / horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre and post harvest and storage technologies and updated quality requirements for major spices.

A total of 10,178 personnel were trained under 186 numbers of various training programmes during 2019–20 at a total expenditure of Rs. 18.48 lakh. (Female: 2695; SC: 806; ST: 3684) The expenditure was met under the HRD head.

G. Extension Advisory Service

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post harvest improvement of spices is an important factor in increasing productivity and improving quality of spices. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post harvest management through personal contact, field visits, group meetings and through distribution of literature for small cardamom (in the states of Kerala, Tamil Nadu and Karnataka) and for large cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the production and post- harvest programmes of the Board under the scheme 'Export Oriented Production' are implemented through the extension network.

During 2019–20, a total of 29,513 extension visits were made and 2269 group meetings/campaigns were organized for cardamom (small and large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland and Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas. The total expenditure under extension advisory service was Rs. 2098 lakh during 2019–20.

H. Exposure Visit exclusively for SC and ST Farmers

Exposure visits exclusively for SC and ST farmers was organized and conducted by the Board. A total of 335 farmers from the regions of Uttar Pradesh (Barabanki), Tamil Nadu (Bodinayakanur), Sikkim (Gangtok), North East (Guwahati), Rajasthan



(Jodhpur) and Karnataka (Sakleshpur) participated in the exposure visit from 22nd October, 2019 to 12th March, 2020 in 15 different batches with the financial assistance of Rs. 63.26 lakh. The farmers were taken to the various spices plantations, Indian Cardamom Research Institute (ICRI), Myladumpara, Idukki District; Indian Institute of Spices Research (IISR), Calicut, Kerala; Spice Producer Society in Idukki District of Kerala; National Research Centre on Seed Spices, Ajmer, Rajasthan; Krishi Vigyan Kendra of Ajmer, Rajasthan; Regional Research Station at Mudigere, Karnataka; Kerala Agricultural University in Mannuthy, Thrissur; Spices Park, Puttady, Kerala.

I) Large Cardamom Productivity Award

Spices Board has instituted Large Cardamom Productivity Award for encouraging and recognizing the large cardamom farmers. The awards for excellence in large cardamom productivity for the years 2016–17, 2017–18 and 2018–19 were distributed on 13th November, 2019 at Itanagar. The Chief Guest of the function was Shri Tage Taki, Hon'ble Minister of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry & Veterinary and Fisheries, Arunachal Pradesh. The function was followed by a Regional Seminar on Spices in the NE Region and launch of "ARUNODAY", a promotional film on the potential of women of the North-East to make a livelihood through large cardamom cultivation.

J. New Initiatives

a) National Sustainable Spice Programme (NSSP)

The project titled "National Sustainable Spice Networking Programme", is being implemented in collaboration with World Spice Organisation (WSO, the technical wing of All India Spices Exporters Forum (AISEF), International agencies - IDH (which supports the sustainable trade initiative) and GIZ, Germany (which works on biodiversity and trade) and Spices Board for ensuring food safety and bringing in traceability and achieving sustainability with due concern for biodiversity in the spice sector. The

focus spices under the programme are chilli, pepper, turmeric, cumin, small cardamom and the spices produced in NE region so as to give a boost to the production and export of spices from the region.

b) Standards and Trade Development Facility (STDF) Project

The Spices Board had submitted a three year project titled 'Strengthening Spice Value Chain in India and Improving Market Access Through Capacity Building' to Standards and Trade Development Facility (STDF), an organization under WTO, in 2014 for assistance in capacity building and knowledge sharing as well as to address SPS issues in spices namely cumin, fennel, coriander and black pepper. The project was approved and a Letter of Agreement (LoA) is being executed with FAO for implementation with Spices Board as the implementing agency.

c) Turmeric Task Force Committee (TTFC)

In order to address the concerns expressed by various stakeholders pertaining to turmeric sector and to identify the limitations of the existing support system for the sector and to strengthen them through coordinated efforts involving all stakeholders, Spices Board has constituted a Turmeric Task Force Committee (TTFC). The Committee consists of Director (Development), Spices Board as the Chairman and Deputy Director, Spices Board Regional Office, Warangal as the Member Secretary with representatives from MoA&FW, MoC&I, State Agricultural Universities of Andhra Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Telangana, Horticulture/Agriculture Departments of the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Meghalaya, Odisha, Tamil Nadu and Telangana, IISR and turmeric exporters associations, traders associations and growers associations as members.

Based on the recommendations of the TTFC, a comprehensive project titled 'Integrated Project for Production of Export Quality Turmeric in Telangana State' has been prepared and submitted to MoC & I for approval and other line departments for initiating suitable action.



5. EXPORT DEVELOPMENT AND PROMOTION

The various programmes being implemented under the scheme 'Export Development and Promotion' intend to support exporters, for boosting the export of spices and spice products from India. Besides encouraging adoption of scientific practices, the Board focuses on ensuring quality and food safety in the entire supply chain of spices. The major thrust areas are trade promotion, product development and research. infrastructure development, promotion of Indian spice brands abroad, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centres, organizing Buyer Seller Meets, etc. Special programmes are also undertaken for the spice sector of the North Eastern Region.

A. Infrastructure Development

a) Grant-in-aid for adoption of hi-tech, technology and process upgradation, setting up of in-house lab and quality certification.

The Board implemented the scheme for adoption of hi-tech, technology and process upgradation, setting up of in-house lab, quality certification, etc., by providing grant-in-aid during XII plan period by providing 33% of the cost, subject to a maximum of Rs.1.00 crore per exporter for general areas. Consequent to the inclusion of the new proposal of Interest Equalization Scheme for infrastructure development in the Medium Term Fame Work Plan (2017-20) the guidelines of which is yet to be approved, the scheme for adoption of hi-tech, technology and process upgradation, setting up of in-house lab, quality certification, etc., has been discontinued. However, the Board has processed the pending cases under the scheme during 2019-20 and an assistance of Rs. 5.16 lakh has been provided.

b) Setting up Spices Processing Units in NE region

The Board assists exporters in establishing primary processing facilities for spices in the NE region. The grant-in-aid offered under the scheme will be 33% of the cost of processing facilities/ equipment subject to a maximum of Rs.50 lakh for exporters and 50% of the cost of processing facilities subject to a maximum of Rs.50 lakh for farmers' groups/ Farmer Producer Companies (FPCs) having valid CRES. For SC/ST exporters, farmers' groups and Farmer Producer Companies (for groups / FPCs the members should be from SC/ST Community) having valid CRES, the assistance will be 75% of the cost of processing facilities/equipment subject to a maximum of Rs.112.50 lakh.

c) Setting up and maintenance of infrastructure for common processing (Spices Parks)

Spices Board, with a view to enable facilities for primary processing and value addition of spices near the major production / market centres, has established eight crop-specific Spices Parks across the country in the major spice hubs. The Park is a well-conceived approach to empower the farmers to fetch better price and wider market access for their produce. The objective of the Spices Park is to provide common infrastructure facilities for processing, value addition and storage of spices to the farming community so as to ensure better quality of the product.

The facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilization, etc., established in the Spices Parks, will help the farmers to improve the quality of the produce and thus result in a higher price realization. Further, the processing units set up in the Spices Parks, which source quality produce directly from



farmers, has helped to establish market linkage of farmers/farmers' groups with exporters, thereby strengthening the supply chain.

All the Spices Parks established by the Board have been designated as Food Parks/Mega Food Parks by Ministry of Food Processing Industries (MoFPI).

which in turn has enabled the stakeholders who have set up processing facilities in the park to avail assistance under Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY) operated by the MoFPI.

The crop specific Spices Parks established by the Board in the major production/market centres, are given below:

SI. No.	Location/State	Spices Covered	Status
1	Chhindwara, Madhya Pradesh	Garlic and chilli	Functioning
2	Puttady, Kerala	Pepper and cardamom	Functioning
3	Jodhpur, Rajasthan	Cumin and coriander	Functioning
4	Guna, Madhya Pradesh	Coriander	Functioning
5	Guntur, Andhra Pradesh	Chilli	Functioning
6	Sivaganga, Tamil Nadu	Turmeric and chilli	Functioning
7	Kota, Rajasthan	Coriander and cumin	Functioning
8	Raebareli, Uttar Pradesh	Mint	Functioning

During 2019-20, a total of 10,847 metric tonnes (MT) of spices valued at Rs.12,369 lakh were processed through the common processing units established at various spices parks. Also, 446 MT of mint herbage was used for distillation of mint oil in the unit established at the Spices Park, Raebareli and satellite units installed in the nearby growing regions.

The Board has allotted plots available in the Spices Parks to entrepreneurs for developing their own processing units for value addition of spices. A total of 2,940 MT spices valued Rs. 1,653 lakh were processed and a total of 653 MT spices worth Rs. 730 lakh were exported during 2019–20.

A total of 4,901 MT of spices was stored in the common storage facilities set up in the Spices Parks and a total of 41, 084 MT spices and 25,800 MT other agricultural products were stored in the warehouses or cold storages units established by the private entrepreneurs in the Spices Parks during 2019-20.

During 2019-20, the Spices Parks provided direct services to a total of 1,577 farmers and other stakeholders besides providing employment to 218 permanent workers and 206 contract/casual workers (inclding169 women workers). An expenditure of

Rs. 256.94 lakh has been incurred for maintenance/undertaking works in the Spices Parks.

B. Trade Promotion

a) Sending business samples abroad

The Board assists exporters who wish to finalize business transactions on the basis of samples requested by buyers and reimburses the courier charges for sending business samples abroad. Sending business samples enables better and speedy conversion of prospective buyers to actual customers in the spices export scenario. All exporters, whose first registration with Spices Board is within three years, are eligible for availing benefit under this programme.

b) Packaging development and bar coding

The program envisages improvement and modernization of export packaging for increasing shelf life and reducing storage space, establishing traceability and better presentation of Indian spices in the markets abroad. Registered exporters can avail assistance to the tune of 50% of the cost of packaging development and bar coding registration subject to a ceiling of Rs.1.00 lakh per exporter.



Further, the Board has entrusted a research and development project on packaging of spices to Indian Institute of Packaging (IIP), Mumbai. Further, the Board has executed a Memorandum of Understanding (MoU) with IIP and the study is in progress, for which an expenditure of Rs. 8.89 lakh has been incurred.

c) Product development and research

There is ample scope for deriving new end uses and tapping unconventional applications from the spices produced in the country. The scheme aims at scientific validation of nutritional, nutraceutical, cosmeceutical, medicinal and intrinsic properties of the spices, with a view to enable further development of new spice based products. The returns from exports of such new products and formulations would be phenomenally higher than the value realized by exporting whole spices with minimal value addition. Development of new end products from spices involves scientific research in the areas of unconventional applications, which can further lead to creation of patentable products with higher potential for exports. The scheme offers financial assistance for product research and development, clinical trials, validation of properties and patenting and test marketing. Registered exporters and R&D institutions having required facilities are eligible to avail assistance under the scheme, to the tune of 50% of the cost of project subject to a maximum of Rs.25.00 lakh. If clinical trials and patenting are involved, the ceiling will be Rs.100 lakh. During 2019-20, the Board provided an assistance of Rs.15.32 lakh under the component for 'product development and research' to three beneficiaries.

d) Promotion of Indian spice brands abroad

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, through a series of promotional programs. Under this programme, exporters who have registered their brand will be provided financial assistance towards interest free loan of upto Rs.100 lakh per brand. Assistance under the program will cover 100% of

slotting / listing fee and promotional expenditure and 50% of the cost of product development, so as to help the exporters to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad.

e) Market study by the Board

The Board is undertaking market study for Indian spices through professional agencies in order to identify competitors and to evolve suitable strategies for boosting exports. Also, other critical aspects are to be analysed in depth to formulate an appropriate pricing, promotional and marketing strategy. Market survey by the Board would help to find out the strengths, weakness, threats and opportunities for Indian spices. The study assumes significance especially to small scale exporters and new entrants who can be advised appropriately, with regard to the changing market situations and other regulations, for efficient handling of their export operations. Under the program, the Board executes an agreement with the professional agency for undertaking the market study and meets 100% of the cost.

Spices Board had entrusted Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), New Delhi to conduct a study on export promotion of spices and to suggest short-term and long-term strategies for increasing the export share of Indian spices, for which an expenditure of Rs. 8.08 lakh was incurred during FY 2019-20.

f) Participation in international trade fairs/ exhibitions/ meetings and trainings

The Board is an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board is regularly participating in international fairs, exhibitions, etc., to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers. The Board also arranges cooking demonstrations in select exhibitions, food festivals, etc., to popularize the uses and applications of spices, in collaboration with leading restaurants and food chains, so as to promote Indian cuisine. Besides, the Board participates in annual meetings, conferences of International Pepper Community



(IPC), Codex Committees etc. During 2019–20, Spices Board participated in eight international fairs and exhibitions at a total expenditure of Rs.415 lakh.

The Board also encourages exporters to participate in international fairs/exhibitions to generate/ develop business. The registered exporters of the Board are eligible to avail assistance for participation in international trade fairs/exhibitions as per MDA guidelines. During 2019–20, an assistance of Rs. 1.00 lakh was provided to exporters for participation in international trade fairs, exhibitions etc.

C. Marketing and Auxiliary services

a) Marketing Services

Spices Board is implementing a series of programmes to develop and promote the export of spices and spice products from India and to strengthen the domestic marketing of cardamom. The Board assists stakeholders on a day-to-day basis to sort out various issues faced with regard to post-harvest management, marketing, processing, quality improvement etc. of spices and provides advice and technical support to exporters, farmers and State Governments.

(i) Registration and licensing

Registration and licensing is a part of the regulatory functions of the Board. The Board issues Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) and also the Auctioneer and Dealer license for trading in cardamom (small and large). During 2019–20, Spices Board issued 1,517 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) of which 1,487 certificates were in merchant category and 30 certificates were in manufacturer category.

Also, 125 dealer licences were issued during the year.

(ii) Registration of brand name

The objective of the programme is to register the brand names of exporters, who export spices/spice products in branded consumer packs. The registration of brand name is offered for a period of

three years, after confirming compliance with specific parameters, including testing of the package by the Indian Institute of Packaging (IIP).

(iii) Auction for cardamom

During 2019–20, the Board continued to facilitate the conduct of E-auction of cardamom (small) at Spices Park, Puttady in Idukki District of Kerala and at Bodinayakanur in Theni district of Tamil Nadu. A total of 13 Auctioneer Licenses have been issued for conducting auctions in the E-auction Centre at Puttady and Bodinayakanur for the block period 2017–20. Manual auctions were conducted in other states like Karnataka and Maharashtra for cardamom (small) and at Singtam in Sikkim for cardamom (large).

(iv) Testing of customs samples of spices

During 2019–20, the Board tested the samples of import consignments of spices received from Customs Department and test reports were issued with respect to the import of 1,675 MT of pepper from Sri Lanka, Vietnam, Indonesia and Ecuador through Kochi port. The results were issued with regard to imports under Advance Authorization Scheme, after testing oleoresin/piperine content for extraction of oils and oleoresins.

(v) GI Registration of spices

Spices Board has obtained the GI registrations for Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilly and Byadagi Chilly. The Board is popularizing the GI registered spices in the international markets.

(vi) Seminars and training programs

Spices Board conducted an Entrepreneurship Development Programme on Spice Export Sector in North Eastern Region at MSME Training Institute, Guwahati on 12th March, 2020 jointly with Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). The programme covered the subjects such as export potential of spices, value addition in spices, registration procedures for exporters of spices, identification of buyers/sellers, schemes for Export



promotion, export finance, export insurance and plant quarantine procedures. A total number of 33 prospective entrepreneurs participated in the programme.

(vii) Awards for excellence in exports of spices

Spices Board has instituted awards for excellence in exports of spices to honour outstanding export performers of spices and spice products. The awards and trophies are part of the Board's continued endeavor to promote the exports of spices and spice products. The 29th and 30th set of exporter awards, which include trophies for top most exporters, awards- for category wise leading exporters and certificate of merit for remarkable growth in exports over the previous year, were presented to the exporters for commendable performance during 2015–16 and 2016–17 by Shri Som Parkash, Hon'ble Minister of State for Commerce & Industry at Kochi, Kerala on 22nd February, 2020.

(viii) Visit of delegation to Saudi Arabia

A high level delegation approved by the Government of India, headed by Shri D Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board, comprising officials of the Board and leading exporters of small cardamom, visited Riyadh, Saudi Arabia to work out a solution for the concerns impacting small cardamom trade and to resume the exports of small cardamom from India to Saudi Arabia. The delegation members and officials of Indian Embassy Riyadh held a series of meetings with the Saudi Food & Drug Authority (SFDA), the GCC Standardization Organization (GSO) and other stakeholders during December 2019 and had proposed various measures to address the concerns, with a view to facilitate seamless trade. The matter was further pursued through the Indian Mission at Riyadh, Saudi Arabia.

The continuous diplomatic deliberations paved way for revision of the standards by the Saudi Food & Drug Authority (SFDA), in line with the globally accepted

Codex Food Standards. Accordingly, the export of small cardamom to Saudi Arabia is expected to resume during the first quarter of 2020-21.

b) Buyer Seller Meets (BSM)

Spices Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSM) across the major spice producing regions so as to provide a platform for interaction between the spice growers and exporters for establishing direct market linkages. The BSMs are profitable for both the growers and exporters wherein the growers get a market for their produce along with remunerative returns, whereas the exporters find it beneficial in terms of establishing long- term backward linkages and competitive sourcing of quality spices. During FY 2019–20, seven BSMs and Open House meetings were conducted by the Board, the details of which are given in the table below:

SI. No.	Location	Date
1	Nagercoil, Tamil Nadu	10 th July, 2019
2	Kattappana, Idukki, Kerala	27 th September, 2019
3	Kolli Hills, Tamil Nadu	30th October, 2019
4	Erode, Tamil Nadu	2 nd November, 2019
5	Itanagar, Arunachal Pradesh	14 th November, 2019
6	Gangtok, Sikkim	21st November, 2019
7	Nizamabad, Telangana	13 th February, 2020

The stakeholders of the spice industry have shown keen interest and have actively participated in the BSMs across the country, so as to make the best use of the platform, to build market linkages. Around 864 farmers / farmers groups and 305 spice exporters actively participated in the BSM and Open House Meetings. During 2019–20, the total expenditure under the programme was Rs.23.47 lakh.



c) International Pepper Community (IPC)

The International Pepper Committee (IPC), is a UNESCAP intergovernmental organization of pepper producing countries with India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam as permanent members, and Papua New Guinea and the Philippines as associate members for promoting, coordinating and harmonizing all activities relating to pepper economy and to promptly address all issues faced by the sector. Shri D Sathiyan IFS, Secretary Spices Board took over the charge as Chairman, IPC during the 47th Annual Sessions and Meetings of the IPC held at Vung Tau City, Vietnam from 11th to 14th November 2019. Also, Spices Board hosted the 5th Meeting of the IPC Committee on Marketing at Kochi, Kerala on 11th July, 2019.

D. Trade Information Service (TIS)

The Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis and dissemination of statistics relating to exports, imports, area, production, auction, and domestic and international prices of spices.

The major source of information for compiling the estimated export of spices from India is the Daily List of Exports (DLE) released by the Customs and the export data provided by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata. Similarly, the Daily List of Imports (DLI) released by the Customs and the import data provided by Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI & S), Kolkata are the source for estimating the import of spices into India. The Board is compiling the export/ import details of spices on a quarterly basis and disseminating the export and import figures of spices to its stakeholders through website and Ministry/ Departments on a regular basis. For this purpose, the Board is regularly collecting both the DLE and DLI from all major ports like Kochi, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Calcutta, Petrapole, Mahadipur,

Raxual, Amritsar etc., and DGCI & S, Kolkata and the information is also collected through the Regional Offices of the Board for this purpose.

The Board is compiling and disseminating both the domestic and international prices of spices in respect of major markets in India and abroad on regular basis to the end-users through the website and publications. The major source for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, International Pepper Community, Indonesia, AA Sayia & Co, USA, etc. The information is collected through the regional offices of the Board and through subscription from the international agencies.

The Board is responsible for the development of cardamom (small and large). Hence the area, production and productivity of small and large cardamom are estimated by Trade Information Service with the support of the field sample study conducted through the field set up of the Board. Area and production figures of other spices are collected from the State Economics and Statistics/Agriculture/ Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area and production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as through the website to the stakeholders and policy makers.

As per the Registration of Exporters (Regulations), all the registered exporters of spices have to submit their quarterly export return to the Board. During 2017-20 block period, 6081 exporters were registered with the Board and the Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns of these exporters and maintaining the database of exporter wise export of spices. By using this database, the details of leading exporters of each spice are compiled and published on the Board's website.

Spices Board conducts e-auction for trading of cardamom through e-auction centres developed by



the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on auction quantity and price of cardamom are compiled and published on a daily basis through our website. The consolidated details on auction sale and average prices were compiled and disseminated through Board's publication this year too.

The weekly domestic price of different spices for different markets centres including major overseas markets are collected, compiled and published through the publication of the Board namely Spices Market on a weekly basis (on the Board's website) and magazine on a monthly basis for the benefit of stakeholders of the industry.

a) Area and production of spices

The area, production and productivity figures of cardamom (small) and cardamom (large) for 2019–20 compared to 2018–19 are given in Tables I and II. Area and production figures of other spices are given in Table-III.

Table-I
Statewise Area and Production of Cardamom (Small)

(Area in hectares, production in tonnes, yield in kg/ha)

		2019-20				2018-19			
State	Total Area	Yielding Area	Production	Yield	Total Area	Yielding Area	Production	Yield	
Kerala	39697	29858	10075	337.43	38882	29364	11535	392.83	
Karnataka	25135	14418	620	43.00	25135	14725	690	46.86	
Tamil Nadu	5162	2876	540	187.76	5115	3503	715	204.11	
Total	69994	47152	11235	238.27	69132	47592	12940	271.89	

Source:- Estimate based on field sample study.

Table-II Statewise Area and Production of Cardamom(Large)

(Area in hectares, production in tonnes, yield in kg/ha)

State	2019-20				2018-19			
	Total Area	Yielding Area	Production	Yield	Total Area	Yielding Area	Production	Yield
Sikkim	23312	15963	4780	299.44	23312	17605	5030	285.71
West Bengal	3305	3159	1086	343.81	3305	3159	1070	338.71
Total	26617	19122	5866	306.77	26617	20764	6100	293.78

Source: Estimate by Spices Board

In 2019-20, estimated area and production details of cardamom(large) in Arunachal Pradesh and Nagaland and Manipur were compiled, which are given in Table IIA.



Table IIA State wise Area and Production of Cardamom(Large)

(Area in hectares, production in tonnes, yield in kg/ha)

	2019-20				2018-19			
State	Total Area	Yielding Area	Production	Yield	Total Area	Yielding Area	Production	Yield
Arunachal Pradesh	10909	6395	1614	252.38	9901	6419	1545	240.76
Nagaland	6408	4214	1046	248.22	6308	4194	1024	244.09
Manipur	148	29	4	146.55	93	25	4	168.4
Total	17465	10638	2664	250.42	16302	10638	2573	241.87

source: Estimate by Spices Board

Table-III Area and Production of Major Spices

(Area in hectares, production in tonnes, yield in kg/ha)

Coice	2019-2	0 (Est)	2018-19(P)			
Spice	Area	Production	Area	Production		
Pepper	137378	61000	138929	48000		
Chilli	682580	1702350	765330	1605160		
Ginger(Fresh)	172040	1843530	164310	1788970		
Turmeric(Dry)	245958	938955	253406	959797		
Garlic	362950	2916970	353590	2898240		
Coriander	628550	755740	469900	600410		
Cumin	841940	546750	1026760	699538		
Fennel	75260	127790	90180	157150		
Fenugreek	120340	188480	119870	189880		

Source: State Directorate of Eco. & Stat. /Agri./Horti. Departments Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikode (Est): Estimate (P): Provisional . Pepper Production : Trade Estimate

b) Auction sales and prices of cardamom (small)

The state-wise auction sales and weighted average price of cardamom (small) for 2019–20 (August 2019 – July 2020) and 2018–19 (August 2018 - July 2019) are given in Table-IV.

Table-IV Auction sales & prices of cardamom (small)

(Qty. in Tonnes, Price in Rs./kg.)

	2019-20 (Aı	ugust-July) (P)	2018-19 (August-July)		
State	Quantity auctioned	Weighted average auction price	Quantity auctioned	Weighted average auction price	
Kerala and Tamil Nadu (e-auction)	13544	2926.15	20809	1528.96	
Karnataka	4	2133.64	9	1022.69	
Maharashtra	50	3132.06	46	1442.11	
Total	13598	2926.70	20865	1528.58	

(P): Provisional Source: Reports received from licensed auctioneers



c) Prices of cardamom (large)

The average wholesale prices of cardamom (large) at Gangtok and Siliguri market for 2019-20 and 2018-19 are given in Table V.

Table-V

Average wholesale prices of cardamom (large)

(Price in Rs./kg.)

Centre	Grade	2019-20	2018-19
Gangtok	Badadana	475.42	527.31
Siliguri	Badadana	579.86	646.39

Source: Regional office of the Board

d) Prices of other major spices

The average domestic prices of major spices are given below. These prices have been collected from secondary sources like Chambers of Commerce, Indian Pepper and Spice Trade Association, market reviews prepared by the merchants associations, etc. Prices of major spices in important market centers are given in Table VI.

Table-VI
Prices of major spices in important market centers(Price in Rs./Kg.)

SPICE	MARKET	2019-20	2018-19
BLACK PEPPER(MG-1)	COCHIN	347.08	378.21
CHILLIES	GUNTUR	115.04	77.16
GINGER	COCHIN	267.73	184.39
TURMERIC	CHENNAI	79.48	119.63
CORIANDER	CHENNAI	88.23	70.74
CUMIN	CHENNAI	171.89	188.83
FENNEL	CHENNAI	98.29	106.01
FENUGREEK	CHENNAI	63.57	50.67
GARLIC	CHENNAI	108.93	33.85
POPPY SEED	CHENNAI	794.45	450.59
AJWAIN SEED	CHENNAI	133.86	120.12
MUSTARD	CHENNAI	47.41	51.07
TAMARIND	CHENNAI	121.49	161.26
SAFFRON	DELHI	111090.90	105604.50
CLOVE	COCHIN	611.81	711.45
NUTMEG(WITHOUT SHELL)	COCHIN	383.27	389.60
MACE	COCHIN	869.47	599.50

e) Export performance of spices from India

Outbreak of Covid-19 across the globe has affected the global supply chain and brought the economies in a recessionary condition. However, the spices export from India has continued its upward trend during 2019–20 and has crossed the 3 billion US \$ mark for the first time in the history of spices export. The estimated export during 2019–20 has been 11,83,000 tonnes valued at Rs.21515.40 crore (US \$3033.44 million) against 11,00,250 tonnes valued



at Rs.19505.81 crore (US \$2805.50 million) during the last financial year. The spices export during 2019–20 attained an all-time record in terms of both volume and value. Compared to last year, the export has shown an increase of 10% in rupee value and 8% in quantity. In dollar terms, the increase is 8%.

The spices export during 2019–20 has also exceeded the target fixed for the year both in terms of volume and value (both rupee and dollar). Against the export target of 10,75,000 tonnes valued Rs.19666.90 crore (US\$ 2850.28 million) for the year 2019–20, the achievement of 11,83,000 tonnes valued Rs.21515.40 crore (US\$ 3033.44 million) is 110% in quantity, 109% in rupee value and 106% in dollar terms of value in comparison with the target.

(i) Major contributors

The export basket of spices and spice products contains 52 spices and its products. However, chilli, mint products, cumin, spice oils and oleoresins and turmeric continued to be the major contributors to the spices export basket. These five items alone contributed 80% of the total earning from spices export. Spice extracts including mint products like mint oils, menthol crystals and menthol contributed 30% of the total export earnings. Chilli contributed 29%, followed by cumin (15%) and turmeric (6%.) Other major contributors were curry powder (4%) and pepper (3%).

(ii) Export destinations

During the year 2019–20, Indian spices and spice products reached 180 destinations globally. The leading destinations among them were China, the USA, Bangladesh, Thailand, the UAE, Sri Lanka, Malaysia, the UK, Indonesia and Germany. These nine destinations alone contributed more than 70% of the total export earnings from spices during 2019–20.

The USA has been the traditional single largest destination for Indian spices for the last few decades. USA is the traditional market for high value spices like pepper, cardamom, spices extracts, mint products, etc. However, during the last two years,

China emerged as a leading export destination for Indian spices and the export to China was tripled mainly due to the huge demand for Indian chilli. The main reason for the increase in export of chilli was due to the ban imposed by China on the border sale with Vietnam imported through Haiphong port. Consequently, in 2019–20 China surpassed the USA and became the single largest destination for Indian spices in terms of both quantity and value. Currently the estimated value of spices imported from India by China accounts more than 710 million USD which is approximately 24% of the total export earnings of spices from India.

(iii) Value addition in spices

The export of value-added products like curry powder, spice powders, derivatives of black pepper, spice oils and oleoresins, mint products, etc., account for 50% of the total exports in terms of value. Major items such as mint products, spices oils and oleoresins and curry powders and blends have shown substantial increase both in terms of quantity and value as compared to last year. During the year, all the major value-added products have shown an all-time high both in terms of quantity and value. The major destinations for the value-added products are the USA, China, the UK, etc.

(iv) Pepper

The USA is the largest buyer and consumer of pepper in the world. Fluctuations in the import of pepper by the USA have a direct impact on the world pepper trade. During 2019-20, the USA imported about 85,000 MT of pepper (whole and powder) which is around 20% of the world pepper trade. India mainly exports pepper powder to the USA and the export of whole pepper is comparatively less due to stiff competition from other origins.

During the year 2019–20, India exported a total quantity of 16,250 tonnes of pepper valued at Rs.551.87 crore as against 13,540 tonnes valued at Rs.568.68 crore of last year, registering a growth of 20% in volume and a marginal decline of 3% in value. The reason for decline in value is mainly



attributed to the decline in the global pepper prices during the year. In 2019–20, the USA continued as major market for Indian pepper and has imported around 6,300 tonnes registering 29% increase in terms of value. The other major buyers were the UK, Sweden, Germany, Canada, Japan and Australia. These countries alone contributed more than 50% of the export earnings from pepper. The average FOB export price of pepper came down to Rs.340 per kg in 2019–20 from Rs.420 per kg in 2018–19.

(v) Cardamom (small)

Saudi Arabia is the traditional market for Indian cardamom and 50% of the export of cardamom from India is to Saudi Arabia. However, in 2018–19, Saudi Arabia detained export consignment of cardamom from India due to the presence of pesticides beyond the permissible limits. Hence, the total export of cardamom declined to 2,090 tonnes during 2019–20 as against 2,850 tonnes in 2018–19.

However, based on the steps initiated by the Board, the export of cardamom to Saudi Arabia has resumed from May 2020 with quality testing and certification by the Board. During 2019–20, India exported 2,090 tonnes of cardamom (small) valued at Rs.426.30 crore as against 2,850 tonnes valued at Rs.356.25 crore in 2018–19, registering a decline of 27% in volume but registered a growth of 20% in value due to the high unit value realization for Indian cardamom. Apart from Saudi Arabia, the major destinations for Indian cardamom are the UAE, Kuwait, the USA, Iran, etc. During 2019–20, these four countries alone contributed to more than 60% of India's small cardamom export in terms of volume.

(vi) Cardamom (Large)

India and Nepal are the leading producers of cardamom (large). India is one of the largest consumers of cardamom (large) in the world. During the year, India exported 1,100 tonnes of cardamom (large) valued at Rs.67.58 crore as against 860 tonnes valued at Rs.61.06 crore in 2018–19. Afghanistan, Pakistan and the UAE are the major buyers of Indian large cardamom accounting more than 90% in terms of volume.

(vii) Chilli

Chilli is the single largest spice item exported from India in terms of both volume and value. The quantum of export of chilli and chilli products from the country alone accounted more than 40% in volume and 29% in value of total spices exports. The mandatory quality testing of chilli and chilli products implemented by the Board has made the Indian chilli more acceptable in the international markets and helped to achieve this higher level of export. During 2019-20, India has exported 4,84,000 tonnes of chilli and chilli products valued at Rs.6211.70 crore as against 4,68,500 tonnes valued at Rs.5411.18 crore of last year. The traditional buyers of Indian chilli such as Thailand, Malaysia, Indonesia and Sri Lanka were active in the market. However, China emerged as the single largest destination for chilli. During 2019-20 China imported around 1,40,000 tonnes of chilli which accounts a share of around 29% in the total export of chilli from the country. The chilli export to Vietnam has reduced considerably during the year as compared to last year due to the ban on the border trade by China.

(viii) Ginger

The export of ginger from India has registered an alltime record by crossing 50,000 tonnes in 2019-20. During 2019-20, a total volume of 50,410 tonnes of ginger valued at Rs.449.05 crore has been exported as against 18,150 tonnes valued at Rs.196.02 crore of last year registering an increase of 178% in volume and 129% in value. The major reason for the growth in export of ginger is due to the import of huge volume of ginger by Bangladesh due to their crop loss. During 2019-20, Bangladesh alone imported more than 35,000 tonnes of ginger from India. Normally, ginger is exported in dry, fresh and powder forms. However, the major portion of import of ginger by Bangladesh during the current year is in fresh form which also leads to a decline in the average unit value realization for export of ginger from the country. The other leading buyers are Morocco, the USA, the UK and the UAE.



(ix) Turmeric

India is the largest supplier and consumer of turmeric in the world market. The other major suppliers are Vietnam, Indonesia and Myanmar. Export of turmeric from India during 2019–20 has shown an increase in terms of volume. However, due to the low unit value prevailing in the market resulted in a decline of 14% in terms of export earnings. During 2019–20, a total of 1,36,000 tonnes of turmeric valued at Rs.1216.40 crore was exported as against 1,33,600 tonnes valued at Rs.1416.16 crore. The leading buyer for Indian turmeric is Bangladesh followed by the USA, Iran, Malaysia, Morocco and the UAE.

(x) Coriander

The export of coriander during 2019–20 registered growth in terms quantity and value. During 2019–20, a total volume of 50,250 tonnes of coriander valued at Rs.411.10 crore was exported as against 48,900 tonnes valued at Rs.352.08 crore of last year registering an increase of 3% in volume and 17% in value. Malaysia is the leading buyer of coriander followed by the UAE, the UK, Saudi Arabia, South Africa and Nepal. These countries alone account for more than 50% of the export in terms of volume.

(xi) Cumin

Cumin is the third largest item in the export basket of spices. The volume of export of cumin alone accounts 18% of the total export. During 2019-20, a total volume of 2,10,000 tonnes of cumin valued at Rs.3225 crore was exported as against 1,80,300 tonnes valued at Rs.2884.80 crore of last year by registering an increase of 16% in volume and 12% in value. The mandatory sampling system implemented by the Board helped to make Indian cumin more acceptable in the world market thereby achieving sustainable growth over years. China is the leading buyer for Indian cumin and the import by China alone accounts around 25% of the total export of cumin from India. Other leading buyers for Indian cumin are Bangladesh, the USA, Afghanistan, Egypt and the UAE and these destinations alone account for more than 60% of the total export in terms of quantity

(xii) Fennel

The total export of fennel during 2019–20 was 23,800 tonnes valued at Rs.228.88 crore as against 26,250 tonnes valued at Rs.244.13 crore during the period 2018–19. The export of fennel has shown a decline of 9% in terms of volume and 6% in terms of value. The major reason for the shortfall is the short supply of fennel. Major buyers of Indian fennel are the USA, Malaysia, Bangladesh, the UK and Saudi Arabia.

(xiii) Fenugreek

During 2019-20, a total volume of 27,660 tonnes of fenugreek valued at Rs.163.84 crore was exported as against 27,150 tonnes valued at Rs.138.46 crore of last year. The export of fenugreek during 2019–20 registered an increase of 2% in volume and 18% in value. The major export destinations for fenugreek are Yemen, the USA, Bangladesh, South Africa, Nepal, etc.

(xiv) Curry powder/curry paste

India is one of the leading suppliers of curry powder/curry paste in the world. The export of curry powder/paste is continuously showing an upward trend for the last few years. During 2019–20, India exported 38,200 tonnes of curry powder/paste valued at Rs.834.10 crore as against 33,850 tonnes valued at Rs.744.70 crore during 2018–19. The export of curry powder/paste showed an increase of 13% in quantity and 12% in terms of value. The Middle East region continued to be the major buyer followed by the USA, the UK and Australia.

(xv) Mint products

Mint oil and its derivatives together are the second largest item in the export basket of spices. The major items under the mint products are Japanese mint, spearmint, De-Mentholised Oil (DMO) and menthol crystals. The export earning from mint products accounts for 18% of the total export value. India is one of the leading producers of mint products in the world and other producers are China and the USA. China is the largest consumer of mint products. China imports more than 12,000 tonnes of mint from India which accounts for more than 50% of the total



export. During 2019–20, a total volume of 22,725 tonnes valued at Rs.3838.35 crore was exported as against 21,610 tonnes valued at Rs.3749.34 crore during 2018–19 registering an increase of 5% in volume and 2% in terms of value. The leading buyers are China, the USA, Singapore and Germany.

(xvi) Spice oils and oleoresins

India is the world leader in production and export of spices extracts by holding a share of more than 70% in terms of volume. The other major suppliers are China and Sri Lanka. In the case of spice extracts, India is the stable supplier to the world and our export figures have shown a continuous increase since decades. During 2019–20, the export was 13,950

tonnes of spice extracts valued at Rs.2645.25 crore as against 12,750 tonnes valued at Rs.2193.00 crore during 2018–19. The export of spices extract showed an increase of 9% in volume and 21% in terms of value. The USA is the largest consumer of spices extract in the world and the import of USA is more than 30% of the total export from the country in terms of volume. The other leading buyers are China, France, Germany and the UK.

The estimated item-wise estimated export of spices from India during April-March 2020 compared with April-March 2019, percentage change in 2019–20 etc., and achievement of export targets are given in Table VII and Table VIII.

Table - VII Export of Spices from India during 2019-20 compared with 2018-19

	APRIL - MA	RCH 2019-20	APRIL - MAI	RCH 2018-19	% CHANGE IN		
ITEM	QTY VALUE		QTY VALUE		2019-20		
	(TONNES)	(Rs.LAKH)	(TONNES)	(Rs.LAKH)	QTY	VALUE	
PEPPER	16,250	55,187.00	13,540	56,868.00	20%	-3%	
CARDAMOM(S)	2,090	42,629.50	2,850	35,625.00	-27%	20%	
CARDAMOM(L)	1,100	6,758.50	860	6,106.00	28%	11%	
CHILLI	484,000	622,170.00	468,500	541,117.50	3%	15%	
GINGER	50,410	44,905.00	18,150	19,602.00	178%	129%	
TURMERIC	136,000	121,640.00	133,600	141,616.00	2%	-14%	
CORIANDER	50,250	41,110.00	48,900	35,208.00	3%	17%	
CUMIN	210,000	322,500.00	180,300	288,480.00	16%	12%	
CELERY	6,510	7,175.50	6,100	6,649.00	7%	8%	
FENNEL	23,800	22,888.00	26,250	24,412.50	-9%	-6%	
FENUGREEK	27,660	16,383.60	27,150	13,846.50	2%	18%	
OTHER SEEDS (1)	32,700	19,257.00	29,740	18,736.20	10%	3%	
GARLIC	23,350	17,232.50	29,500	17,110.00	-21%	1%	
NUTMEG & MACE	2,955	13,630.75	3,300	15,015.00	-10%	-9%	
OTHER SPICES(2)	41,050	66,303.00	43,300	61,486.00	-5%	8%	
CURRY POWDERS/PASTE	38,200	83,410.00	33,850	74,470.00	13%	12%	
MINT PRODUCTS(3)	22,725	383,835.00	21,610	374,933.50	5%	2%	
SPICE OILS &OLEORESINS	13,950	264,525.00	12,750	219,300.00	9%	21%	
TOTAL	1,183,000	2,151,540.35	1,100,250	1,950,581.20	8%	10%	
VALUE IN MILLION US \$		3033.44		2,805.50		8%	

⁽¹⁾ INCLUDE MUSTARD, ANISEED, AJWANSEED, DILL SEED, POPPY SEED, ETC.

⁽²⁾ INCLUDE TAMARIND, ASAFOETIDA, CASSIA, SAFFRON, ETC.

⁽³⁾ INCLUDE MINT OILS, MENTHOL & MENTHOL CRYSTAL.

Source: Estimate based on dle from customs, report from ro's and last year's export trend, etc.



Table-VIII Export of spices from India during 2019-20 compared with Target

ITEM	TARGET FOR			- MARCH 9–20(*)	% ACHIEVEMENT	
	20	19-20	QTY	VALUE	OF TAI	RGET
	QTY	VALUE	(TONNES)	(Rs.LAKH)	QTY	VALUE
PEPPER	15,000	58,800.00	16,250	55,187.00	108%	94%
CARDAMOM(S)	3,400	45,900.00	2,090	42,629.50	61%	93%
CARDAMOM(L)	1,100	6,600.00	1,100	6,758.50	100%	102%
CHILLI	428,000	496,480.00	484,000	622,170.00	113%	125%
GINGER	22,000	26,400.00	50,410	44,905.00	229%	170%
TURMERIC	135,000	121,500.00	136,000	121,640.00	101%	100%
CORIANDER	50,000	40,000.00	50,250	41,110.00	101%	103%
CUMIN	175,000	271,250.00	210,000	322,500.00	120%	119%
CELERY	6,000	6,360.00	6,510	7,175.50	109%	113%
FENNEL	28,000	26,600.00	23,800	22,888.00	85%	86%
FENUGREEK	28,000	16,800.00	27,660	16,383.60	99%	98%
OTHER SEEDS (1)	32,000	22,400.00	32,700	19,257.00	102%	86%
GARLIC	27,000	14,850.00	23,350	17,232.50	86%	116%
NUTMEG & MACE	5,000	25,000.00	2,955	13,630.75	59%	55%
OTHER SPICES(2)	45,000	76,500.00	41,050	66,303.00	91%	87%
CURRY POWDERS/PASTE	35,000	77,000.00	38,200	83,410.00	109%	108%
MINT PRODUCTS(3)	25,000	395,000.00	22,725	383,835.00	91%	97%
SPICE OILS &OLEORESINS	14,500	239,250.00	13,950	264,525.00	96%	111%
TOTAL	1,075,000	1,966,690.00	1,183,000	2,151,540.35	110%	109%
VALUE IN MILLION US \$		2850.28		3033.44		106%

⁽¹⁾ INCLUDE MUSTARD, ANISEED, AJWANSEED, DILL SEED, POPPY SEED, ETC.

⁽²⁾ INCLUDE TAMARIND, ASAFOETIDA, CASSIA, SAFFRON, ETC.

⁽³⁾ INCLUDE MINT OILS, MENTHOL & MENTHOL CRYSTAL.

Source: Estimate based on dle from customs, report from ro's and last year's export trend, etc.



6. PUBLICITY AND PROMOTION

Designing a good promotional strategy is vital for enhancing the reputation of the Spices Board and for promotion of spices export. During the financial year 2019-20, the Board continued to popularize its schemes and activities for the branding of Indian spices across the globe. The strategies were designed for publicizing and promoting Indian spices, spice industry and the activities of the Board.

The major highlights during FY 2019–20 were participation in established international and domestic trade fairs / exhibitions, advertisement campaigns, online promotional campaigns, printing and publication of magazines, brochures and showcasing video spots on spices, etc.

The multi-disciplinary promotional activities have lent support to the spice industry, boosting the demand of Indian spices both nationally and internationally.

a) Participation in Domestic Exhibitions/ Trade Fairs

One of the best means to reach out to the various stakeholders of spice industry is participation in domestic fairs. During the financial year, the Board ensured to participate in the important domestic fairs with a focus to cover main spice growing and marketing centers and internationally renown fairs. The participation in fairs provides a platform to the Board to interact with various levels of spice industry like farmers, traders, exporters, scientists, other export promotional agencies organizations, which shall help in designing competent projects/activities to promote the Indian spice industry as well as Indian spices. The participation in fairs during FY 2019–20 helped in tapping both domestic and international spice demands and generating awareness on the activities of the Board on a pan-India level.

During FY 2019–20, the Spices Board participated in 22 exhibitions, which occurred in prime locations of India.

SI. No.	Event Name	Place	Event Date
1.	Kerala Kaumudi Summer Fest	Kollam	10-22 April 2019
2.	Malayala Manorama Agri Summit	Kannur	17 May 2019
3.	Vibrant North East	Manipur	19-21 June 2019
4.	Annapoorna Anu food India	Mumbai	29-31 August 2019
5.	Rise in Haryana	Haryana	29-31 August 2019
6.	UPASI Industrial Exhibition	Coonoor	13-14 September 2019
7.	Conference cum International Buyer Seller meet on NER Agri products	Agartala	26 th September 2019
8.	National Organic Agricultural Products Exhibition	Vijayawada	4-6 October 2019
9.	Baroda Kisan Pakhwada and Baroda Kisan Diwas	Palakkadu	18 October 2019
10.	Fi & Hi India	Mumbai	22-24 October 2019
11.	Global Ayurveda Summit	Kochi	30-31 October 2019
12.	Biofach India	Delhi	7-9 November 2019
13.	Kochi International Book Festival	Kochi	29 November – 8 December 2019



Annual	Report	2019-20
	1 10001	

14.	North East Food Show 2019	Shillong	4-6 December 2019
15.	Destination Gujarath 2019	Surendra Nagar	18-20 December 2019
16	Kerala Agro Food Pro	Kaloor	20-23 December 2019
17.	107 th ISC – Pride of India Expo	Bengaluru	3-7 January 2020
18.	Vaiga Kerala	Thrissur	4-7 th January 2020
19.	Indus Food	Delhi	8-9 January 2020
20.	Organic North East	Guwahati	17-19 January 2020
21.	Emerging North East	Assam	19-21 Feb 2020
22.	CII Food Processing Conclave -2020	Kolkata	13 th Mar 2020

b) **Participation in International Fairs**

The Board is an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets, the Spices Board participates in major international trade fairs. The participation in international exhibitions helps in creating cost effective opportunities to the Indian spice exporters to interact and develop trade contacts with the existing as well as potential spice importers, thereby expanding the business horizon of the Indian spice industry. It also helps the Board to understand the various aspects of consumer behavior and food habits, retail and wholesale market study and the food safety and security related norms of the importing country.

The selection of events were based on strategy of tapping unexplored potential market regions. Exporters were given priority in participation in major shows and separate slots were provided for their independent promotional activity under Board's banner. Officers of the Board deputed for these events communicated and interacted with the visitors. Trade enquiries for various spices, herbs and formulations including products received at various events were disseminated to exporters through a bulletin for further follow - up deals.

During FY 2019-20, the Board participated in the following eight international fairs.

SI. No.	Name of the Fair	Place	Date
1	Summer Fancy Food Show 2019	New York, USA	23 -25 June 2019
2	Food Ingredients South America (FISA) 2019	Sao Paulo, Brazil	20 -22 August 2019
3	ANUGA 2019	Cologne, Germany	5 -9 October 2019
4	Gulfood Manufacturing 2019	Dubai, UAE	29 -31 October 2019
5	China International Import Expo 2019	Shanghai, China	5 -10 November 2019
6	Food Ingredients Europe 2019	Paris, France	3 -5 December 2019
7	Winter Fancy Food Show 2020	San Francisco, USA	19 -21 January 2020
8	Biofach 2020	Nuremberg, Germany	12 -15 February 2020



c) Promotion on Social Media:

Promotion on spices and Spices Board's activities is done on social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, Youtube and Google ad links are provided to spices and spice products. Designed to educate the online viewers, the campaigns on social media create awareness on spices including its botanical and geographical features, trade data, therapeutic and culinary aspects of spices and so on.

d) Periodicals

(i) Spice India

The periodical publication, *Spice India* (monthly) published in five different languages—English, Hindi, Malayalam, Kannada and Tamil were released

on time. The quarterly issues in Telugu were also released as per the schedule.

(ii) Foreign Trade Enquiries Bulletin (FTEB)

Trade enquiries received by the Board directly from overseas trade fairs, e-mail and direct enquires to the Board's offices were consolidated and published as FTEB, to facilitate export of spices. The publication was sent to the subscribers through e-mail on time.

iii) Other Publications:

Booklets and brochures printed during 2019–20 were:

- a) General brochure on Spices Board India (English).
- b) Brochure for international fairs in different languages (German, Japanese, Arabic)



7. CODEX CELL

A. Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

The Codex Alimentarius Commission in its 42nd session (CAC42) held in Geneva in July, 2019 adopted the standard for dried or dehydrated garlic. This is the fourth Codex standard for spices adopted by the Commission since its commencement. The electronic working group (eWG) for this was chaired by a scientist of Spices Board. Additionally five proposed draft standards namely, dried oregano, dried or dehydrated ginger, saffron, dried basil and dried cloves were adopted at Step 5.

After the successful conduct of the fourth session of CCSCH, at Hotel Leela Kovalam, Thiruvananthapuram, Kerala from 21st to 25th January 2019, the task for finalising proposed draft standards for dried oregano, dried or dehydrated ginger, saffron, dried basil and dried cloves through different electronic working groups (eWGs) is progressing. Two more proposed draft standards for dried or dehydrated chilli and paprika and dried or dehydrated nutmeg are at Step 2. The scientists of the Board are chairing the work for chilli and paprika and co-chairing the work for saffron and are actively participating as members in the eWGs for ginger, basil, clove, oregano and nutmeg.

B. Upcoming Session (CCSCH5)

Spices Board functions as the Secretariat of this committee and has to organize the session of CCSCH on behalf of India. Codex cell of Spices Board works as the organizing secretariat and the preparation work for the event have commenced. The fifth session was scheduled to be held from 20th to 25th September, 2020 at Kochi, Kerala but due to the ongoing COVID-19 pandemic situation the meeting is postponed to April 2021. The Grand Hyatt, Bolgatty Kochi, Kerala has been finalised as the venue. The Codex cell is coordinating the activities

related to the conducting of the session along with the work related to the drafting of standards for the ongoing seven spices.

C. Codex Meetings

a) Codex Alimentarius Commission (CAC 42)

The 42nd session of Codex Alimentarius Commission (CAC42) meeting was held in Geneva, Switzerland from 8th to 12th July. The fourth Codex standard for spices viz, dried or dehydrated garlic, was adopted during this meeting. The officials from the Board attended the CAC42 convened by Codex Alimentarius Commission.

b) Codex Coordinating Committee for Asia (CCASIA)

Twenty-first Session of CCASIA (CCASIA21) was held in Goa, India, from 23th to 27th September, 2019. Keynote address on 'Food safety and primary production - issues and best practices in an evolving region' was delivered during the session. India had identified isuues such as antimicrobial resistance, food-borne outbreaks / crises and circulation of false and malicious videos on social media with respect to food safety which were discussed in the meeting. The session focused on developing activities to support implementation of the Codex strategic plan 2020-2025. Spices Board scientists attended the meeting and participated in the discussion.

c) Codex eWG Advisory Group meeting in Brussels

The meeting was hosted by the European Commission (Health and Food Safety Directorate-General) seeking to bring together experienced chairs of eWGs from a wide range of subjects/Codex committees. The objective of the advisory group meeting was to implement the recommendations of the Codex Alimentarius Commission and its Executive Committee and develop practical guidance



for the use, management and organization of eWGs. The meeting was attended by a scientist of Spices Board.

d) Review of Codex and related activities

A meeting was held at Spices Board HO, convened by the Secretary Spices Board, in August 2019 to review the Codex and related activities. Spices Board scientists, who are eWG Chairs / members under the CCSCH, gave a briefing on the status of the respective draft standards. As an outcome of the meeting, a technical committee including experts from the spice industry was constituted for managing standards-related activities. Since then the draft standards under the CCSCH are circulated among the members of the technical committee for comments/ suggestion before submitting finally to the Codex secretariat, so that the interests of the Indian spices industry are addressed. Further, as decided in the meeting, suggestions for reconstituting the national shadow committee for CCSCH were submitted to the National Codex Contact Point.

D. Standards and Trade Development Facility (STDF)

A project submitted by Spices Board to the Standards and Trade Development Facility (STDF) under WTO, titled 'Strengthening Spice Value Chain in India and Improving Market Access Through Capacity Building' was approved and the signed implementation assignment was received in October 2019. The implementation of the project was approved by Ministry of Commerce, which will bring together various government bodies, research organizations and other stakeholders in the spices sector. The project was formally launched on February 22, 2020 at Kochi, Kerala by Shri Som Prakash, the Hon'ble Union Minister of State, Commerce and Industry, Government of India.

The project aims at addressing sanitary and phytosanitary (SPS) issues in four project locations: (1) Cumin/Fennel in Mehsana district of Gujarat, (2) Cumin/Fennel in Jodhpur in Rajasthan, (3) Coriander in Guna district of Madhya Pradesh and (4) Black pepper in Paderu, Andhra Pradesh. Total project budget is US\$ 992,030. Codex cell is functioning as the secretariat of the project.

The project activities commenced in October 2019. The project period was for three years initially, i.e., up to October 2022. The activities have now been planned to be extended for one more year, i.e., up to October 2023, as the ongoing COVID-19 pandemic situation has delayed the start of activities. A certified vendor registration form signed by the Spices Board's authorised signatory was submitted to Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations in February 2020. The letter of agreement between FAO and Spices Board India is to be signed, which is in the draft stage presently.

E. ISO TC 34/SC7

The ISO committee for drafting standards for spices, Technical Committee 34/Subcommittee 7, is chaired by the Director Research, Spices Board by designation. The ISO ballots on which comments were received from member countries were discussed for taking further course of action. The 30th session of ISO TC34 / SC7 which was initially scheduled be held in February 2020, was rescheduled to be conducted in June 2020. Spices Board's scientists provided comments on the various draft standards of spices. The Codex cell works in close association with the host secretariat for this committee, Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi.

F. Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee, FAD 9

The Director (Research), Spices Board, by designation has been selected as the Chairperson of Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee, FAD 09. The 16th meeting of this committee was held on 25th June, 2019 at Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi. Board's officials participated in the meeting. Several Indian standards for spices are under review in this committee. Spices Board's scientists provide comments for amending the standards as appropriate. Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi is the host secretariat for this committee and the Codex cell works in close association with BIS.

Spices Board's officials participated in the 24th meeting of Food and Agriculture Division Council (FADC) held at New Delhi on 26th February, 2020.



8. QUALITY IMPROVEMENT

The Quality Evaluation Laboratory (QEL) of Spices Board at Kochi was established as the Boards' first of its kind laboratory in the year 1989. QEL Kochi is certified under ISO 9001 Quality Management System since 1997, ISO 14001 Environmental Management System since 1999 by the British Standards Institution, UK and is also accredited under ISO/IEC:17025 Laboratory Quality Management System since September 2004 by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Department of Science & Technology (DST), Government of India. Quality being considered the prime commitment, QEL Kochi has always maintained and continues to maintain its credentials by consistently upgrading the quality systems. The lab got its accreditation under the latest upgraded systems; ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 by British standard institution, UK during 2018 which is valid upto 6th August, 2021 and ISO/IEC 17025:2017 by NABL during 2019 which is valid upto 12th April, 2022.

With the objective that spices exported from India conform to specifications laid down by appropriate national/international organzations and also to provide the customers timely, reliable and accurate test results, Spices Board has expanded its reach throughout India by establishing its regional QELs. Six regional QELs are now in operation at major producing/exporting centers viz., Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin and Kandla. The seventh and eighth regional QELs established at Kolkata and Raebareli are expected to be in operation shortly. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai and Delhi are accredited by NABL and the other laboratories are in the process of obtaining accreditation.

QELs undertake analysis of consignment samples under the mandatory inspection of Spices Board,

provide analytical services to the Indian spice industry and help to monitor the quality of spices produced and processed in the country. The laboratories are equipped with sophisticated instruments to undertake the analyses as per the requirements of importing countries. The documents pertinent to analytical services of the laboratory, including the generation of worksheets and submission of analytical results are made online through a software system called QUADMAS and the same is constantly updated.

A. Analytical Services

During the FY 2019-20, the laboratory continued the analysis of mandatory samples of chilli and chilli products for the presence of Sudan dye I-IV and aflatoxin under the mandatory sampling of consignments of chilli, chilli products, turmeric powder and other food products containing chilli. In addition, analysis of export consignment of sugar-coated fennel seeds (for sunset yellow), curry leaves (for pesticides namely profenofos, triazophos and endosulfan to EU), cumin seeds (for extraneous matter and other seeds) and chilli, cumin and spice mixes (for *Salmonella* to US) as per the mandatory inspection and testing implemented by the Board.

Testing of spices and spice products such as chilli, cumin, turmeric, black pepper, fenugreek and small cardamom in whole and ground form, from India to Japan (excluding oils and oleoresins) for pesticides residues like iprobenfos, profenofos, triazophos, ethion, phorate, parathion, chlorpyrifos and methyl parathion and the analysis of piperine and oleoresin content in imported black pepper consignments were also done during the period.

Analytical services were also provided for various parameters like other illegal dyes (viz Para Red, Rhodamine B, Butter Yellow, Sudan Red 7B & Sudan Orange G), Ochratoxin A, detection of



mineral oil in black pepper, illegal colorants in cardamom, coumarin content in cassia/ cinnamon, etc., apart from the general physical, chemical and microbiological parameters in spices and spice products.

QELs make available to its customers, scope of its testing on the website. The same was revised

including more microbiological parameters, which are automated, fast, validated and internationally accepted.

During the financial year 2019-20, the QELs analysed 1,16,772 samples for various parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, *Salmonella sp.* and so on.

QEL	Number of Samples Received	Number of Parameters Tested
Kochi	13060	25300
Kandla	9334	18105
Chennai	18659	21290
Mumbai	15009	28752
Narela	2675	4720
Tuticorin	3567	6518
Guntur	7945	12087
Total	70249	116772

Monitoring of rejections of export to various importing countries like the USA, EU, Japan, Saudi Arabia etc., are consistently reviewed for the need for expansion of scope of mandatory inspection and testing.

B. Human resources development programme

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the laboratory personnel and updating the requirements of various ISO quality systems adopted by the laboratory, 27 national/international training programs/workshops were attended by the technical staff.

C. Training programmes

a) Training programmes for the technical personnel from spice industry

During the year 2019-20, the laboratory conducted two training programmes on the analysis of spices and spice products for physical, chemical, residual and microbiological parameters. A total of five participants including technical personnel from spice industry participated in the programmes.

b) Other training programmes

QELs conducted three training programmes for the farmers, traders, exporters and government officials on quality issues in spices.

c) Student internship/Academic project work

The QELs provided dissertation facilities and guidance to 12 students (including graduate and post-graduate students) from different colleges/universities.

D. Participation in national/international events

The technical officers of the QELs participated in 13 national/international events relating to food safety and quality.

E. ISO systems related activities

- a) QEL Chennai successfully completed the NABL audit for ISO/IEC: 17025:2017 and received the accreditation certificate.
- b) QEL Mumbai completed the NABL audit for ISO/IEC: 17025:2017.



 QEL Tuticorin has completed internal audit for ISO/IEC: 17025:2017 and is awaiting pre-assesment of the lab.

F. ASTA Check Sample Programme

During the year, QEL Mumbai participated in ASTA 2019 4th quarter PT programme for the parameters like capsaicin, colour value, moisture, volatile oil and piperine. The Z score of all studies was within the acceptance limit.

G. Spices Board check samples programme/ Proficiency testing programme

- a) QELs conducted Inter-Laboratory Check Sample Programme for various physical, chemical, residual and microbiological parameters. The results were well within the limit of the Z score and corrective action was taken wherever deviation was observed.
- b) Under the proficiency-testing program conducted by various international agencies like FAPAS, Trilogy Analytical Laboratory and Ashvi PT Providers, the QELs located at Guntur, Mumbai and Tuticorin participated in various physical, chemical, residual and microbiological parameters. Some of the parameters were Sudan I, Sudan II, Sudan III, Sudan IV, total aflatoxin, total endosulfan, total plate count, Staphylococuus aureus, Para Red, butter yellow, Rhodamine B, Sudan orange G, Orange II and Sudan red 7B.
- Under the FAPAS proficiency-testing program, QEL Kochi participated in PT programme Sudan Dyes, Para Red, Butter Yellow, Rhodamine B, Sudan Orange G, Sudan Red 7B and Orange II.
- QEL Kochi participated in PT programmes conducted by Aashvi PT provider for parameters like moisture, total ash, nonvolatile ether extract, volatile oil, acid insoluble ash, capsaicin, crude fibre and so on.

H. Harmonization of Indian standards with ISO standards

The QEL staff actively participated in the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) and headed the various electronic working groups (eWGs) for formulating specifications. Scientists from QEL actively contributed as eWG members under CCSCH for development of the following standards during the year:

- Group standards for 'dried fruits and berries' (dried chilli peppers and paprika)
- Group standard for 'dried floral parts' (saffron and cloves)
- Group standards for 'dried roots, rhizomes and bulbs' (dried garlic and ginger)
- Revised proposed draft standard on oregano
- Group standard for 'dried leaves' (basil)
- Group standard for 'dried seeds' (nutmeg)

I. Projects/Standardization work undertaken

- a) QEL Raebareli has completed the installation of instruments and is ready to commence testing for physicochemical parameter in mentha oil. Instruments like refractometer, densitometer, polarimeter and flash point apparatus have been installed to test for refractive index, density, optical rotation and flash point respectively of mint oil samples.
- b) QEL Mumbai has standardized testing for 10 molecules of pesticide residues (monocrotophos, acephate, triazophos. chlorpyrifos, acetamiprid, clothiandin, methamidophos, thiamethoxam, propargite, oxy demeton-methyl) in curry leaf and commenced testing for EU consignment from July 2019 onwards. The method development for six pesticide residues (acetamiprid, cyhalothrin, cypermethrin, profenofos. triazophos, dithiocarbamates) in cardamom for Saudi Arabia is under standardisation.



9. EXPORT ORIENTED RESEARCH

Indian Cardamom Research Institute (ICRI) undertook research programmes mainly on crop improvement, biotechnology, crop production studies based on nutrient management and soil analysis, crop protection studies based on Integrated Pest and Disease Management, in small and large cardamoms and adaptive trials as well on other spices during the reporting period. Transfer of technology was extended to farmers and targeted groups through various extension activities such as advisories, scientist-farmer interface, spice clinics, regional seminars, workshops, training programmes and audio and visual media and publications. ICRI developed strategies and created awareness to minimize pesticide usage in cardamom, encouraged practice of Integrated Pest Management (IPM), Integrated Disease Management (IDM) Integrated Nutrient Management (INM) systems as well as organic farming.

A. Crop Improvement

a) Small cardamom

Germplasm exploration yielded seven unique accessions of small cardamom from Idukki District of Kerala. Survey conducted in Karnataka at different regions of Madikeri District and Banakal area of Chikkamagaluru District of Karnataka, vielded 18 accessions of cardamom which were added to germplasm repository. As part of digitalization, morphological and yield data of 100 accessions of small cardamom were compiled and analyzed. Performance evaluation trial of eight different land races of small cardamom (Patchaikkai, Panikulangara, Wonder Cardamom, Thiruthali, Arjun, Elarajan, Pappalu and PNS Vaigai) collected from National Innovation Foundation at ICRI, RS, Sakleshpur, was initiated. Field evaluation of F1 hybrids (10 numbers) of small cardamom was carried out at ICRI, RS,

Sakleshpur. Among the ten hybrids evaluated, SHC 28 (SKP 189 x MCC 260) (1255.2 kg/ ha) and SHC 24 (SKP 189 x SKP 184) (1077.5 kg/ ha) were found superior.

Quality parameters of farmers' varieties of black pepper such as Pepper Thekken, Zionmundi and Kumbukkal Pepper were analysed.

Quality planting materials of small cardamom (1500 planting units) and small cardamom hybrids (5000 seedlings) were supplied to farmers from ICRI, Myladumpara and ICRI, RS, Sakleshpur respectively. About 3,773 and 6,021 numbers of planting material of black pepper was supplied to planters during the period from ICRI Myladumpara and Sakleshpur respectively.

b) Large cardamom

Germplasm exploration yielded one accession slightly resembling cultivar Varlangey. At present, total available collection accounted to 167 accessions and the same was maintained in germplasm conservatory at Kabi and Pangthang research farms.

Oil profiling of 10 (including three wild) promising accessions of large cardamom is in progress in collaboration with ICAR-IISR, Kozhikode. Samples include Varlangey (SCC 260), Sawney (SCC 157), Seremna (SCC 243), Ramsey (SCC 246), Ramla (SCC 254), ICRI Sikkim-1 and 2, Amomum kingii, Amomum delbatum and Amomum aromaticum.

Under AICRPS, passport data of seven accessions was documented and sent to NBPGR for IC numbers. Data on growth parameters recorded from trial plot at Kohima, Nagaland revealed that Varlangey out performed Golsey in all growth parameters and adaptability to location.



B. BIOTECHNOLOGY

a) Cardamom (small and large)

Diversity analysis of land races of small cardamom was carried out using molecular markers. Passport data of 20 land races was compiled. Malabar variety specific SCAR sequence was published in NCBI (USA). Diversity analysis of natural varieties/cultivars of large cardamom revealed high polymorphism. Passport data preparation of 65 accessions of large cardamom is under progress. Large cardamom descriptor work was initiated based on morphological and molecular characterization of natural cultivars and specific characteristics and important key characteristics for discriminating every natural cultivar were shortlisted.

The DNA profiles of Indian cardamom and those of Guatemalan cardamom as part of analysis of geographic origin revealed high levels of polymorphism which could be a lead to specific marker development. Sequence analysis has been initiated.

Under Cardamom Transcriptome Project, RNA sequencing of capsule rot and chirke virus disease related transcripts was completed and the data is under analysis in collaboration with JNTBGRI, KSCSTE, Government of Kerala, Thiruvananthapuram. Transcriptome data and manuscripts of small and large cardamoms were published in NCBI and *Elsevier* journal respectively. RNA isolation from large cardamom and primer validation in virus infected large cardamom samples was conducted under experimental trials on viral diagnostics and as part of WOS (DST) Project.

Morphological characterization of 20 Fusarium infected cardamom plant samples from 13 locations at Idukki district confirmed its presence. DNA isolation and PCR analysis using ITS 3 /ITS 4, ITS 2/ ITS 5, ITS 6/ITS 2, FOX F/ FOX R primer combinations were conducted.

Tissue cultures of small and large cardamoms, pepper, vanilla, ginger and herbal spices were initiated. Demonstration and hands - on training on

DNA profiling, bioinformatics techniques and tissue culture was imparted to four PG project trainees and two interns. As part of PhD project, landraces of black pepper were subjected to genetic diversity studies using molecular markers. Tissue Culture, and meristem culture training on cardamom was imparted to PG trainees and students from Agri Varsities. RPL training on Plant Tissue Culture Technician was provided to three batches of trainees during the period.

C. AGRONOMY & SOIL SCIENCE

a) Small cardamom

During the reporting year, a total of 1,340 soil samples received from cardamom growers were analysed for major, secondary and micro nutrients besides soil pH. Based on the soil test report, suitable fertiliser schedules for cardamom were provided to the growers. Twenty one soil samples from various parts of Idukki district were classified based on texture as a part of the advisory service.

A collaborative project titled 'Environmental Impact Assessment of Pesticides in Cardamom Cultivating Areas of Idukki District' was undertaken at Agronomy and Soil Science Division, ICRI, Myladumpara in association with Department of Ground Water, Government of Kerala. During the reporting period, 92 water samples from different locations of cardamom growing tracts of Idukki district were analysed for various pesticides.

Pepper nursery of ICRI, Myladumpara got accreditation from Directorate of Arecanut and Spices Development (DASD), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare (DAC & FW), Government of India during the year.

Weather parameters of 10 years from 2009 to 2019 under the project on climatology were compiled during the reporting period. The changes in weather parameters over the past three decades were quantified.

As part of PG projects, three major locations in Idukki district were surveyed for black pepper and samples



were collected and analysed for their physical as well as intrinsic qualities.

b) Large cardamom

Studies on role of boron in yield maximization in large cardamom revealed the highest dry yield kg/ha (561.0), maximum benefit: cost ratio (2.49) in the treatment having foliar application of borax at the rate of 0.5% + soil application of borax at the rate of 2.5 kg/ha as compared to others.

A survey was carried out for collection of soil and plant samples from high productivity (large cardamom productivity award plots) and low productivity (disease affected) plantations from Sikkim and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. The result found that the soil having pH 5.5 to 6.0 is the best for higher productivity.

In-situ soil moisture conservation practices, surface mulching recorded significantly higher soil moisture content (23.10%), the treatment having trench across the slope duly filled with biomass found the highest dry yield (617.94 kg/ha) and recorded maximum benefit: cost ratio (2.89) as compared to all the other treatments.

D. PLANT PATHOLOGY

Plant Protection Code (PPC) for small and large cardamom was finalized and approved by expert committee including Secretary HC & DD, Government of Sikkim, Horticulture Commissioner, Government of India, Director, IISR, Director, DASD & Chairman of Accreditation Committee and sent to the Ministry. Periodical survey of diseases of small cardamom was carried out in fixed plots in different locations of Idukki and incidence of major and minor diseases were recorded. The incidence of capsule rot ranged from 2.11 to 19.58%, clump rot 1.07 to 13.99%, fusarium root rot 2.89 to 5.99%, leaf blotch 1.88 to 6.56% and viral disease 2.11 to 2.90%. Five rot escape lines of small cardamom were collected from hotspot areas of rot disease incidence in Idukki.

Twenty small cardamom germplasm genotypes were screened during 2019-20 for their tolerance

to diseases under natural field conditions. Fifty per cent of the plants were found susceptible to leaf blotch caused by *Phaeodactylum* alpineae. Leaf blight caused by *Phytophthora* meadii was noticed amongst 15% of the plants whereas chenthal caused by Colletotrichum gleosporioides was noticed in all the cardamom genotypes studied.

The pesticides quinalphos + diafenthiuron, quinalphos + phenthoate, quinalphos + copper oxychloride, copper oxychloride + phenthoate, copper oxychloride + diafenthiuron, phenthoate + diafenthiuron were found compatible in spray solutions at recommended dosages and had no phyto-toxicity as was observed even after 72 hours.

Pathogen isolation and identification studies on 47 spice samples revealed that *Fusarium oxysporum* was associated with 23 samples of cardamom, *Colletotrichum gloeosporioides* in 9 samples, *Phytophthora meadii* in 4 samples, *Pythium sp.* in 3 samples and *Rhizoctonia solani* in three samples. *Phytophthora capsici* was obtained from four black pepper samples.

Twenty eight bacterial isolates and 22 fungal isolates collected from bulk soil samples of cardamom in Idukki, Kerala were studied for their biocontrol efficacy under in-vitro condition against the rot pathogens viz., Pythium, Phytophthora, Fusarium and Rhizoctonia. One bacterial isolate and five fungal isolates showed more than 70% inhibition to these pathogens.

A leaf spot disease caused by *Cylindrocladium* scoparium was noticed in nutmeg seedlings in Adimali area and it was recorded for the first time.

E. ENTOMOLOGY

a) Small cardamom

New insecticide molecules were evaluated viz., Fipronil 5% SC and Spinosad 45% SC, 25% EC Imidacloprid at the rate of 17.8 SL and Quinalphos 25% EC on major pests of cardamom viz., thrips and shoot borer and effective doses at minimum concentration were recommended to cardamom growers.



Entopathogenic Fungi (EPF) affected root grub and thrips were collected from cardamom fields and isolated fungi from the root grub and thrips in the laboratory. They were screened for thrips tolerant lines in different cardamom accessions.

Low low cost artificial diet was developed for mass production of Entomopathogenic Nematodes (EPN) for the eco-friendly management of cardamom root grub. During 2019–20, a total of 1,70,840 EPN infected 'Galleria' cadavers were supplied to needy farmers covering 97.06 acres for the management of cardamom root grub.

As a part of bio-control measures at Karnataka, 30 fish meal traps were installed in the ICRI farm to manage the shoot fly infestation in cardamom.

b) Large cardamom

Pest incidence was recorded below 5% at Kabi and Pangthang research farms in fixed plot survey with no occurrence of major pests. However, incidence of capsule borer and leaf caterpillar was 10-15% and 2-10% respectively during roving surveillance in Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and in Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal. Capsule borer incidence was found higher in Kabi farm as compared to Pangthang farm. In cultivar Sawney, Varlangey and Seremna per cent infestation was 4.80, 3.22 and 3.03 in Kabi farm, while it was 1.32, 1.02 and 1.15 in Pangthang farms respectively.

Plant parasitic nematode incidence was observed in large cardamom plantations of East, North and West District of Sikkim besides Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal. *Meloidogyne incognita*, *Pratylanchus sp.* and *Helicotylenchus sp.* was found to be present in large cardamom soil.

F. TRANSFER OF TECHNOLOGY

a) Small cardamom

Fourteen spice clinics were conducted in Idukki District in which 74 plantations were visited and advisory on various cultivation aspects given benefitting 325 farmers. Ten spice clinics were

conducted in Karnataka benefitting 700 farmers. One thousand six hundred and forty six planters / stakeholders were benefitted from various services offered by ICRI research divisions. Twenty one training / awareness programmes / exposure visits were organized on various aspects of cultivation of cardamom, pepper and other spices benefitting 659 farmers / students during the period. Seven 'Handson training programmes on mass multiplication of biocontrol agents' were organized and 89 farmers from SHGs / farmer groups/ clubs participated.

Bioagents viz. Pseudomonas fluorescens (Liquid) 830 L, Trichoderma harzianum (Liquid) 759 L, Trichoderma harzianum (Solid) 346 kg, Paecilomyces lilacinus (Liquid) 21 L and VAM (Solid) 46 Kg were supplied to farmers at Kerala & Karnataka. Three hundred eighty four planters / stakeholders were benefitted from disease and pest diagnostic services provided by Crop Protection Division during this year.

During the reporting period, 95 RPL (PMKVY) training programmes were conducted on job roles viz., organic grower, pack house worker nursery worker and plant tissue culture technician and a total of 3,866 trainees benefitted including tribal youth at Karnataka.

Radio talks were organized by AIR with participation of scientists from ICRI Myladumpara and Sakleshpur. RRS, ICRI SKP and Prasar Bharati' (All India Radio, Hassan) jointly collaborated to organize radio programmes 'Sambara Belaku' and 'Sambara Siri' and calendar of operations were broadcast through Radio 'Kisan Vani'.

b) Large cardamom

Four spice clinic programmes were organized in Sikkim and Darjeeling districts of West Bengal and 117 farmers benefitted from these. Thirteen numbers of farmer's training programme and three seminars were conducted through which 326 farmers and officials were benefitted. Scientists participated in 23 numbers of meetings/ workshops organized by different departments of State and Central Government.



G. Externally Funded and Collaborative Projects

ICRI executed the following projects during the reporting period.

- a) All India Co-ordinated Research Project on Spices – ICAR, New Delhi: It recognized three centers of ICRI (Myladumpara, Sakleshpur and Gangtok) as co-opting centers.
- b) DUS (Distinctiveness, Uniformity & Stability)
 PPV & FR, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare: It recognized ICRI as a DUS testing center for small cardamom.
- c) JNTBGRI, Thiruvananthapuram, (KSCSTE, Kerala Govt) Collaborative Project on Molecular -Biotechnology Research on cardamom (under MoU)
- d) Rallies India Bangalore Funded Collaborative Research & Insecticide Trial Entomology
- e) Central Ground Water Department, New Delhi and Ground Water Department, Kerala, funded Project on Environmental Impact Assessment of Pesticide Residues in Cardamom Cultivating Areas – Agronomy and Soil Science

H. General

The 31st Annual Research Council (ARC) for small cardamom was conducted at ICRI Myladumpara in March 2020 and 27th ARC for large cardamom

was held at Tadong, Sikkim in February 2020, during which the progress of work of scientists was reviewed. A mid-term review was conducted by IIPM, Bangalore related to export oriented research at all stations.

The total annual rainfall recorded at ICRI Myladumpara from April 2019 to March 2020 was 2004.7 mm with 120 total rainy days. The temperature ranged from 31.41 to 12.01°C during the period with the mean annual temperature of 19.8°C. Total rainfall at RRS Sakleshpur was 4155.65 mm spread over in 118 rainy days. Mean maximum and minimum temperatures recorded were 29.4°C & 19.2°C respectively.

During the reporting period, research documents were published in national and international journals, books, popular publications and research presentations were done at various symposia, seminars, and workshops. Scientists worked as reviewers in national and international journals.

Scientists participated as resource persons in QITPs for cardamom and pepper, training programmes organized by other departments and associations, conducted training programmes exclusively for tribal groups, programmes on biodiversity, social forestry/agroforestry, environment day, meetings on strengthening of farmers' incomes, nursery accreditation, awareness programmes, research reviews, production technologies, etc. Scientists also presented papers at 'National Seminar on Spices' at ICAR-CCARI, Old Goa. Scientists attended the World Spice Organization meeting viz., sustainability in spice production at IISR, Appangala, Karnataka.

50



10. INFORMATION TECHNOLOGY AND ELECTRONIC DATA PROCESSING

The activities of the Board have changed significantly with the leverage of Information Technology. Many manual operations have now been replaced with online systems which effectively reduce the workload of various departments of the Board and reduce the turnaround time for their operations. The EDP department facilitates the use of information technology in various departments of the Board by working along with them. In effect, this makes the whole system faster and more productive and enables the Board to perform more efficiently.

Main activities of EDP department are:

- Advising, guiding and assisting various departments and offices of the Board for the effective use of Information Technology
- Help desk management for existing applications, messaging solutions, Internet and website maintenance
- Administration of organization-wide IT resources namely hardware, software, databases, networking and peripheral equipment

- Formulating strategies for technology acquisition, integration and implementation
- · Upgradation of IT infrastructure
- Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipment and software
- Data processing
- Identifying the need for new systems (or modifications to existing systems) and responding to requests from users
- Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of information systems and application software
- Maintenance and updation of Board's web sites indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress. com and ccsch.in
- Formulating and conducting computer training programmes



11. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) was enacted by Parliament and the assent of the President was obtained on 15th June, 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act except certain information as notified under Section 8 of the Act and can obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees.

The Board has effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board has designated the Deputy Director (Audit & Vigilance) as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs. An Assistant Co-ordinating Central Public Information Officer in HO has also been nominated. Seven Central Public Information Officers (CPIOs) in Head Office and one Central Public Information Officer (CPIO) in the Research Station at Myladumpara, Idukki has also been designated under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005 to disseminate

information under Right to Information Act, 2005. The Director (Admn) is nominated as Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and the Deputy Director (A&V), Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure guidelines of the RTI Act, 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the Transparency Officer of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed every information required to be disclosed suo motu in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website.

During 2019-20, a total of 113 RTI applications through physical and through the online portal and 6 appeals were received under the RTI Act and information was disseminated to all the cases within the stipulated time. No CIC hearing was held during this period. An amount of Rs.220 was received as RTI registration fee. The Quarterly RTI Returns (1st quarter to 4th quarter) were updated on the Central Information Commission's website as scheduled.



Appendix I

	Paras in Statutory Audit Report 2019-20	Reply / Action proposed
Α	Balance Sheet	
1	Liabilities	
1.1	Earmarked/Endowment Funds: Rs. 240.46 crore	
	The above is understated by Rs. 3.52 crore due to accounting of Interest earned during the year as income in the Income and Expenditure Account instead of crediting the same to Earmarked Funds (pension Liabilities) under the head 'Income From investments made on account of funds.	At present the major fund balance as per schedule 3 is only against the Pension Liabilities, Earmarked fund for Spices Park and Quality Evaluation lab. As per the Financial Accounting System there is only one interest code. This code is linked to the income and expenditure account. This is why the interest has been fully accounted in Income
	This has resulted in understatement of Earmarked/ Endowment Funds and Excess of Expenditure over Income by Rs 3.52 crore. The comment was also raised in the SAR for the year 2018-19, however no	and Expenditure Account. The Audit observation is well noted. The possibility of addressing the observation will be sought during 2020-21. In view of the above the AE may please be dropped.
1.2	corrective action taken by the Board. Earmarked/Endowment Funds	
	The above is understated by an amount of Rs2.12 crore due to non-accounting of interest accrued, during the year 2019-20,on Earmarked Pension Funds. This has resulted in understatement Earmarked/Endowment Funds and Current Assets-(Income accrued) by Rs2.12 crore.	The Audit observation has been well noted. This was due to omission from oversight may please be pardoned. Necessary care will be taken while finalising the accounts in future. In view of the above the AE may please be dropped.
2	Assets	
2.1	Fixed Assets : Rs. 200.16 crore	
	The above is understated by an amount of Rs1.45 crore due to non-capitalization of Spice Parks and Quality Evaluation Labs even though the same have been completed and started functioning. This has also resulted in overstatement of Capital Work in Progress. However impact of non charging of depreciation on these assets could not be worked out by Audit as the date of put- to-use of these assets were not furnished.	The observation made by the audit is well noted. The necessary corrections regarding the transfer of CWIP to Asset have been done during 2020-21. The depreciation also will be accounted while finalising the accounts during 2020-21. In view of the above the AE may please be dropped.
В	Income and Expenditure Account	
	Income Interest earned : Rs. 6.77 crore	
	Above is understated by an amount of Rs.0.16 crore due to non accounting of interest accrued, during the year 2019-20 on short term deposits. This has also resulted in understatement of current assets(Income accrued)to the same extent.	The Audit observation has been well noted. This was due to omission from oversight may please be pardoned. Necessary care will be taken while finalising the accounts in future. In view of the above the AE may please be dropped.



Annual	Report	2019-20
--------	--------	---------

С	General	
1	As per schedule 67 of Contingent Liabilities and Notes on Accounts it is stated that letters of credit opened by bank on behalf of the entity is shown as Nil. However, as on 31 March 2020, the Board had four opened letter of credits. As such the disclosure is deficient to that extent.	The AE has been well noted. This might have happened due to oversight which may please be pardoned. Necessary care will be taken in future. In view of the above the AE may please be dropped.
2	The Board has fixed an imprest for each of its field units. The Board shown this imprest under Current Assets as Permanent Advance Office Imprest. The amount spent by field units from imprest is recouped by the Board after making the expenditure entry in its Accounting system. The expenditure incurred by the field units during the current financial year ,which has not been recouped by the Board till March 2020,	Since the inception, the Board was following this method because of the following reasons. 1. The Board is following the centralized payment method. All the Boards payments are get sanctioned and paid from the Head Office using the Boards Financial Accounting System (FAS). 2. The Board has fixed an imprest for each field units
	has resulted in overstatement of Permanent Advance Office Imprest and understatement of expenditure of the Board for the year. Further the existing practice of showing the closing balance of Cash and Bank balances of field units under permanent Advance Office Imprest resulted in understatement of Cash/Bank balance of the Board and overstatement of Permanent Advance Office Imprest.	and transferred that amount to their bank account maintained and reconciled at their level. The total imprest including additional imprest given to the field units are shown in Balance sheet Asset side under the head Permanent advance Office Imprest in Schedule 11- Current Asset loans and advances. The amount spend from their imprest for their day to day activities are sent to HO with expenditure wise split up. The same will be recouped to the concerned filed unit after making the expenditure head wise voucher entry in the FAS. The balance cash after sending the recoupment bill to HO will be there in the Cash in Hand and bank account of the field unit. The total of the field unit cash in hand, Cash in Bank and the pending recoupment from HO, will be equal the amount shown in balance sheet under the head permanent advance office imprest.
		3. If the board has to maintain all the bank accounts of the field units in the Books of account in FAS, the Board has to extend the access of Financial accounting system to all the field units, because the reconciliation and voucher entry against the concerned field bank of all the outstation offices from the HO level is difficult with the very limited manpower. Moreover the HO has to spare the control of data entry in the FAS, which attracts high risk in maintaining the data. Moreover at the time of audit it will be difficult to get the details of the expenditure, if the outstation expenditures are entered by the concerned outstation offices. Also the risk of frequent staff transfer is there.
		4. If we have to extend the FAS to field units we have to apportion the Budget field unit wise and has to transfer the share of Budget as and when the fund has been released from the Ministry. This practice has never followed by the Board since its inception ,for limiting and maintaining centralised control at the HO level. In view of the above the AE may please be dropped.



Annexure - I

1	Adequacy of internal control system	
	During the year 2019-20, the Internal Audit Division has conducted audit of only one unit out of 105 Offices (Including Head Office) of the Board.	Internal Audit of QEL, Narela was carried out in November 2019. After that IA was not done due to shortage of Manpower. The copy of the same has been given to Audit. It may please be noted that the staff strength of the Board is far below its sanctioned strength. Due to the shortage of the staff the Board is not in a position to depute the staff to more than 100 outstation offices for internal audit.
		In view of the above the AE may please be dropped.
2	Adequacy of internal control	
2.1	Internal control system is inadequate and not commensurate with the size and nature of the Board.	It may please be noted that Board has more than 100 outstation offices. Due to shortage of staff below the sanctioned strength and frequent monthly retirement of staff from the key post and non filling of the vacant post which needs approval from the Ministry, the internal control is affected. This can be strengthend only when the Board is having at least the sanctioned strength of staff.
		In view of the above the AE may please be dropped.
2.2	Board has not prepared the bank reconciliation statements for two of its bank accounts.	 We have opened current account with CBI New Delhi for getting the yearly fund release. In the initial years the ministry were used to transfer the fund release to our CBI account at Delhi and from there the Delhi office will transfer the fund to out SBT account at HO, Cochin. But since last few years the ministry use to transfer fund directly to our PNB, Cochin account. Due to this there were no transactions since 2010-11 onwards. Necessary instruction has been given to Close the account during last year itself. But even after frequent follow up from our Delhi office, the Bank authorities not taking necessary action to close our account or to give the present bank statement. They have asked for the concurrence from those who have opened the account. But now the Board has no data about the old signatories. Even though Necessary follow up is continued to close the account at the earliest. As per the information, SBI Padivattom has opened for linking the payment gateway for collecting the recruitment fee. But when we requested for the balance confirmation statement, the bank authorities told that they are not able to access the account. Even though we have enquired about the status recently, no updation has been received. Necessary follow up will be done for closing the account.



2.3 Bank balances are overstated by Rs 0.19 crore due to non posting of entries from cash book to trial balance on account of system failure

Bank Account No: 7176002100002239: PNB - Payment Account: This shows a net difference of Rs.41,096.00 between the Cash Books and the Balance Sheet. On verification of the Opening balances of Trial Balance, it is identified that this is caused due to posting error of two figures i.e. Rs.787.00 and another Rs.41,883.00 pertains to the previous years. The total effect of these two figures is Rs.41,096.00, which is a carried forwarded difference during FY-2019-20.

Bank Account No: 570506112514-SBT Nedumkandam: The difference of Rs.19,85,245.00 is identified as difference between Cash Book and Balance Sheet happened due to posting error of previous years.

Both the errors has been identified and necessary rectification done during 2020-21.

2.4 Non migration of data from the previous accounting software resulting in non availability of details, has rendered the account unreliable.

It may please be noted when the Board has implemented iDempiere during 2015-16, the closing balance as per the balance sheet of 2014-15 has been incorporated as a journal entry by the developers. iDempiere has the option to generate trial balance for any period. All the current year entries, which is scheme/programme wise available with the system in excel format. Then the opening balance as per the last year is added manually to it for preparing the Schedules. It may please be noted that the system was developed with the limited budget allotted to the Board. The Board is not financially sound to go for SAP/Oracle based ERP which costs crores of rupees for implementation and has a huge financial impact for the yearly licence fees. Secondly the iDempiere will carry forward the opening balance of all account heads including, income, expenditure, asset and liability codes etc. to the next year. As clarified by the software developers it is not possible to block the system from carry forwarding the closing balance of income and expenditure codes. Then the other way out is to pass a journal entry to set off all the income and expenditure codes after completing a financial year. If done like that as they have said, there is another issue-the expenditure report of the previous year for which we have passed the set of entry , will be nil. As we have to retain the expenditure details of the previous years for any future requirement from the Ministry/ Audit, we cannot do this also.



2.5	As per Rule 229 (xi) of General Financial Rules (GFR), Autonomous organisations with a budgetary support	The details of approved scheme budget of the Board and the fund released during the MTF plan period is given below.		
	of more than Rs.5Crore per annum, should be required	Year	Approved Outlay	Fund Released
	to enter into a Memorandum of Understanding	0017 0010	(Rs. Crore)	(Rs. Crore)
	with the Administrative Ministry or Department,	2017-2018	172.25	97.01
	spelling out clearly performance parameters, output	2018-19	151.00	90.93
	targets in terms of details of programme of work	2019-20 Total	168.53 491.78	105.00 292.94
	and qualitative improvement in output, along with			
	commensurate input requirements. The output		stantial difference in t	
	targets, given in measurable units of performance,		released each year,	•
	should form the basis of budgetary support extended	with the approve	d budget allocation	may not have been
	to these organisations. The roadmap for improved	realistic. In view	of this, the Administr	ative Ministry of the
	performance with clear milestones should form part	Board had not in	nsisted for an MoU c	during the MTF plan
	of the MoU. The Board has not executed MoU with	period. Hence, B	oard has not execute	ed the MoU with the
	the Administrative Ministry as required under the	Ministry during th	e above period.	
	above provision of General Financial Rules.			
		In view of the abo	ove the AE may pleas	se be dropped.
3	System of physical verification of assets			
3	Out of the 105 offices of the Board (including Head Office), Asset verification reports of 64 offices were only provided to audit. The Asset verification reports of 41 offices (including Head Office) have not been provided. As such the system of physical verification of assets is inadequate and not commensurate with the size of the organization.	Board are mainta handing over and transferring/retirir the assets are ve said 41 offices co	e noted that all the ining the Asset regist d taking over as and ag/joining the Boards rified at their end itse auld not able to providue to Covid – 19 situated.	ter and updating the when the staffs are offices. Periodically left. But this time, the le the same on short
3	Out of the 105 offices of the Board (including Head Office), Asset verification reports of 64 offices were only provided to audit. The Asset verification reports of 41 offices (including Head Office) have not been provided. As such the system of physical verification of assets is inadequate and not commensurate with	Board are mainta handing over and transferring/retiring the assets are vesaid 41 offices con notice may be duplease be pardon	ining the Asset regist d taking over as and ng/joining the Boards rified at their end itse ould not able to providue to Covid – 19 situa	ter and updating the when the staffs are offices. Periodically elf. But this time, the de the same on short tition. The same may
4	Out of the 105 offices of the Board (including Head Office), Asset verification reports of 64 offices were only provided to audit. The Asset verification reports of 41 offices (including Head Office) have not been provided. As such the system of physical verification of assets is inadequate and not commensurate with	Board are mainta handing over and transferring/retiring the assets are vesaid 41 offices con notice may be duplease be pardon	ining the Asset regist dataking over as and ag/joining the Boards rified at their end itsebuld not able to providue to Covid – 19 situated.	ter and updating the when the staffs are offices. Periodically elf. But this time, the de the same on short tition. The same may
	Out of the 105 offices of the Board (including Head Office), Asset verification reports of 64 offices were only provided to audit. The Asset verification reports of 41 offices (including Head Office) have not been provided. As such the system of physical verification of assets is inadequate and not commensurate with the size of the organization.	Board are maintal handing over and transferring/retiring the assets are versaid 41 offices condice may be duplease be pardorn in view of the about the Board use to from ICRI Myladuour QELs and the of items during er Board has shown	ining the Asset regist of taking over as and ag/joining the Boards rified at their end itselfuld not able to providue to Covid – 19 situated. Over the AE may please of collect the stock of ampara and the value e same has been shovery financial year end	ter and updating the when the staffs are offices. Periodically left. But this time, the let he same on short attion. The same may be be dropped. cardamom, pepper e of chemicals at all nowing as the stock d. This year also the

Regularity in Payment of statutory dues

The Board is regular in payment of statutory dues.





Promoting Heritage, Hygiene & Health











(An enterprise of Spices Board, Govt. of India)

Now open at:

Spices India Lulu Mall, Edapally, Kochi-682 024, Kerala

Tel: 0484-4073489

www.flavourit.com. E-mail: spicesindialulu@gmail.com

https://www.amazon.in/s?k=flavourit